खण्ड-461, अंक-5
शुक्रवार, 24 अग्रहायण, शक संवत् 1928
(15 दिसम्बर, 2006 ई0)

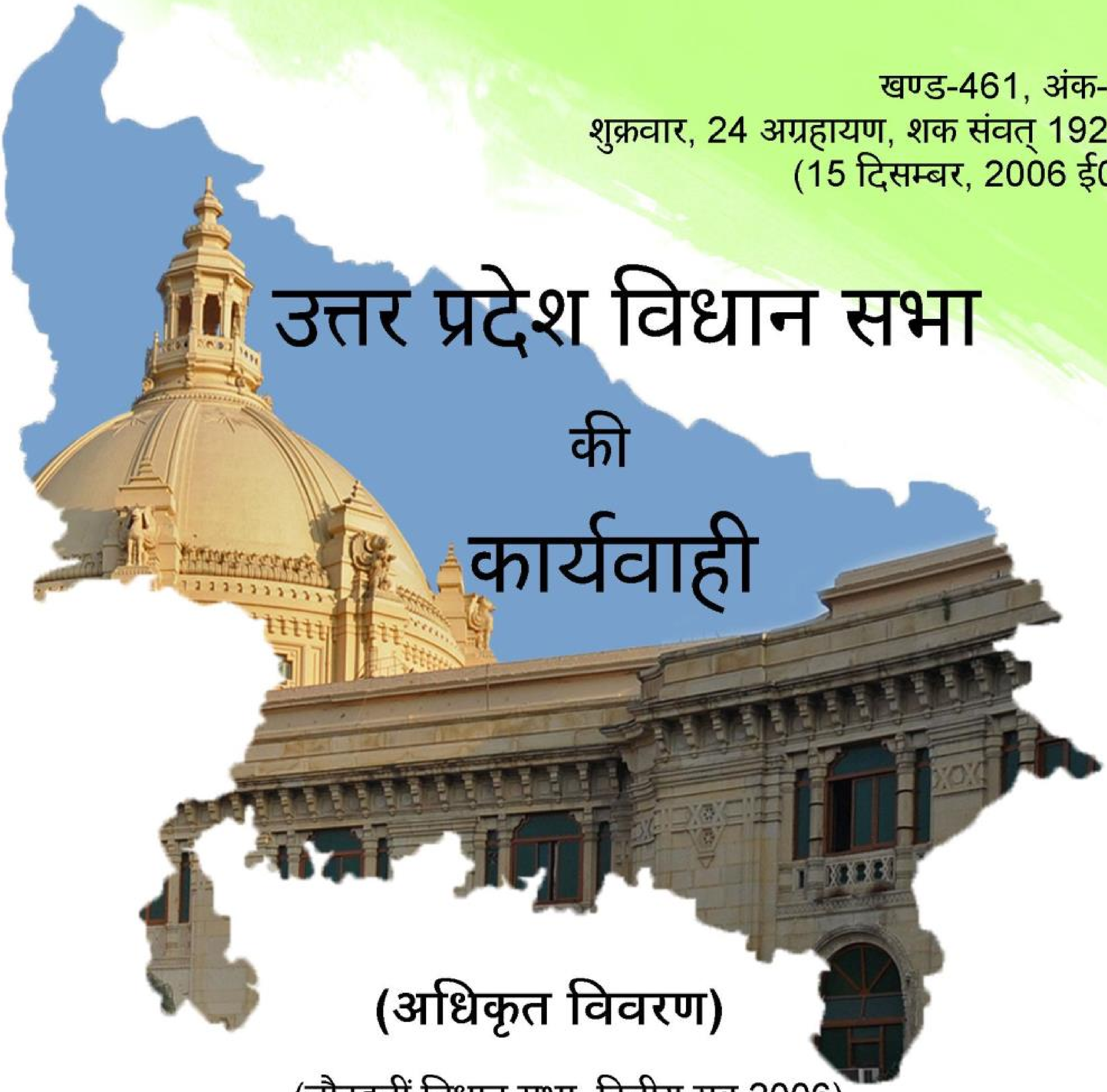

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2006)

खण्ड 461 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) का प्रस्तुतीकरण (प्रस्तुत किया गया)	1-2
वार्षिक वित्तीय विवरण के स्थान पर बजट भाषण वितरित करने तथा कार्य सूची का क्रम ठीक न होने के सम्बन्ध में आपत्ति	3-4
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग के लिये लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण (प्रस्तुत किया गया)... ...	4-6
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 तथा मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव (विधेयक पारित, प्रस्ताव स्वीकृत)... ...	7-15
प्रदेश में किसानों के गन्ने मूल्य की घोषणा	16-19
विधान सभा एवं विधान परिषद् के सभी सदस्यों के लिए 25 लाख रुपये विकास निधि के रूप में देने सम्बन्धी मुख्य मंत्री की घोषणा ...	19-25
आज की कार्य-सूची के सभी प्रश्न उत्तरित माने जाने सम्बन्धी श्री अध्यक्ष के निर्देश	25
प्रश्नोत्तर	25-56
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाये	56
आवास विकास परिषद् मेरठ कार्यालय द्वारा नियमानुसार रजिस्ट्रियाँ न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	56
प्रतापगढ़ के तहसील मुख्यालय पट्टी पर 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के अधूरे निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
आगरा जेल प्रशासन द्वारा कैदियों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री (गेहूँ) में किये गये कथित घोटाले की जाँच कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
लखनऊ के मुहल्ला ओमनगर, आलमबाग में गन्दे पानी की निकासी हेतु अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57-58
राज्य सम्पत्ति विभाग की लखनऊ स्थित महानगर एवं बादशाहनगर सचिवालय कालोनी की जर्जर दशा एवं अनुरक्षण में व्याप्त अनियमिततायें समाप्त कर अध्यासियों को बेहतर सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल में पुलिस सेवा के मृतक आश्रितों की नियुक्ति उनकी योग्यता के अनुरूप नियमानुसार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58-59
मुजफ्फरनगर जनपद के ग्राम बुटरारी में नदी में पुल निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जामिया इस्लामियां विद्यालय मुजफ्फरपुर आजमगढ़ की आलमियत की शिक्षा को पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर व उसके अधीनस्थ कालेजों में प्रवेश हेतु इण्टर के समकक्ष मान लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59-60
अम्बेडकर नगर के ग्राम फूलपुर/अजमेरी बादशाहपुर को घाघरा नदी की कटान से बचाने के लिये ठोकर लगाये जाने तथा पक्का घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
शाहाबाद जनपद रामपुर के खण्ड विकास अधिकारी को जाँच में दोषी पाये जाने के बावजूद अब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
जनपद देवरिया के ग्राम सबवत् और बसन्तपुर धूसी पर छोटी गण्डक नदी पर पक्का अथवा पीपे का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
सीतापुर के हरगांव क्षेत्रान्तर्गत हरगांव लहरपुर मार्ग से जौनपुर क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
हरदोई जनपद के बड़ागांव तथा अर्जुनपुर के मध्य कुण्डा नदी पर पुल बनवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	61
आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत कब्रिस्तान की भूमि की हदबन्दी कराकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा इरनी में शारदा सहायक खण्ड 23 नहर पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या

वाराणसी जनपद के सेवापुरी विकास खण्ड में लवानडीह पर बने पार्क के नलकूप की मरम्मत एवं औषधियों के उत्पादन और उनकी देखभाल करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 62-63

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं 63

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 63

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 64

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)... ... 64

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)... 64

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का तेरहवां प्रतिवेदन (खण्ड-7) (प्रस्तुत किया गया) 64

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का चौदहवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया)... ... 65

श्री सलिल विश्नोई द्वारा श्री सी0डी0 गौड़, इन्सपेक्टर, थाना फीलखाना, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 65-66

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 67

विधेयक प्रस्तुत करने से एक दिन पूर्व उसकी प्रतियाँ नियमानुसार सदस्यों को न दिये जाने सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 67

उत्तर प्रदेश उच्चत्तर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित) 67-68

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव को सूचनाएं (जारी) 68-81

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) 81-82

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश उच्चत्तर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)	82-88
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	89
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार सम्बन्धी डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रस्ताव का स्थगन	89
उत्तर प्रदेश चौदहवी विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने सम्बन्धी डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रस्ताव का स्थगन	89
प्रदेश में बिक रहे शीतल पेय में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशकों के पाये जाने से जनस्वास्थ्य को होने वाले गम्भीर खतरे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन	89
प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन	89
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	89-92
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के चार सदस्यों के नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	92-93
जनपद फैजाबाद स्थित मड़हा नदी की खुदाई में अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाये जाने एवं विभाग द्वारा करोड़ों रुपये का घोटाला किये जाने की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	93-94
जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के ग्रामों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	95

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम पंचायत भगतपुर संतपुर में आंगनवाड़ी कार्यकत्री की नियुक्ति गलत ढंग से किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवकी नन्दन कोरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बाल विकास पुष्टाहार मंत्री का वक्तव्य	95-96
जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी के ग्राम लेखरिहा के नाबालिक छात्र श्री अवधेश उर्फ दीपक को पुलिस द्वारा जनपद रायबरेली से गायब किये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 के0 सिंह पटेल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	97-98
जनपद रायबरेली के डलमऊ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु धन अवमुक्त होने के बाद भी कार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	98
लखनऊ-बलिया राजमार्ग पर रसड़ा से ग्राम सभा पहसा के बीच क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घूराराम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	98-99
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में प्रस्तावित मार्गों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलमबदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	99-100
जनपद सीतापुर के सहायता प्राप्त कन्या माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग की शिक्षिकाओं को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	100-101
जनपद सुल्तानपुर की सहकारी चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारियों की भविष्य निधि का पैसा उनके खाते में जमा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	101-102
लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को उच्चीकृत करने एवं चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	102-103

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
मेरठ नगर निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति ठीक किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	103-104
जनपद फतेहपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय इजूरा बुजुर्ग क्षेत्र ऐराया के अध्यापक श्री राधेश्याम को अन्यत्र हटाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	104
जनपद लखीमपुर-खीरी स्थित नगर पंचायत मैलानी में तैनात अधिशासी अधिकारी को हटाने एवं उसके विरुद्ध धन के दुरुपयोग के मामले में जाँच कराने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	104-105
जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज स्थित शारदा सहायक खण्ड 23 के अन्तर्गत अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	105-107
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	107
राष्ट्रगान	107-108
नत्थियाँ	109-116

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-313

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार वर्मा श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्याण सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरन पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अंसारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर सिंह, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण राय, श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	मैनपुरी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महरा[illegible]
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फसीहा बशीर चौधरी (गजाला) श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल चौधरी, श्री	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
विजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ संतोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री	एटा
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदासनगर, भदोही
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम जी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफुलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महाराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरिओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :-औद्योगिक विकास मंत्री श्री ख्वाजा हलीम, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राम आसरे विश्वकर्मा व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री अजीत कुमार राजू भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) का प्रस्तुतीकरण

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2007-2008 का बजट, इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियाँ वितरित करा दीजिये।

(प्रतियाँ वितरित की गईं)

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह अन्तरिम बजट है, जिसमें केवल वचनबद्ध व्यय के अनुमान सम्मिलित किये गये हैं। इस समय सम्पूर्ण बजट इस कारण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रदेश में निकट भविष्य में विधान सभा चुनाव होंगे तथा नई सरकार का गठन होगा। अतः परम्परानुसार पूर्ण बजट नई सरकार द्वारा ही सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

दिनाँक 15 फरवरी, 2006 को वित्तीय वर्ष 2006-2007 का बजट प्रस्तुत करते समय जिन महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख हमने अपने बजट भाषण में किया था, उन्हें इस सदन के सम्मानित संदस्यों के सहयोग से प्राप्त करने में हम सफल हुये हैं।

पिछले लगभग साढ़े तीन वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश की प्रगति व आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाये हैं। खाली खजाने व गैर अनुशासित वित्तीय खर्चों के स्थान पर प्रदेश ने राजस्व घाटे को समाप्त कर राजस्व बचत के युग में प्रवेश किया है। इसी के साथ राजस्व वसूली में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है, जिससे विकास की बुनियाद रखी गयी है। हमारा यह मानना है कि अब उत्तर प्रदेश को विकास की गति व पथ पर जाने से कोई रोक नहीं पायेगा।

वर्ष के प्रारम्भ में जो प्राथमिकतायें तय की गयी थीं, उन सब में आशातीत सफलता प्राप्त हुयी है। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कई बाहरी एजेन्सियों द्वारा प्रदेश को सबसे तेज प्रदेश माना गया है। पूँजी निवेश हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन किया गया है। चीनी नीति की घोषणा के पश्चात् 28 नयी चीनी मिलों को लगाये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें 16 लग चुकी हैं और 12 शीघ्र स्थापित की जायेंगी। गन्ना किसानों को अब तक पिछले बकायों को सम्मिलित करते हुये 19,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है व अन्य फसलों में अधिक से अधिक लाभ किसानों को दिलाने का प्रयास किया गया है। 13 वर्षों के बाद बिजली के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हेतु कदम उठाये गये हैं। वर्तमान वर्ष में प्रदेश में 1200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी व 2530 मेगावाट की नयी परियोजनाओं पर ऊर्जा क्रय अनुबन्ध किया गया है। ग्यारहवीं योजना में 13830 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की परियोजनायें तैयार की जा चुकी है।

निजी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि के साथ-साथ 6 लाख से अधिक बेरोजगारों को सरकारी नौकरियाँ दी गयी हैं और जहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका, वहाँ सभी पात्र बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। सड़क और पुल निर्माण के

क्षेत्र में पिछलें 10 वर्षों में जितना काम हुआ है उससे अधिक हमारी सरकार के इस कार्यकाल में किया गया है। लागभग 550 पुल स्वीकृत हैं व 380 सेतुओं का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। लगभग 6 लाख बालिकाओं को कन्या विद्याधन योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहित किया गया है। शिक्षकों, लोकतंत्र सेनानियों, अधिवक्ताओं के हितों के लिये नयी योजनायें सफलतापूर्वक प्रारम्भ की गयी हैं। हमारी योजनाओं में अन्य राज्यों की सरकारों ने भी रुचि दिखायी है।

वर्ष 2006-2007 के बजट में राजस्व घाटे को समाप्त कर राजस्व बचत 1,123.17 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार न केवल राजस्व घाटा समाप्त होगा अपितु राजस्व बचत बढ़कर लगभग 3,358.99 करोड़ रुपये होनी अनुमानित है।

आयोजनागत पक्ष में 23,240 करोड़ रुपये के प्रावधान के सापेक्ष नवम्बर, 2006 के अन्त तक 11,561 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है, जो गत वर्ष की इसी अवधि में हुये व्यय 5,914 करोड़ रुपये से लगभग 95 प्रतिशत अधिक है। आयोजनागत व्यय की प्रगति को देखते हुये हमारा विश्वास है कि प्रदेश 19,000 करोड़ रुपये के प्लान परिव्यय का पूरा-पूरा उपयोग कर लेगा।

इस सम्मानित सदन को बताते हुये हमें अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि कर राजस्व में वृद्धि करने में प्रदेश ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। नवम्बर, 2006 के अन्त तक 14,617 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त कर लिया गया है, जो गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त कर राजस्व से 28.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है तथा इस वर्ष के माह नवम्बर तक के निर्धारित लक्ष्य का 104 प्रतिशत है। उक्त सफलता को देखते हुये पुनरीक्षित अनुमानों में हमने कर राजस्व की प्राप्ति को 23,484 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 24,381 करोड़ रुपये कर दिया है।

प्रदेश सरकार द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2004 की धारा-4(3) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार वर्ष 2008-2009 तक राजस्व घाटा शून्य करेगी तथा राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अनधिक स्तर तक कम करेगी। राजस्व घाटा लक्ष्य से दो वर्ष पूर्व ही समाप्त हो रहा है।

जहाँ तक राजकोषीय घाटे का प्रश्न है, वर्ष 2004-2005 में यह 12,998 करोड़ रुपये था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत था। इसमें निरन्तर कमी आ रही है और अब वर्ष 2006-2007 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार यह 11,090 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.8 प्रतिशत है। इस गति से वर्ष 2008-2009 तक इसे 3 प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जायेगा।

इस अन्तरिम बजट पर आधारित चार माह की अवधि का लेखानुदान भारत के संविधान के अनुच्छेद 206 के प्रावधानों का उपयोग करते हुये प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके साथ एक श्वेत-पत्र भी प्रस्तुत है, जिसमें इस सदन के माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ आवश्यक सूचना का समावेश किया गया है।

मान्यवर, यह अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 में कुल 90,672 करोड़ रुपये की प्राप्तियाँ होंगी, जिसमें 65,208 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियाँ, 25,464 करोड़ रुपये की

पूँजीगत प्राप्तियाँ, जिसमें ऋणों से 25,076 करोड़ रुपये तथा ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों से 388 करोड़ रुपये की प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

बजट वर्ष में फिलहाल कुल 88,817 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसमें 59,374 करोड़ रुपये का व्यय राजस्व लेखे तथा 29,443 करोड़ रुपये का व्यय पूँजी लेखे के अन्तर्गत अनुमानित है।

इस प्रकार वर्ष 2007-2008 में राज्य की समेकित निधि में सम्प्रति कुल 1,854.64 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है। लोक लेखे के अन्तर्गत 1,822.55 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को सम्मिलित करने पर समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम 3,677.19 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है।

उपर्युक्त अनन्तिम अनुमानों के आधार पर बजट वर्ष का 2,425.35 करोड़ रुपये का धनात्मक प्रारम्भिक शेष 6,102.54 करोड़ रुपये के अन्तिम शेष से समाप्त होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अन्तिम शेष का वास्तविक अनुमान सम्पूर्ण बजट को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त उपलब्ध हो सकेगा।

चूंकि, यह अन्तरिम बजट है, अतः मैं इस चरण में माननीय सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदन द्वारा इस अन्तरिम बजट का अनुमोदन प्रदान करते हुये लेखानुदान पारित किया जाय।

मान्यवर, मैं वर्ष 2007-2008 का बजट तथा चार महीने की अवधि के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करता हूँ।

वार्षिक वित्तीय विवरण के स्थान पर बजट भाषण वितरित करने तथा कार्य-सूची का क्रम ठीक न होने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मद संख्या-1 है, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करेंगे। आपने भी कहा कि प्रतिलिपि बाँट दी जायें। जो बाँटी गयी वह बजट भाषण है, विवरण नहीं है। विवरण कहाँ है। आप सहमत होंगे कि इसका वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत होना चाहिये था।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आप बताते हैं कि "हाँ" लाबी में फलां जिले और "ना" लाबी में फलां जिलों को मिलेंगें, यह सब कुछ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष-

यह पीछे रखा हुआ है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह लेखानुदान की प्रतियाँ हैं, जनरल बजट नहीं है। वह पहले मिलना चाहिये था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मद संख्या-2 में है कि एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे और फिर प्रस्ताव की प्रतियाँ लेखानुदान प्रस्तुत हो जाने के उपरान्त, मद संख्या-3 के बाद इसका उल्लेख है, तो जब यह पारित हो जायेगा, विचार हो जायेगा, मतदान हो जायेगा तब बांटी जायेंगी। मैं कार्य-सूची को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ कि यह होना चाहिये। जब विचार और मतदान हो जायेगा तो फिर इसका औचित्य क्या रह जायेगा।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह तो परम्परा रही है, माननीय अध्यक्ष द्वारा यह कहा जाता है कि फलां जिले के "हाँ" लाबी में और फलां जिले के "ना" लाबी में लेंगे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, यह केवल छपाई की गलती है। यह सामग्री सदन में उपलब्ध है और सदस्यों के सामने उपलब्ध है।

श्री हुकुम सिंह-

हमारी जिम्मेदारी थी हमने इसको इंगित किया इसका स्पष्टीकरण आना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष-

यह दो भाग का होता है। एक तो बजट होता है और एक लेखनुदान होता है। यह सही है कि इसको पहले देते हैं और बाद में वह आता है। लेकिन वित्त विभाग ने बाँधकर एक साथ दे दिया है। जहाँ तक छपाई की बात है मैं इसको दिखवा लेता हूँ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

सरकार जब अन्तरिम बजट लाती है तो अध्यक्ष द्वारा कहा जाता है।

श्री अध्यक्ष-

यह अन्तरिम बजट के लिये नहीं कहा जाता है, यह बजट के लिये कहा जाता है।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग के लिये लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण, उस पर विचार एवं मतदान किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियाँ बाँट दी जायें।

(प्रतियाँ वितरित की गयीं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, प्रतियाँ पहले ही बँट गयी थीं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जब विचार एवं मतदान के लिये रखा है तो इसको कराकर तब मद संख्या-4 में जायें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मद संख्या-3 में प्रस्तुतीकरण एवं उस पर विचार एवं मतदान, तो हमें विचार करने का अवसर तो देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इसमें विचार, मतदान बीच में रखा है, इसको पहले करा कर तब मद संख्या-4 पर जाइये।

श्री अध्यक्ष-

अभी करा रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष महोदय आपने मद संख्या-3 पुकारा है, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण और उस पर विचार एवं मतदान, तो मान्यवर, विचार करने का अवसर तो देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2007-2008 के माह अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 15 दिसम्बर, 2006 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-7 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा इतनी धनराशि पेशगी दी जाये जो दो खरब, पैंतालीस अरब, उनसठ करोड़, छब्बीस लाख, पन्चान्नबे हजार रुपये से अधिक न हो।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न उपस्थित करने से पहले इस पर चर्चा तो करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी इस पर विचार होना है।

श्री अध्यक्ष-

क्या इस पर चर्चा करायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

बस आपका आ जाये बाकी एक सदस्य का विचार आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

लेखानुदान में चर्चा की परम्परा नहीं रही है। क्यों आप इस परम्परा को तोड़ रहें हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल-

परम्परा क्यों नहीं रही है। लेखानुदान तो कभी हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष-

लेखानुदान क्यों नहीं हुआ ? लेखानुदान तो कई बार लिया गया है। इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

तो फिर बिना प्रस्तुत किये हुये ही, पास करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

बिना प्रस्तुत किये हुये कैसे पास करा लेंगे। लेकिन इस पर चर्चा का कोई नियम नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इसे पारित कराइये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2007-2008 के माह अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 15 दिसम्बर, 2006 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-7 में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो दो खरब, पैंतालीस अरब, उनसठ करोड़, छब्बीस लाख, पन्चान्नबे हजार रुपये से अधिक न हो ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 तथा मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बांट दी जायें।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पहले प्रतियां तो बांट दी जायें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

बंट रही हैं भाई। ऐसा ही होता चला आ रहा है, कोई नई बात थोड़े ही हो रही है, हमने तो जाने क्या-क्या देखा है यहां। यह लोकतंत्र है, वह अलोकतंत्र था। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006

01 अप्रैल, 2007 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था करने के लिये-

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2006 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2007-2008 के लिए 31521, 03, 28, 000 रुपये का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 01 अप्रैल, 2007 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 31521,03,28,000 रुपये (इकत्तीस हजार पाँच सौ इक्कीस करोड़ तीन लाख अट्ठाइस हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया गया है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	140384	333	140717
		पूंजी :	1167	--	1167
02	आवास विभाग	राजस्व :	63215	106800	170015
		पूंजी :	1000003	146600	1146603
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	188333	3238	188661
		पूंजी :	13338	--	13333
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	66939	--	66939
		पूंजी :	--	--	0

1	2		3		
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	116921	--	116921
		पूंजी :	--	--	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	127406	--	127406
		पूंजी :	--	--	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	52031	--	52031
		पूंजी :	312388	--	312388
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व :	230403	--	230403
		पूंजी :	23333	--	23333
09	उर्जा विभाग	राजस्व :	7279298	59621	7338919
		पूंजी :	21653152	--	21653152
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	380387	1624	382011
		पूंजी :	6834	--	6834
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	3367210	170	3367380
		पूंजी :	670893	--	670893
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	448407	--	448407
		पूंजी :	--	--	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम विकास)	राजस्व :	4113930	333	4114263
		पूंजी :	1874270	--	1874270
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	3810001	--	3810001
		पूंजी :	33440	--	3440
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	800864	460	801324
		पूंजी :	189595	--	189595
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)	राजस्व :	49836	7	49843
		पूंजी :	1720	--	1720
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	118902	--	118902
		पूंजी :	--	--	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	438862	20481	459343
		पूंजी :	214933	55548	270481

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	8034	--	8034
		पूंजी :	--	--	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	26667	48746	75413
		पूंजी :	--	2615	2615
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	439753	516695	956448
		पूंजी :	19282315	5000017	24282332
22	खेल विभाग	राजस्व :	69765	33	69798
		पूंजी :	419500	--	419500
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	244703	50	244753
		पूंजी :	25167	--	25167
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	484907	--	484907
		पूंजी :	1	--	1
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	508742	267	509009
		पूंजी :	220131	--	220131
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	10347490	2203	10349693
		पूंजी :	880002	111	880113
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	736225	--	736225
		पूंजी :	25433	--	25433
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	279618	--	279618
		पूंजी :	--	--	0
29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	--	19461	19461
		पूंजी :	--	--	0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	4911	--	4911
		पूंजी :	--	--	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	3570464	--	3570464
		पूंजी :	689205	--	689205
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	4686430	333	4686763
		पूंजी :	1920833	--	1920833

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
33	चिकित्सा विभाग	राजस्व :	745752	--	745752
	(आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	पूंजी :	45866	--	45866
34	चिकित्सा विभाग	राजस्व :	437658	6	437666
	(होम्योपैथी चिकित्सा)	पूंजी :	27360	--	27360
35	चिकित्सा विभाग (परिवार	राजस्व :	1820973	333	1821306
	कल्याण)	पूंजी :	85867	--	85867
36	चिकित्सा विभाग	राजस्व :	931135	233	931368
	(सार्वजनिक स्वास्थ्य)	पूंजी :	--	--	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	1781233	--	1781233
		पूंजी :	900000	--	900000
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	34738	--	34738
		पूंजी :	128372	--	128372
39	भाषा विभाग	राजस्व :	18155	--	18155
		पूंजी :	--	--	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	200932	--	200932
		पूंजी :	2056670	--	2056670
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	338629	--	338629
		पूंजी :	--	--	0
42	न्याय विभाग	राजस्व :	1527203	249373	1776576
		पूंजी :	178920	--	178920
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	136167	--	136167
		पूंजी :	14868	--	14868
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	42042	--	42042
		पूंजी :	175619	--	175619
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	276519	--	276519
		पूंजी :	266667	--	266667
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	13030	--	13030
		पूंजी :	--	--	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	349829	34	349863
		पूंजी :	51497	--	51497
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	639420	68	639488
		पूंजी :	59688	--	59688
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	5510494	333	5510827
		पूंजी :	4301	--	4301
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	805769	535	806304
		पूंजी :	270442	--	270442
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	1046593	1014933	2061526
		पूंजी :	--	--	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	2686844	2892	2689736
		पूंजी :	34456	350	34806
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	521	--	521
		पूंजी :	33	--	33
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	2162083	133	2162216
		पूंजी :	--	--	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	60436	16405	76841
		पूंजी :	81876	106496	188372
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	83333	--	83333
		पूंजी :	966667	--	966667
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	30000	--	30000
		पूंजी :	1985024	--	1985024
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	4110262	163	4110429
		पूंजी :	13501496	18337	13519829
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	226698	--	226698
		पूंजी :	221086	--	221086
60	वन विभाग	राजस्व :	631117	457	631574
		पूंजी :	459274	--	459274

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	10550915	47236932	57787847
		पूंजी :	1400018	14511854	15911872
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	11605113	2533	1107646
		पूंजी :	500000	--	500000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	280963	200	281163
		पूंजी :	4577	--	4577
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व :	4417	--	4417
		पूंजी :	--	--	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	263065	--	263065
		पूंजी :	127	--	127
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	4301	385160	389461
		पूंजी :	--	--	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	52540	1465	54005
		पूंजी :	1000	--	1000
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	145951	1767	147718
		पूंजी :	1384	--	1384
69	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	283060	--	283060
		पूंजी :	--	--	0
70	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	23948925	--	23948925
		पूंजी :	6729	--	6729
71	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	10934742	90	10934832
		पूंजी :	56931	--	56931
72	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	2579445	--	2579445
		पूंजी :	102667	--	102667
73	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्राशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	216036	--	216036
		पूंजी :	7413	--	7413
74	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	329854	--	329854
		पूंजी :	2	--	2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
75	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	1643281	--	1643281
		पूंजी :	99827	--	99827
76	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	684338	--	684338
		पूंजी :	--	--	0
77	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	3558018	--	3558018
		पूंजी :	37511	--	37511
78	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	5329599	--	5329599
		पूंजी :	--	--	0
79	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	191856	3	191859
		पूंजी :	5897	--	5897
80	सतर्कता विभाग	राजस्व :	50308	3802	54110
		पूंजी :	--	--	0
81	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	8213971	--	8213971
		पूंजी :	5639523	--	5639523
82	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	1898	--	1898
		पूंजी :	--	--	0
83	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	7095	--	7095
		पूंजी :	--	--	0
84	सूचना विभाग	राजस्व :	118856	--	118856
		पूंजी :	23000	--	23000
85	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	87245	3	87248
		पूंजी :	3533	--	3533
86	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	8788	--	8788
		पूंजी :	--	--	0
87	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापारकर)	राजस्व :	791725	64902	856627
		पूंजी :	16144	--	16144

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
88	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	198969	--	198969
	(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी :	--	--	0
89	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	226100	1	226101
	(स्टाम्प एवं पंजीकरण)	पूंजी :	3333	--	3333
90	संस्कृति विभाग	राजस्व :	66082	2	66084
		पूंजी :	106700	--	106700
91	सिंचाई विभाग	राजस्व :	2773414	1667	2775081
	(अधिष्ठान)	पूंजी :	498334	--	498334
92	सिंचाई विभाग (निर्माण	राजस्व :	3591629	--	3591629
	कार्य)	पूंजी :	7513246	13333	7526579
	योग	राजस्व :	158591102	49762376	208353478
		पूंजी :	87001593	19855257	106856850
	महायोग		**245592695**	**69617633**	**315210328**

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, यह तो लेखानुदान पास हो गया। इसको सदन का विश्वासमत प्राप्त किया हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह मान लिया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में किसानों के गन्ने मूल्य की घोषणा

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मैं एक घोषणा कर दूँ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, मई महीने में आपने आश्वासन दिया था विधायक निधि को बढ़ाने के बारे में।

श्री मुलायम सिंह यादव-

पहले किसान।

आपकी अनुमति से आज मैं इस सम्मानित सदन में उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य की घोषणा करता हूँ।

(सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

अगैती प्रजाति 130 रुपये प्रति कुन्तल। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(श्री हुकुम सिंह की ओर इशारा करके)

आप कंजूसी क्यों कर रहें हैं ?

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, आज किसी सदस्य ने कंजूसी के साथ किया है तो वह श्री हुकुम सिंह जी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

सामान्य प्रजाति 125 रुपये 50 पैसे प्रति कुन्तल। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

अप्रयुक्त प्रजाति 122 रुपये 50 पैसे प्रति कुन्तल। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह बहुत ही कम है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

ठीक है, तो फिर भुगतान ही नहीं होगा। किसान का भुगतान पहले है। किसान को समय से पैसा मिले, 3 हफ्ते के अन्दर पैसा मिले यह हम चाहते है। सरकार पर बोझ लादकर चले जायें, यह ठीक नहीं।

इससे किसानों को वर्तमान गन्ना की मात्रा पर लगभग 750 करोड़ का अतिरिक्त गन्ना मूल्य प्राप्त होगा।

इस वर्ष किसानों को लगभग 9000 करोड़ का कुल गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा सकता है। यह अनुमानित है। आज किसानों को जो हम गन्ना मूल्य दे रहें है वह हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में आप देख लें, उससे ज्यादा है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह किसानों के साथ यह बिल्कुल धोखा है, नाइन्साफी है। (घोर व्यवधान)

किसानों के साथ जो धोखा किया इसकी निन्दा होनी चाहिए। आज 22 रुपये चीनी बिक रहीं है। किसानों को 200 रुपये मिलना चाहिए। इस सरकार ने डेढ़ महीने इन्तजार कराने के बाद केवल इतना रूपया बढ़ाया है। किसानों के साथ सरासर धोखाधड़ी हुई है। हम इसकी निन्दा करते हैं यह किसान विरोधी सरकार है।

इस विषय के ऊपर सदन की राय आनी चाहिए सभी सदस्यों की राय आनी चाहिए।

(घोर व्यवधान)

श्री राम करन आर्य-

आपने तो 95 रु0 से दाम घटाकर 74 रु0 कर दिया था। किसानों का गन्ना सूख गया था, किसानों ने गन्ना जला दिया था। इसलिए आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस जनप्रिय सरकार ने जो गन्ने का दाम बढ़ाया है उससे आम जनता और किसानों में खुशी होगी।

श्री अध्यक्ष-

आप शांत रहें।

श्री हुकुम सिंह-

किसानों के साथ घोर अन्याय हुआ है। कभी भी प्रदेश का किसान इस सरकार को माफ करने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा और न यह कार्यवाही का अंग माना जायेगा। आपने अपनी बात कह ली। कोई भाषण तो हो नहीं रहा है। उन्होंने घोषणा की और आपने अपनी बात कह ली अब बचा क्या है ?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 105 रुपये दिलवाया था जब चीनी का भाव 11 रुपये किलो था। आज जब चीनी का भाव 20 रुपये से लेकर 22 रुपये किलो तक है तो आज गन्ने का भाव दोगुना होना चाहिए था 200 रुपये होना चाहिये था। जब चीनी का भाव 11 रुपये किलो था तो हमने 105 रुपये दिलवाया था।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह ली, आप बैठें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था का प्रश्न उठाना है ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अभी तो मेरी बात पूरी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था का आपने कहा और फिर आभारी कह दिया इसलिए मैंने कहा।

*श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का मौका दिया, अब ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

हाँ अब ऐसे कहिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, हमको तो मौका देते नहीं हैं, प्रमोद कुमार को मौका तो दे दे रहें हैं। कम से कम आप हमको मौका देते नहीं हैं इनको मौका दे रहें हैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवस्था का प्रश्न है, आप बैठिये पाल साहब।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैंने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा था।

श्री अध्यक्ष-

अगर लिस्ट निकाली जायेगी और छपेगा तो आपका कोई दिन नहीं है जब आप न बोलते हों, ऐसा नहीं है कि मौका न मिलता हो। बहुत मौका आपको मिलता है।

प्रमोद जी आप अपना व्यवस्था का प्रश्न करेंगे या मैं आगे बढ़ूं।

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा, हम आगे बढ़ते हैं अगर आप आपनी बात नहीं करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ। आप दोनों के बीच में मैं इसलिये नहीं बोलता हूँ कि आप दोनों एक कुएं का पानी पीते हैं, एक जिले के रहने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह सही भी है, हमारे अनन्य मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करना चाहता हूँ व्यवस्था के माध्यम से। अभी हुकुम सिंह जी, शायद आज सूट की फिटिंग कुछ टाइट थी, पिछले साल का होगा। मान्यवर, गन्ने पर बहुत बढ़चढ़कर बात कर रहे थे तो मेरे बगल में बैठे हुये जगदम्बिका पाल जी को देखकर याद आ रहीं थी कि कुछ इस प्रदेश की कुण्डली में लिखा हुआ है कि जब कभी भाजपा की सरकार आती है, गन्ने के मूल्य के बकाये पर गोली जरूर चलती है और किसान मारा जाता है, यह भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। तो जब आप बात करते है। अच्छा नहीं लगता। रामकोला, पडरौना आदि तमाम हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह दायित्व निभा रहे हैं ये ।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था क्या है ?

श्री हुकुम सिंह-

व्यवस्था यह है कि किसानों के खिलाफ बोलना, किसानों के हित के ऊपर प्रहार करना, इनका और कोई काम तो हो पाया नहीं। सरकार को उनसे कुछ लेना देना है नहीं।

विधान सभा एवं विधान परिषद् के सभी सदस्यों के लिये 25 लाख रुपये विकास निधि के रूप में देने सम्बन्धी मुख्य मंत्री की घोषणा

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद कुमार, जी, आप व्यवस्था का सवाल करिये, आगे बढ़ाइयें।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यवस्था के लिये थोड़ी भूमिका बनानी पड़ती है, वही मैं बना रहा था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को स्मरण दिला रहा था कि मुलायम सिंह यादव जी की जान पहचान सदन के माध्यम से राजनीति में एक है कि वह जो कहते हैं, वह करते हैं। परन्तु मान्यवर, मुझे बहुत चिन्ता है उनकी, कि एक बात से उनकी तस्वीर पर एक हल्का सा, हल्का सा, आपकी एक तस्वीर है उस पर कहीं न कहीं धुन्ध छा रहा है। तो मेरा एक मित्र होने के नाते इस सदन में स्मरण दिला रहा हूँ कि जब सत्र का प्रारम्भ हुआ था तो आपने वायदा किया था, आपका वायदा था, आपने सबका मुँह मीठा कर दिया सबका चीनी का दाम बढ़ाकर। और अपने निर्वाचन आयोग को लिख भी दिया कि फरवरी में चुनाव करावो फरवरी में नहीं होगा, मार्च में होगा, मार्च में नहीं होगा अप्रैल में होगा।

आप ही के भरोसे हमने भी बहुत से वायदे कर दिये अगर आप न कहते तो हम वायदे न करते। अगर आपकी जगह हुकुम सिंह जी ने यह वायदा किया होता तो हम बिल्कुल न करते। क्योंकि हम जानते हैं कि यह जो कहते हैं वह करते नहीं और जो करते हैं, वह कहते नहीं। लेकिन चूँकि आपने कहा था तो हमने लोगों से बताया कि चिन्ता मत करों, एक करोड़ 25 लाख का बजट बनाकर हमने विधायक निधि का गाँव-गाँव, हर मोहल्ले-मोहल्ले जाकर लोगों को बता दिया और उनसे यह भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कह दिया कि चिन्ता मत करो, मुलायम सिंह जी, जो कहते हैं, वह करते है। अब हम जा रहें हैं बताइये अब हम उनसे क्या कहें ? क्या कहें बतायें आप ? अच्छा फिर कोई बहुत बड़ी चीज हो तो बात समझ में नहीं आती। मान्यवर, इतने बड़े प्रदेश के, इतने बड़े मुख्य मंत्री जी से, मुझे तो शर्म लग रही है, माँगा भी तो क्या 25 लाख। तो मान्यवर, अध्यक्ष जी अब आप तो वहाँ से कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आपके मन की बात मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता। आपसे जाकर विधायकगण कहते हैं कि चुनाव हैं और चुनाव में तमाम तरह के विकास कार्य करके हम नहीं जायेंगे तो कैसे जायेंगे। जो मान्यवर, धर्म की राजनीति करते हों, जाति की करते हों, उनकी तो छोड़ दीजिये। लेकिन जो विकास की राजनीति करते हों उन्हें गहरा धक्का लगा है। मान्यवर, मैं जानता हूँ कि कभी-कभी तमाम भूलें होती है।, व्यस्ततायें होती हैं, आई0ए0एस0 वीक चल रहा है, उसमें हो सकता है भूल गये हो आप। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, विनम्रतापूर्वक आदरणीय नेता सदन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी से विनम्र आग्रह करूँगा, सभी सम्मानित सदस्यों की तरफ से, कि विधायक निधि जो आपने वायदा किया था, 25 लाख बढ़ाने का, अगर आप बढ़ा दें तो हमारा तो क्षेत्र में फायदा होगा, लेकिन आपकी इमेज में बहुत फायदा हो जायेगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है, अगर आप एक मिनट आगे देखें तो मेज थपथपाकर लोग बता दें कि कितने लोग चाहते हैं और कितने लोग नहीं चाहते हैं।

(मेजें थपथपाई गयीं)

मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करूँगा और मुख्य मंत्री जी आपसे बहुत ही विनम्र आग्रह करूँगा। मैं जानता हूँ कि संसाधन की कमी है और मैं यह भी जानता हूँ कि आप प्रदेश पर अतिरिक्त बोझ नहीं देना चाहते लेकिन हम तो अपने लिये माँग नहीं रहे है हम तो प्रदेश के लिये माँग रहे हैं और अगर हम प्रदेश के लिये माँग रहें हैं तो आज तक तो आपने प्रदेश के लिये कभी मना नहीं किया तो फिर आज क्यों मना करेंगें ? मुझे पूरा विश्वास है आप पर, मुझे मालूम है कि आप ऐसा करेंगे, मैं तो सिर्फ आपको स्मरण दिला रहा हूँ। पर एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, जीवन में रह जाती है सिर्फ बात से बात, आज वहीं खतरे में है। तो मैं नहीं चाहता कि कभी किसी स्तर पर कभी भी लोग याद करें तो आपको इस बात के लिये याद करें कि आपने वायदा सदन में किया था और पूरा नहीं किया। तो मुझे आज अपनी चिन्ता नहीं, आपकी ज्यादा चिन्ता है। मैं आपसे आग्रह करूँगा और विनम्र प्रार्थना करूँगा या तो आज आप घोषणा करें और यह कह दें कि जनवरी से मिल जायेगी, कोई दिक्कत नहीं, 15-20 दिन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान्यवर, मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करूँगा कि अब खाली हाथ मत वापस जाने दीजिये, बहुत दिक्कत होगी जो कुछ कर सकते हैं कर डालिये।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में माननीय प्रमोद कुमार और अन्य नेताओं की भी यह राय बनी थी कि विधायक निधि 25 लाख बढ़ा दी जाय। मुश्किल यह हो गयी कि वह माँग कर रहे थे और मेजें यह थपथपा रहे थे और काँग्रेस पार्टी चुपचाप सुन रहीं थीं लेकिन हम जानते हैं कि विधायक निधि विकास के लिये जरूरी है और हमारी सरकार की नीति है कि किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं होगा। राजनैतिक स्तर पर भी भेदभाव नहीं होगा। इस भेदभाव को हमने समाप्त किया

है। बहुत पुरानी बात हम नहीं कहना चाहते। अब हमें खुद तीन साल से ज्यादा हो गये हैं, तो अपनी जिम्मेदारी से अपनी बात कहना चाहिये। बहुत दिनों तक पुरानी घटनाये दोहरायें, अच्छा नहीं लगता। इसलिये भी हम आज यह चाहते हैं कि यह सदन आज उठ रहा है और चुनाव में जायेंगे सभी लोग, तो सबसे पहले हम सभी विधायकों को शुभकामनायें देते हैं कि सभी लोग पुनः चुनाव जीत करके आयें क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र का यह सार्वजनिक जीवन बड़ा कठिन है। हम लोगों को कभी-कभी एक साल, कभी दो साल और कभी तीन साल तक ही काम करने को मिलता है लेकिन इस बार हमारे सभी माननीय सदस्यों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सभी लोग पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रहें हैं। यह सदन जिस तरह से चला और आप लोगों ने अपना सहयोग दिया, इस सहयोग को देख करके ऐसा लगा कि जैसे पुराना जमाना आ गया हो-पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त, सम्पूर्णानन्द, चन्द्रभानु गुप्ता के समय का या चौधरी चरण सिंह के समय का हम चौधरी साहब के समय बाजपेयी जी की सीट पर बैठते थे और श्री राम सेवक यादव माननीय हुकुम सिंह जी की चेयर पर थे और चौधरी साहब टण्डन जी की सीट पर। यह गरिमाएं थी और महान परम्पराओं और गरिमाओं को बनाये रखा है हमारे सभी नेताओं ने, सभी सदस्यों ने। बहुत अर्से के बाद इस तरह से सहयोग मिला। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम लोकतान्त्रिक व्यवस्था को और मजबूत करें, क्योंकि आज यह हिन्दुस्तान का लोकतन्त्र जो है, उसमें बहुत सी शक्तियाँ ऐसी है, विदेशी भी ताकतें बहुत सी ऐसी हैं, जो हमारे लोकतन्त्र को पसन्द नहीं करती और कुछ ऐसी भी संस्थाये हैं जो लोकतंत्र और जन-प्रतिनिधयों को बहुत ज्यादा हेय दृष्टि से देखती हैं। मेरे पास प्रमाण हैं लेकिन कह नहीं सकता हूँ। यह लोग हम सभी लोगों को बेईमान कहते हैं हम बता भी चुके है, आप भी जानते हैं, सुल्तानपुर के एक विधायक हैं, ढाबा पर चाय की दुकान खोलें हुये हैं, कप-प्लेट साफ कर रहे हैं। सदन की भावनाओं के अनुसार हमने एक लाख रुपये उनको भेज दिये। इसी तरह से हमारे इटावा में दो विधायक थे, औरैया क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी जीत कर आयी थी, महेन्द्र लाल वर्मा हमारे इटावा के थे, बहुत लोग जानते हैं। अब कहना नहीं चाहिये, सच यह है कि प्रतिवर्ष हम लोग उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिये अपने पास से बोरा गेहूँ या जो कुछ भी अनाज होता था, भेजते थे, जब तक वह जिन्दा रहें यही हालत थी। आज उनके, रामचन्द्र ध्यानी के लड़के के बारे में बहुत चर्चायें हैं, उसके बारे में हम नहीं जाना चाहते हैं। माननीय राम नरेश यादव जी जानते हैं, यह समाजवादी आन्दोलन से जुड़े हुये थे। अचानक हम उनके गांव के बगल से गुजरे तो उन्हें देखने चले गये, देखने नहीं बल्कि मिलने चले गये। वह एक छोटी सी चारपाई जो बच्चों के लिए होती हैं, उस पर लेटे हुए थे गन्दे कपड़े और कुछ नहीं था हम कुछ साथी थे, मिल करके वही कुछ मदद की दवा के लिए, खाने के लिए भी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में हमें लोग जिस कठिन रास्ते पर जा रहे हैं, यह रास्ता सबसे कठिन है। हम कहते है कि डिग्रियाँ सभी प्राप्त कर लेंगे, एल0एल0बी0, इंजीनियर, मेडिकल, पी0एच0डी0, डी0लिट0 सब कुछ पास कर लेंगे, जीवन पास हो जाता है । सच्चाई के क्षेत्र में सन्यासी भी हो जाता है, अमर हो जाता है, उसकी पूजा हो जाती है। खिलाड़ी भी हो जाते हैं । शपथ जीवन भर की लेकिन राजनीतिक में कोई भरोसा नहीं कि कब ऊपर, कब नीचे कब असफल, कब सफल । इतना कठिन रास्ता है। इस कठिन रास्ते से हम लोग निकलकर हर पाँच वर्ष के बाद जनता के न्यायालय में जाते है और इसमें

कितना जन-सम्पर्क करना पड़ता हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कितना अच्छा सम्पर्क होना चाहिए राजनीति के लिए इन सब पहलुओं पर हमें विचार-विमर्श इसलिए करना चाहिए कि हम लोगों के बारे में राय बहुत खराब होती जा रही। माहौल बना दिया है कि केवल राजनीतिक करने वाले लोग बेईमान हैं और यह सब, आप सब हैं, एक दूसरे पर लाँछन लगाकर और शत्रुता की तरह से व्यवहार करते हैं। यहाँ हम कुछ बहस करेंगे, लेकिन हाथ मिलाकर हँसते हुये जाते हैं। यही परम्परा रही है। ऐसे कुछ साथी हैं, कभी भोज पर बुलाते थे, हम सब जाते थे। अब भी जाते हैं। हमसे शायद भूल हुई है कि हम सभी को बुला नहीं सके, यह भूल हमने आज सदन में महसूस की है।

सबको भोज के दिन साथ-साथ रहना चाहिये था, लेकिन हम नहीं दे सके, इसके लिये मुझे अफसोस है। लेकिन अब हमारी तरफ से कोताही नहीं होगी। आप चुनाव की कठिन कसौटी पर जा रहें है तो 25 लाख रूपया प्रति सदस्य को देते हैं, चाहे विधान परिषद् में हो या विधान सभा में हो, सबको 25 लाख रूपया विकास निधि के रूप में देते हैं।

(सदन के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं)

हम आभार व्यक्त करते हैं अध्यक्ष महोदय, आपका भी कि आपने जिस संयम और धीरज के साथ हमारे सदन की महान परम्पराओं को कायम रखा। सदन के अन्दर कभी-कभी बाधायें आती हैं, उसको आपने चैम्बर में नेताओं को बुलाकर सभी नेताओं से बात करके हल किया, समाधान निकाला और चाहे जितना कड़ुवाहट सदन में क्यों न आयी हो, उसको भी आपने समाप्त कराया। मुझे फख्र है कि आप ऐसे आसन पर बैठे हुये हैं। हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी विधान सभा का आपने सुचारू रूप से कार्य संचालन किया। हम अपने नेता विरोधी दल और नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कॉंग्रेस पार्टी, नेता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आज वह नेता नहीं हैं, दूसरे नेता हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हरिशंकर तिवारी जी और बहुत से हमारे निर्दलीय सदस्य हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने 3 साल कुछ महीने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है और हम ज्यादा से ज्यादा सत्र चला सकें हैं। इसमें सभी का पूर्ण सहयोग रहा है। हम अपने नेता विरोधी दल का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी ने अपनी विद्वता, लेखन और कविताओं से गरिमा बढ़ायी है। आप गीत भी लिखते हैं, स्वयं गाते भी हैं। कभी मौका सदन में नहीं मिला, विधान परिषद् में तो सदस्यों को मिल जाता था। कई सदस्य थे, शिवचन्द्र बाल्मीकि जी, काशीनाथ यादव जी, विधान परिषद् में भोजपुरी में गीत गा करके अपना भाषण देते थे। इसी तरह से टीकाराम पुजारी जी सदन में अपनी गीतों से कितना प्रभावित कर लेते थे। उनको कोई टोकता नहीं था, बाधा नहीं डालता था, सब सुनते थे। मुझे उम्मीद है कि आप चुनाव जीतकर आयें और सदन को गीतों से सुशोभित करें। यही हमारी शुभकामना है। हम चाहते हैं कि सदन के सभी माननीय सदस्य जिन्होंने एक अच्छी परम्परायें डाली हैं, उन परम्पराओं को और मजबूत करने के लिये पुनः जीतकर आयें। यही हमारी शुकामनायें हैं। आप सबकों बहुत-बहुत धन्यवाद।

* डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने विधायकों की बाद की स्थिति की चर्चा की है। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ इस पर भी जरा कुछ कह दें। एक बात और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था तो यहाँ के जो विधान सभा के रक्षक हैं उनका पौष्टिक आहार भत्ता 500 रूपया करने की घोषणा की थी, उसका आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। इनका भत्ता पुलिस के समान करने की बात थी। इस बीच पुलिसवालों का 600 रूपया हो गया है तो अगर उचित समझते हैं तो 600 रुपये का आदेश जारी करने पर विचार कर लें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अभी मा0 नेता विरोधी दल का एक पत्र आ भी गया है और ये मिल भी चुके हैं, हम देख लेंगे। पूर्व विधायकों के बारे में भी हम विचार कर लेंगे। जहाँ तक घोषणा की बात है तो बाहर भी घोषणा कर सकते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, चूँकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विकास निधि 25 लाख रूपया बढ़ाया है और इजाजत हो तो सम्पूर्ण सदन की ओर से आभार व्यक्त कर दूँ। वैसे अगर यह काम मा0 टण्डन जी कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं अपनी ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। नेता विरोधी दल चाहें तो सम्पूर्ण सदन की ओर से मुख्य मंत्री जी को बधाई दे दी जाय! मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के विकास के लिये एक अच्छा कदम उठाया है। मैं नेता सदन से आग्रह करना चाहता हूँ चूँकि आज सदन उठ रहा है आगे चुनाव आयोग चुनाव की तारीख तय करेगी और चुनाव होंगे इसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि हम सभी यहाँ कम से कम एक दिन के लिये पुनः बैठ लें अगर संवैधानिक रूप से संभव हो तो एक दिन के लिये चुनाव के पहले पुनः बैठ लें और यहाँ से एक अच्छे माहौल में जायं। जिस प्रकार पार्लियामेंट में फोटो सेशन होता है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी एक नई परम्परा बन जाय क्योंकि हो सकता है कि हममें से बहुतों को दुबारा यहाँ आने का मौका न मिले तो फोटो देखकर ही हम समझ लें कि कभी हम साथ बैठा करते थे इसलिये एक फोटों सेशन हो जाय। उस दिन हम एक अच्छे वातावरण में विदा होंगे। मुझे मालूम है कि आज मुख्य मंत्री जी को आई0ए0एस0 वीक में जाना है इसलिये उन्हें जल्दी है एक बार पुनः अनुरोध है अगर सम्भव हो तो एक बार पुनः एक दिन के लिये बैठ लेंगे। अन्त में पुनः मुख्य मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

भोजन के लिये किसी भी दिन आप सबकी सुविधा से नेताओं से बातचीत करके सादर आमंत्रित करता हूँ लंच और फोटों उस दिन हो जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मुख्य मंत्री जी जिस दिन लंच देंगे उस दिन डिनर के लिये मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ साथ ही साथ उनके सदाशयता को भी कि उन्होंने 25 लाख रुपये की विधायक निधि में वृद्धि की। इसके साथ ही साथ मैं दो बातें कहना चाहता हूँ मुख्य मंत्री जी की ओर से विधायकों और राजीनतिज्ञों की स्थिति की ओर इशारा किया गया। जब भी कोई कविता मंच से शुरू होती है तो उसमें सबसे ज्यादा नेताओं पर और पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा कटाक्ष होता है। एक कवि सम्मेलन हो रहा था उसमें एक ने कहा कि एक बिल्ली अपने किसी काम से जा रही थी तो एक खद्दरधारी उसका रास्ता काट गया।

श्री अध्यक्ष-

यह क्या सुना रहें हैं, यहीं सब बोलने के लिये खड़े हुये हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मुझे आठ लाइनें सुनानी है। चूंकि मुख्य मंत्री जी ने भी इस बात को कहा है और जो मुख्य मंत्री जी ने चिन्ता व्यक्त की है वहीं हमारी भी चिन्ता है। यहाँ पर सदन में साम्प्रदायिकता के ऊपर बहुत सारी बातें कही जाती है। हिन्दू मुसलमान के ऊपर बहुत बातें कही जाती हैं। मैं चार लाइनें सुना रहा हूँ।

"लाज लुटती है जो दंगे में किसी सीता की।
सारे पैगम्बरों की नींद उचट जाती है।
कत्ल जब राम का कोई रहीम करता है।
तो कुरान पाक उदासी में सिमट जाती है।।
क्योंकि बुनियाद है दोनों की इसी धरती पर।
टूटे मस्जिद तो शिवाले भी काँप जाते हैं।
किसी शरीफ नमाजी के कत्ल पर आँसू।।
ऐसा लगता है मन्दिरों के बुत गिराते हैं।।
भोंकता है जो छुरा पेट में इन्सानों के।
कोई हिन्दू या मुसलमान नहीं होता है।
इन दरिन्दों को किसी धर्म से न जोड़ों तुम।
कातिलों का कोई ईमान नहीं होता है।।"

श्री अध्यक्ष-

यह कवि सम्मेलन नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इन शब्दों के साथ मैं पुनः सभी को अग्रिम भविष्य की शुभ कामनाएं देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अरे यह कोई कवि सम्मेलन है ? यह सदन है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, चूँकि बात ऐसी आई थी।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आगे बढ़िये। आप बैठें। आज सभी प्रश्न उत्तरित माने जायेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया सुन लें। यह जो वेदना झलक रहीं है आदरणीय खन्ना जी की कभी उसका आप समाधान करने की कोशिश करेंगे। इतने दिन बीत गये। बुढ़ापा आ गया। इनकी कोई व्यवस्था करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप करायें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक अनुरोध है कि खन्ना जी की शादी करा दीजिये कम से कम इनके कविता पाठ से हम लोग बच तो जायं। किसी कविता नाम की लड़की से करा दें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बहुत मित्राणी होगीं किन्हीं से करा दें।

आज की कार्य-सूची के सभी प्रश्न उत्तरित माने जाने सम्बन्धी श्री अध्यक्ष के निर्देश

श्री अध्यक्ष-

आज की कार्य-सूची के सभी प्रश्न उत्तरित माने जायेंगे।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

* 1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[5 वें गुरु0 के नियम 38(2) के ता0 प्र0सं-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

---

* उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने हेतु वृक्षारोपण की योजना

*1-डॉ0 अजय कुमार-

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि क्या प्रदेश में वृक्षों की कमी के कारण पर्यावरण असन्तुलित हो रहा है ? यदि हां, तो प्रदेश में वृक्षारोपण कार्य हेतु इस वर्ष 2006 में क्या कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्तमान में प्रदेश में कितने प्रतिशत भू-भाग में वन क्षेत्र हैं ?

वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह)-

जी नहीं। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिर्पोट 2001 के अनुसार प्रदेश का कुल वनावरण तथा वृक्षावरण 21291 वर्ग कि0मी0 (भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.8 प्रतिशत) था। वर्ष 2003 की रिपोर्ट के अनुसार यह बढ़कर 21833 वर्ग कि0मी0 (भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.06 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार वनावरण तथा वृक्षावरण में 542 वर्ग कि0मी0 की वृद्धि हुई है।)

यद्यपि प्रदेश में वृक्षावरण में कमी नहीं हुई है फिर भी पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने एवं वृक्षावरण और अधिक बढ़ाने हेतु प्रदेश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2006 में वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना निरुपित की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में 36.05 करोड़ पौधों पर रोपण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वृक्षावरण एवं वनावरण 9.06 प्रतिशत है।

प्रदेश में बिजली चोरी की रोकथाम हेतु कार्यवाही की जानकारी

*2-डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली चोरी की रोकथाम हेतु क्या सरकार उन क्षेत्रों को चिन्हित कर उन क्षेत्रों में इन्सूलेटेड केबिल डालकर विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, ऊर्जा मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव-

(क)-जी हाँ।

(ख)-कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(ग)-प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा प्रदेश में वैट प्रणाली लागू करने पर विचार

*3-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में वैट को लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

राज्य सरकार वैट प्रणाली को सभी सुसंगत पहलुओं पर सम्यक विचारोपरांत लागू करने पर विचार करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 में बहती के आधार पर लोहा लेकर प्रवेश करने वाले व जाने वाले ट्रकों के अन्तर से उत्पन्न राजस्व हानि रोकने हेतु नीति

*4-कुवंर भारतेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल एवं बिहार से चेकपोस्ट नौबतपुर, जिला चन्दौली से वित्तीय वर्ष 2005-2006 में बहती के आधार पर लोहा लेकर प्रवेश करने वाले ट्रकों की संख्या एवं बहती खारिज करवाकर प्रदेश के विभिन्न चेकपोस्टों से बाहर जाने वाले ट्रकों की संख्या में भारी अन्तर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अन्तर के आधार पर प्रदेश सरकार को होने वाली करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसकी रोक-थाम हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ-

वित्तीय वर्ष 2005-08 में बहती के आधार पर नौबतपुर चेकपोस्ट से लोहा लेकर प्रवेश करने वाले ट्रकों की संख्या-34,944 है एवं बहती खारिज करवाकर जाने वाले ट्रकों की संख्या-33,684 है। इस प्रकार 1260 असत्यापित बहती के माध्यम से आयातित लोहे का बहती में घोषित मूल्य रुपये 7,198.60 लाख है। घोषित मूल्य के सापेक्ष लगभग रुपये 8650.00 लाख के विक्रय धन पर रुपये 346.00 लाख की कर देयता बनती है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948, की धारा 28-ख में पारगमन प्राधिकार पत्रों (बहती) से आच्छादित माल यदि प्रदेश के बाहर नहीं ले जाया जाता है तो ऐसे माल की बिक्री प्रदेश में ही कर दिये जाने की उपधारणा प्राविधानित है। इस उपधारणा के अनुरुप धारा 7(4) में कर-निर्धारण तथा धारा 15-क(1)(थ) में अर्थदण्ड निर्धारित किया जाता है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम 1948 के नियम-87 में पारगमन प्राधिकार पत्रों (बहती) को जारी किये जाने तथा उन्हें खारिज कराये जाने की प्रक्रिया तथा दायित्व का निर्धारण पूर्व से ही प्राविधानित है।

व्यापार कर अधिनियम तथा नियमों में प्राविधानित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम के नियम 4(2) में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत आयुक्त व्यापार कर उत्तर प्रदेश द्वारा अधिनस्थ अधिकारियों को समय-समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं। अद्यतन परिपत्र दिनांक 26-8-06 द्वारा परिवेक्षीय अधिकारियों को सहायता केन्द्र के अभिलेखों की नियमित जाँच आकस्मिक एवं विस्तृत निरीक्षण के समय किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा निरीक्षण कर्ता अधिकारियों का दायित्व भी निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2006-2007 में प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत पौधे लगाये जाने का अभियान

*5-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-2007 में प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसे कब तक पूरा कर लिया

जायेगा ? क्या सरकार वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रदेश के महानगरों में भी विशेष अभियान चलाकर लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह-

जी हाँ। वर्ष 2006-2007 में प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम में अन्तर्गत 3,605.30 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे 30 सितम्बर, 2006 तक पूरा कर लिया जायेगा।

प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति महानगरों में भी वृक्षारोपण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत सामान्य वृक्षारोपण कार्यक्रम के अतिरिक्त स्वतंत्रता दिवस एवं शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष अभियान के रूप में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कार्य योजना

*6-डॉ0 सुशील चौधरी-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 जनवरी 2004 से 31 जुलाई, 2006 तक कितने बाल श्रमिक चिन्हित किये गये हैं ? क्या सरकार कांच उद्योग, बीड़ी उद्योग, पीतल उद्योग, कालीन उद्योग में लगे बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (डॉ0 वकार अहमद शाह)-

प्रदेश में 01 जनवरी से 31 जुलाई 2006 तक निरीक्षण के माध्यम से कुल 1,491 बाल श्रमिक चिन्हित हुये हैं, जिसमें 187 बाल श्रमिक खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में तथा 1,304 बाल श्रमिक गैर खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में चिन्हित हुये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व से ही इन उद्योगों में चिन्हित बाल श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु भारत सरकार की इण्डस बाल श्रम परियोजना एवं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित है।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु उपाय

*7-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने मेगावाट हाइड्रो एवं थर्मल विद्युत उत्पादन हो रहा है ? क्या विद्युत उत्पादन औसत से कम हो रहा है ? सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने के कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश में तापीय विद्युत गृहों से लगभग 2300-2500 मेगावाट तथा जलीय विद्युत गृहों से 400 मेगावाट (विष्णु प्रयाग से आयात सहित) उत्पादन हो रहा है।

विद्युत उत्पादन आवश्यकता से कम है।

जी हाँ। निम्नवत् उपाय किये जा रहें हैं:-

(1) वर्तमान तापीय एवं जलीय विद्युत गृहों की पुरानी इकाइयों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण।

(2) नयी उत्पादन क्षमता का सृजन।

प्रश्न नहीं उठता।

*8-श्री जगदीश नारायण राय

[3 सरे सोमवार के ता0प्र0सं0-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

डीजल पर लगाये गये व्यापार कर को घटाने पर विचार

*9-डॉ0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार महंगाई पर नियंत्रण लगाने के लिये डीजल पर लगाये गये व्यापार कर को घटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रदेश के राजस्व में डीजल से प्राप्त कर के महत्वपूर्ण योगदान के दृष्टिगत फिलहाल डीजल पर लगाये गये व्यापार कर को कम करने का विचार नहीं है।

उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन एवं प्रदेश का विकास

*10-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन हुये कितना समय हो गया है ? इस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के सदस्यों एवं अध्यक्ष की सुख सुविधा, या" आदि पर कितना व्यय प्रति वर्ष किया गया है तथा उ0प्र0 विकास परिषद् ने आज तक के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का क्या-क्या विकास किया है ? उसका ब्लू-प्रिन्ट क्या है ? क्या ब्लू-प्रिन्ट के अनुसार कार्य किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)-

उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन 15-10-2003 को हुआ। इस प्रकार इसका गठन हुये 3 वर्ष व्यतीत हो चुके है।

इस 3 वर्ष के कार्यकाल में केवल एक मा0 सदस्य की यात्रा पर रू0 14,020.00 मात्र व्यय हुआ है। वर्षवार विवरण निम्नवत है:-

वर्ष 2003-2004 में	रू0 शून्य
वर्ष 2004-2005 में	रू0 शून्य
वर्ष 2005-2006 में	रू0 शून्य
वर्ष 2006-2007 में	रू0 14,020.00 मात्र

मा0 अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के यात्रा पर कोई व्यय नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की विभिन्न बैठकों में किये गये संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा कई नीतियां घोषित की गई हैं। इसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में लगभग रू0 80, 000 करोड़ के आशय पत्र/इच्छा पत्र भारत सरकार में दाखिल किये गये हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में कई वर्षों बाद ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का कार्य केवल राज्य सरकार को विभिन्न विषयों पर संस्तुति देने का है, न कि कोई निर्णय लेने का। अतः उत्तर प्रदेश विकास परिषद् अपना कोई ब्लू प्रिन्ट तैयार नहीं करती है। विभिन्न विभागों द्वारा अपनी कार्य योजना स्वयं तैयार की जाती है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के पशु-चिकित्सक के विरूद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के पशु चिकित्सालय, गंगापुर के चिकित्सक के विरुद्ध आर्थिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी शिकायत दिनांक 01-07-05 प्रमुख सचिव, पशुधन अनुभाग-1 को प्राप्त हुयी है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)-

जी हाँ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र पर जांच करायी गई। जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है जिस पर निर्णय लिये जाने की कार्यवाही क्रमित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में सूत व कपड़े के उत्पादन वृद्धि के लिये विशेष कार्ययोजना की जानकारी

2-श्री राम नरेश यादव-

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से लगातार सूत व कपड़े का उत्पादन गिर रहा है ? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है ? क्या सरकार उत्पादन में वृद्धि के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राना)-

जी हाँ।

प्रदेश की सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र में स्थापित मिलों का आधुनिकीकरण/विविधीकरण न होना, विपरीत बाजारी दशाओं आदि के कारण अधिकांश मिलें बन्द हो गयी हैं। मिलों के बन्द होने से उचित दरों पर सूत की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फलस्वरूप कपड़े के उत्पादन में कमी आई है।

प्रदेश की सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को पुनर्वासित करने हेतु व्यापक निर्णय लिये गये हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कतिपय मिलों को दीर्घकालीन लीज पर दिया जाना प्रमुख हैं।

लीज पर लेने वाले पट्टेदारों को कतिपय सुविधायें भी दिये जाने का विनिश्चिय है। सहकारी क्षेत्र की मिलों को चलाने हेतु परिसमापक द्वारा विक्रय करने पर क्रेताओं को वहीं सुविधायें अनुमन्य की जानी हैं, जो दीर्घकालीन मिलों को चलाने वाले क्रेताओं को दी जानी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा पुराने लखनऊ में बाधित विद्युत आपूर्ति की समस्या का निराकरण

3-डॉ0 विनोद तिवारी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेगें कि पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद व नैपियर रोड कालोनी भाग-2 में बाधित विद्युत आपूर्ति की समस्या का निराकरण सरकार द्वारा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद तथा नैपियर रोड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति स्थायी रूप से कभी बाधित नहीं रही है। अस्थायी व्यवधान जिसमें फ्यूज का उड़ना, तारों का टूटना, जम्पर जलना तथा पतंग गिरने से फीडर की ट्रिपिंग आदि सम्मिलित है, को त्वरित कार्यवाही करके दूर किया जाता है। विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बुनकरों की समस्याओं के समाधान हेतु विचाराधीन कार्य-योजना की जानकारी

4-श्री राम नरेश यादव-

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बुनकरों की समस्याओं के समाधान हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश सिंह राणा-

बुनकारों के व्यापक कल्याण हेतु निम्नलिखित योजनायें भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रहीं है:-

1-दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।

2-विपणन प्रोत्साहन योजना।

3-10% रिबेट योजना।

4-निर्यातोन्मुखी उत्पादों के विकास एवं विपणन हेतु सहायता।

5-आवासयुक्त कार्यशाला योजना।

6-बुनकर बहबूदी फण्ड।

7-एक्सपो एवं प्रदर्शनी।

8-थिफ्ट फण्ड योजना।

9-पावरलूम बुनकरों को ऊर्जा की आपूर्ति में रिबेट।

10-इन्टीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क योजना के अन्तर्गत पिलखुआ गाजियाबाद में टेक्सटाइल सेंटर की स्थापना।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 से निम्नलिखित योजनाएं प्रारम्भ की गयी है:-

1-इन्टीग्रेटेड हैण्डलूम क्लस्टर विकास योजना।

2-महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना।

3-हेल्थ इन्श्योरेंस योजना।

प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गाँधी-ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद-आजमगढ़ के गाँवों में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना

5-श्री राम नरेश यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के फूलपुर विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रमीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र गांवों में स्थापित किये जाने की कोई योजना सरकार के विचारधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर विधान सभा क्षेत्र में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बागबहार निर्माण हेतु स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा विद्युत पोल लगवाकर विद्युत आपूर्ति कराये जाने सम्बन्धी आदेश पर कृत कार्यवाही

6-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्र संख्या-999, दिनांक 04 अप्रैल, 2006 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, शाहजहांपुर को मोहल्ला लोधीपुर में विद्युत पोल लगवाकर विद्युत आपूर्ति करायें जाने हेतु आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

मोहल्ला लोधीपुर में दो विद्युत पोल व कण्डक्टर लगाकर लाईन में माह जुलाई, 2006 में विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

7-श्री चौधरी महेन्द्र सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्राइवेट वाहन को जारी परमिट में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के लिए आरक्षण व्यवस्था

8-श्री चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा प्राइवेट वाहन चालने हेतु जारी किये जा रहें परमिटों में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के लिये आरक्षण व्यवस्था लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्भागीय/अन्तः सम्भागीय अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट स्वीकृत करने में उदारनीति प्रभावी है अर्थात इन मार्गों पर परमिटों की संख्या का परिसीमन नहीं है। कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति/गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति उदार नीति के तहत परमिट प्राप्त कर सकता है।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 में जनपद मुजफ्फरनगर में गांवों का विद्युतीकरण किया जाना व विद्युत गृह का निर्माण

9-श्री परमजीत-

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2006-2007 में जनपद-मुजफ्फरनगर में कुल कितने गांवों को विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य है ? क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बतायेंगे कि जनपद में 133 के0वी0ए0 के कुल कितने विद्युत गृह का निर्माण प्रस्तावित हैं तथा उनका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2006-2007 में ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामों के विद्युतीकरण का कोई लक्ष्य नहीं है।

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2006-2007 में कुल चार, 132 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित है। दो उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा दो के भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में विद्युत सामान्य योजना सिंचाई कार्य हेतु कनेक्शन के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की जानकारी

10-श्री परमजीत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बघरा जनपद-मुजफ्फरनगर से वर्ष 2004 से मार्च, 2006 तक विद्युत सामान्य योजना सिंचाई कार्य हेतु कनेक्शन के लिए कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए एवं उनमें से कुल कितने स्वीकृत किए गये तथा कितने विचाराधीन हैं ? विचाराधीन प्रार्थना पत्रों को कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र बघरा जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2004 से मार्च 2006 तक सामान्य योजना में सिंचाई हेतु कुल 60 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए एवं सभी स्वीकृत कर दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जपपद बलरामपुर के 139 तुलसीपुर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति

11-श्री मशहूद खाँ-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र 139 तुलसीपुर को मानक के अनुसार विद्युत आपूर्ति न कराकर कुछ ही घण्टे विद्युत आपूर्ति करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या मानक के अनुसार रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक तथा दिन में 11 बजे से सांय 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मानक के अनुसार प्रतिदिन 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है तथा विद्युत की उपलब्धता के आधार पर विद्युत आपूर्ति करायी जाती है। जनपद बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्र में अक्टूबर, 2006 में औसत 13 घण्टे 50 मिनट की विद्युत आपूर्ति की गयी थी।

साप्ताहिक रात्रि एवं दिन कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक सप्ताह अदल-बदल कर मानक के अनुसार प्रतिदिन 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के यथा सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की जानकारी

12-श्री मशहूद खाँ-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के अनुरूप किराया लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने का मानक है तथा प्रतिदिन विद्युत की उपलब्धता के आधार पर आपूर्ति करायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्टूबर, 2006 में औसत 14 घण्टे 17 मिनट की विद्युत आपूर्ति की गयी थी।

लागू टैरिफ के अनुसार ही ग्रामीण क्षेत्रों की बिलिंग की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 सण्डीला, जनपद-हरदोई के सेवानिवृत्त लाइनमैन को सेवानिवृति लाभों के भुगतान सम्बन्धी जानकारी

13-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वसी रजा, लाइनमैन, जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 सण्डीला, जनपद हरदोई से दिनांक 31-01-2005 को सेवानिवृत्त हो गये है, के सेवानिवृत्ति लाभों यथा फण्ड एवं पेंशन आदि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त सेवानिवृत्त कर्मी को फण्ड एवं पेंशन आदि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

श्री वसीरजा, लाइनमैन के निम्नलिखित सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान किया गया है मात्र जी0पी0एफ0 के भुगतान का प्रकरण अन्तिम निस्तारण की प्रक्रिया में है :-

1-शतू-प्रतिशत पेंशन प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है तथा पेंशन भुगतान नियमित किया जा रहा है।

2-ग्रेच्युटी का भुगतान शत-प्रतिशत रू0-1,85,955.00 एवं रू0-1,74,472.00 विद्युत वितरण खण्ड- प्रथम हरदोई द्वारा दि0-25-4-2005 को किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी0पी0एफ0 का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जाएगा।

परिवहन विभाग में पदोन्नति आर0टी0ओ0 तथा ए0आर0टी0ओ0 के पदों पर अनु0जाति का आरक्षण कोटा

14-श्री राम हेत भारती-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवहन विभाग में आर0 आई0 पद से पदोन्नति करके आर0टी0ओ0 तथा ए0आर0टी0ओ0 के पदों पर अनु0 जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल-

उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990 में की गयी व्यवस्थानुसार आर0आई0 पद से आर0टी0ओ0 के पदों पर प्रोन्नति किये जाने का प्राविधान नहीं है, वरन् आर0टी0ओ0 के पद पर ए0आर0टी0ओ0 के पद से पदोन्नति का प्राविधान है, आर0टी0ओ0 पद पर अनु0जाति का आरक्षण पूरा है।

ए0आर0टी0ओ0 के पचास प्रतिशत पदों को पी0टी0ओ0 एवं आर0 आई0 (टी0) पद पर कार्यरत कार्मिकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है, जिसमें आर0 आई0 (टी0) के लिये अलग से आरक्षण निर्धारित नहीं है।

ए0आर0टी0ओ0 के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित जाति का आरक्षण पूर्ण नहीं है, जिसके सापेक्ष उपलब्ध रिक्त पदों को भरे जाने हेतु पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है।

तत्समय पदोन्नति हेतु अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे।

लखनऊ में राजाजीपुरम् कालोनी के पास विद्युत लाइनों में कटिया डाल कर विद्युत आपूर्ति बाधित किये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

15-श्री कृष्ण कुमार उर्फ सतीश कुमार वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाजीपुरम् कालोनी, लखनऊ में पारा रोड पर नाग मन्दिर के पास रखे ट्रांसफार्मर से आपूर्ति की जाने वाली विद्युत लाइनों में मंदिर के आस-पास के लोगों द्वारा कटिया डालने से दिनांक 2, 3, 28 तथा 29 जुलाई, 2006 को 18-20 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही ? यदि हां, तो विद्युत चोरी करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

लखनऊ के राजाजीपुरम् क्षेत्र में पारा रोड पर शिवपुरम कालोनी में एक शिव मन्दिर स्थापित है जहां 400 के0वी0ए0 का एक परिवर्तक लगा है। इसी मन्दिर को नाग मन्दिर के नाम से जाना जाता है। सम्बन्धित क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति कटिया डालने से नहीं बल्कि विद्युत तार टूटने एवं शट डाउन लेने के कारण बाधित रही जिसका विवरण निम्नवत् हैं।

1-दि0 02-07-06 को 06:35 घंटे।

2-दि0 03-07-06 को 07:10 घंटे।

3-दि0 28-07-06 को 07:25 घंटे।

4-दि0 29-07-06 को 05:45 घंटे।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत आपूर्ति कटिया डालने से नहीं बल्कि तार टूटने एवं शट डाउन होने से बाधित हुई ।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

16-श्री सदल प्रसाद-

[5वें गुरु0 के अता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर के नगर पंचायत बांसगांव में विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन हेतु फीडर की व्यवस्था

17-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत बांसगांव, जनपद गोरखपुर में विद्युत व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन हेतु नगर पंचायत-बांसगांव में एक नये फीडर की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

नगर पंचायत बांसगांव जनपद गोरखपुर की विद्युत व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये नगर पंचायत बांसगांव (कस्बा) को ग्रामीण क्षेत्रों से अलग करने हेतु एक नया फीडर बनाने की कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है।

शीघ्र ही पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव के बांगरमऊ वि0 खं0 क्षेत्र के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि को भू-माफियाओं द्वारा कब्जे से मुक्त कराया जाना

18-श्री राम शंकर पाल-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के बांगरमऊ वि0 खं0 क्षेत्र के अन्तर्गत वन विभाग की सैकड़ों बीघा भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर वन विभाग की भूमि को भू-माफियाओं से कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह-

बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वन विभाग की बहलोलपुर कट्टर में 21.68 है0 तथा डंडिया सुनौरा में 0.1645 है0 क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला वन विभाग के संज्ञान में आने पर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी तथा मामला मा0 न्यायालय में विचारधीन है।

अतिक्रमित वन भूमि को कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, मध्य क्षेत्र ने दिनांक 14-9-2006 द्वारा वन संरक्षक, अवध वृत्त को निर्देश दे दिये गये है कि वे स्वयं स्थल का निरीक्षण कर अतिक्रमित भूमि को तत्काल खाली करायें। कार्यवाही प्रगति पर है।

19-श्री अनवर महमूद-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

अनुतोषिक राशि के भुगतान सम्बन्धी उपायुक्त राज्य निर्वाचन-आयोग (स्थानीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत) लखनऊ के पत्र पर कृत कार्यवाही

20-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" तथा श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपायुक्त राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत) लखनऊ का पत्र संख्या-1981/रा0नि0आ0/ अनु0-3/2001, दिनांक 25 अगस्त, 2001 जो घायलों तथा मृतकों के अनुतोषिक राशि रु0 1,15,000/- के भुगतान के सम्बन्ध में था, सचिव, पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कर्यावाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) -

जी हां। मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम नगरिया खुर्द विकास खण्ड जैतीपुर का विद्युतीकरण किये जाने संबंधी पत्र

21-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती उषा यादव, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, जैतीपुर, जनपद-शाहजहांपुर के पत्र पर ग्राम नगरिया खुर्द का विद्युतीकरण कराने हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय के आदेश पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/-12908/2005, दिनांक 27-07-05 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण खण्ड, मध्यांचल, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी , यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

ग्राम नगरिया खुर्द विकास खण्ड जैतीपुर के विद्युतीकरण का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो गया है तथा शेष कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर ग्राम का विद्युतीकरण कार्य पूरा करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आलमबाग डिपों लखनऊ में सेवारत बस चालक स्व0 श्री श्याम सिंह को वार्षिक वेतनवृद्धि संम्बन्धी अनियमितताओं संबंधी जानकारी

22-श्री बादशाह सिंह-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि आलमबाग डिपों लखनऊ में सेवारत रहें बस चालक श्री श्याम सिंह का देहान्त दिनांक 11 मार्च, 2004 को हो गया था ? क्या यह सत्य है कि स्व0 सिंह को प्रथम नियुक्ति से उनके सेवारत रहने की तिथि तक उनके वेतन में एक बार भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं प्राप्त कराया जा सका ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर सम्पूर्ण वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ तथा उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिये जाने के आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी नहीं।

स्व0 श्री श्याम सिंह, चालक को सेवावधि में नियमानुसार वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ नियमानुसार दिया गया है तथा इनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ भी मिल रहा है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र द्वाबा में विद्युत उपकेन्द्र लोक धाम का निर्माण कार्य

23-श्री भरत सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र द्वाबा, जनपद बलिया में 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र लोक धाम, चौरटिया में बनकर तैयार है ? यदि हां, तो उक्त उपकेन्द्र कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र द्वाबा में 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र लोकधाम (चांद दियर) का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात्।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र द्वाबा में चयनित गांवों का विद्युतीकरण।

24-श्री भरत सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र द्वाबा, जनपद बलिया में विधायक के सुझाव पर वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में विद्युतीकरणा हेतु गांवों का चयन किया गया था ? क्या यह सही है कि चयनित गांवों का विद्युतीकरण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो चयनित गांवों का विद्युतीकरण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्ष 2000-2001 में पांच ग्राम चयनित किये गये थे। वर्ष 2001-2002 में कोई ग्राम चयनित नहीं किया गया था।

जी हां।

चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जगमोहन पुत्र स्व0 संतराम यादव चालक सिद्धार्थनगर को मृतक आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रकरण

25-श्री मशहूद खाँ-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, माननीय मुख्य मंत्री के पत्र संख्या ए एन-2179938-सी0एम-1/04, दिनांक 4-11-2004 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम को जगमोहन पुत्र स्व0 संतराम यादव, चालक सिद्धार्थनगर को मृतक आश्रित के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या श्री जगमोहन की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी में कर ली गयी ? यदि नहीं, तो कब तक कर ली जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

सचिव मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-ए0 एन0/2179938/सीएम-1/04, दिनांक 4-11-04 नहीं बल्कि पत्र संख्या-ए एन/217938/सीएम-1/04, दिनांक 4-11-04 प्राप्त हुआ था। जिसके द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर न्यायोचित कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत परिवहन विभाग के आदेश दिनांक 17-04-2002 द्वारा तत्पश्चात् सार्वजनिक उद्यम विभाग के आदेश संख्या-05 बीआईपी/44-2-03-च0स0/88, दिनांक 11-07-2003 के द्वारा प्रदेश के ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम जो लाभप्रद की स्थिति में नहीं है, अर्थात जिनमें संचित हानि है अथवा सरप्लस कर्मचारी हैं, उन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में उनके सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में उसके आश्रित को सेवायोजन में लिये जाने की सुविधा को समाप्त कर दिये जाने के कारण स्व0 श्री संतराम यादव के मृतक आश्रित को सेवायोजन का अवसर नहीं है।

26-श्री मुंशी लाल गौतम-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला कानपुर नगर की तहसील बिल्हौर के अन्तर्गत आवासीय मकानों में हाईटेंशन लाइन अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

27-डॉ0 अजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जिला-कानपुर नगर की तहसील बिल्हौर के अन्तर्गत ग्राम सभा इलियासपुर में रकबा संख्या-66 पर मुसर्रत हुसैन के मकान के ऊपर से 11 हजार हाईटेंशन लाइन गुजरने के कारण ग्रामवासियों को हर समय जानमाल का खतरा बना रहता है तथा विगत वर्ष में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हाईटेंशन लाइन को आवासीय इलाके से हटाकर अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

11 हजार हाईटेशन लाइन का निर्माण वर्ष 1965 में किया गया था। अभिलेखों के अनुसार उस समय कोई भी आबादी या मकान विद्युत लाइन के नीचे नहीं थे। वर्तमान समय में उक्त लाइन के नीचे जगह-जगह आबादी व मकान बन गये है।

जी नहीं।

संबंधित व्यक्तियों द्वारा लाइन शिफ्टिंग करने का पैसा जमा करने के उपरान्त ही नियमानुसार कार्य कराना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत 800/400 के0वी0 सब स्टेशन एवं पारेषण लाइन निर्माण में की गयी अनियमितता की सी0बी0आई0 जाँच

28-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत 800/400 के0वी0 सब-स्टेशन एवं पारेषण लाइन निर्माण में की गयी अनियमितता एवं आडिट रिपोर्ट के

अनुपालन में रुपये 19.00 करोड़ के सीज करने पर बैठाये गये आर्बिट्रेशन को तत्काल निरस्त कर सम्पूर्ण प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 1.8.06 जो कि प्रमुख सचिव, (मुख्य मंत्री) उ0प्र0 एवं प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 पी0सी0एल0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कारपोरेशन एवं मै0 हुण्डई ई0 कंस्ट्रक्शन कं0 लि0/मैं0 आर0पी0जी0 के मध्य विवादों की मध्यस्थता के प्रकरण अन्तिम चरण में हैं। प्रकरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

29-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[6ठे गुरु के अता0प्र0सं0-52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में नवनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र ढखवा से विद्युत आपूर्ति की मांग

30-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में नवनिर्मित 33/11 विद्युत उपकेन्द्र ढखवा से विद्युत आपूर्ति कब तक शुरू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी में नवनिर्मित 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र ढ़कवा के अवशेष कार्य हेतु समस्त सामग्री प्राप्त कर ली गयी है एवं कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। कार्य समाप्त होने के पश्चात् विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद के व्यापार कर विभाग के विशेष अनुसन्धान सेल में कार्यरत टी0टी0ओ0 के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

31-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि व्यापार कर विभाग के विशेष अनुसन्धान सेल, गाजियाबाद के कार्यरत टी0टी0ओ0, श्री अशोक कुमार (निलम्बित) के विरुद्ध जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

श्री अशोक कुमार, व्यापार कर अधिकारी विशेष अनुसंधान सेल गाजियाबाद में नहीं अपितु वह सहायता केन्द्र भोयापुर गाजियाबाद में तैनात थे, जिन्हें आदेश दिनांक 16-06-05 द्वारा निलम्बित किया गया था। जांच आख्या के क्रम में उन्हें बहाल कर दिया गया है परन्तु इसी प्रकरण से सम्बन्धित वाद मा0 न्यायालय में लम्बित होने के कारण विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के विधायक की सहमति से 5 गांवों के विद्युतीकरण की कार्ययोजना

32-श्री भरत सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-2005 में प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के विधायक की सहमति से 5 गांवों के विद्युतीकरण की कोई कार्ययोजना बनाई गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस हेतु धन का आवंटन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

33-श्री भरत सिंह-

[6ठे गुरु के अता0 प्र0सं0-53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र द्वाबा के दिधार व नारायणगढ़ विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण कार्य

34-श्री भरत सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र द्वाबा, जनपद-बलिया के 132 के0वी0ए0 दिधार एवं 33 के0वी0ए0 नारायणगढ़ विद्युत उपकेन्द्र का शिलान्यास वर्ष 2001 में हुआ था ? यदि हां, तो उक्त उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र द्वाबा जनपद बलिया के 132 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण के लिये निविदायें आमंत्रित की जा रहीं हैं तथा कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा।

33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नारायणगढ़ का निर्माण तकनीकी कारणों से 132 के0वी0 उपकेन्द्र दिधार के बनने के बाद ही किया जा सकता हैं

अतः नारायणगढ़ में नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण 132 के0वी0 उपकेन्द्र दिधार के बाद ही कराया जाना संभव होगा।

उपरोक्तानुसार।

जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सरकारी धन का कथित दुरुपयोग

35-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अछिरौली, विकास खण्ड-बभनजोत जनपद-गोण्डा के ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा विगत 05 वर्षों में जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सरकारी धन के दुरुपयोग

की जांच कराये जाने की मांग उक्त गांव सभा के निवासियों द्वारा की गयी थी, जिस पर प्रमुख सचिव, पंचायती राज ने अपने पत्रांक संख्या 64 सी0एम0/33-1-05-12 सी (प्रा0)/05 दिनांक 4 मार्च, 2005 तथा स्मरण पत्र दिनांक 27 मई, 2005 द्वारा जिलाधिकारी, गोण्डा को जांच हेतु आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी हां।

जांच से शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई हैं। अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

आर0टी0ओ0 द्वारा प्रत्येक जिले में वाहन पंजीकृत करते वक्त पंजीयन टैक्स लेने सम्बन्धी प्रकरण

36-श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में वाहन रजिस्ट्री फीस कितना प्रतिशत है ? क्या वाहन के मूल्य तथा सेलटैक्स के योग मूल्य पर व्यापार कर लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार आर0टी0ओ0 द्वारा प्रत्येक जिलों में वाहन पंजीकृत करते समय लिये जा रहे वाहन तथा व्यापार कर के योग के मूल्य पर पंजीयन टैक्स लेने पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वाहन का पंजीयन शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है और यह शुल्क सभी प्रदेशों में समान है। प्रदेश में दो पहिया वाहन का पंजीकरण शुल्क रु0 60.00 तथा चार पहिये निजी वाहन का पंजीकरण शुल्क रु0 200.00 है।

केवल वाहन के मूल्य पर व्यापार कर लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में बांसगांव स्थित पशु चिकित्सालय में पशुचिकित्सक की तैनाती

37-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु चिकित्सालय, बांसगांव, जनपद-गोरखपुर में पशुओं के उपचार हेतु कोई पशु चिकित्सक तैनात नहीं है ? क्या शासन द्वारा इस पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक का पद स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब तक पशु चिकित्सक की तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

डॉ0 रवीन्द्र नाथ, पशुचिकित्साधिकारी तैनात हैं।

जी हाँ।

डॉ0 रवीन्द्र नाथ,

पशुचिकित्साधिकारी तैनात हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में उद्योगों को विद्युत आपूर्ति व उनसे प्राप्त राजस्व की जानकारी

38-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने प्रतिशत विद्युत उद्योगों में दी जा रही है और कितने प्रतिशत राजस्व, उद्योगों द्वारा अर्जित किया जाता है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

गैर सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेश में कुल विद्युत की 20.35 प्रतिशत विद्युत उद्योगों को दी जा रहीं है और कुल राजस्व का 42.88 प्रतिशत राजस्व उद्योगों से प्राप्त किया गया।

इलाहाबाद में पशुओं के इंजेक्शन में फंगस पाये जाने की जांच व कृत कार्यवाही

39-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अगस्त 2006 के पहले सप्ताह में इलाहाबाद में पशुओं के इंजेक्शन में फंगस पाया गया है ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह-

जी हां। शिकायत मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद द्वारा राजकीय पशुचिकित्सालय, जीरो रोड, इलाहाबाद पर उपलब्ध दवाओं की जांच करायी गयी। आपूर्तित एनटोसिन दवा के वायल में फंगस जैसा दिखायी दिया, जिसे सील करके जांच हेतु सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, कलकत्ता भेजा गया है।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के इंटक के अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अध्यक्ष को प्रस्तुत मांग-पत्र पर कृत कार्यवाही

40-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश इंटक के अध्यक्ष श्री अशोक सिंह के नेतृत्व में हाइड्रो इलैक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन उत्तर प्रदेश के द्वारा 11 सूत्रीय मांग पत्र दिनांक 18-08-06 को राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया ? यदि हां, तो उक्त मांग-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियम उत्तर प्रदेश के द्वारा 11 सूत्रीय मांग पत्र दिनांक 03-07-06, प्रदेश इंटक के अध्यक्ष श्री अशोक सिंह के नेतृत्व में दिनांक 18-08-06 को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया।

मांग-पत्र के बिन्दुओं पर यूनियन के अध्यक्ष व अन्य प्रतिनिधियों को वस्तुस्थिति से पावर कारपोरेशन के पत्र दिनांक 18.08.2006 द्वारा अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में विद्युत उपकेन्द्रों में रिक्त पड़े एस0डी0ओ0 के पदों पर तैनाती

41-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कितने ऐसे विद्युत उपकेन्द्र हैं जिन पर एस0डी0ओ0 कार्यरत नहीं हैं ? उक्त रिक्त पड़े विद्युत उपकेन्द्रों पर एस0डी0ओ0 की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद शाहजहांपुर में एक नं0 220 के0वी0 एवं एक नं0 132 के0वी0 उपकेन्द्र कार्यरत है।

220 के0वी0 उपकेन्द्र पर एक सहायक अभियन्ता कार्यरत है।

312 के0वी0 उपकेन्द्र के सहायक अभियन्ता के सेवा निवृत्त होने के कारण पद रिक्त हैं, जिसका अतिरिक्त कार्यभार वहां पर कार्यरत सहायक अभियन्ता (परीक्षण एवं परिचालन) द्वारा सुचारू रूप से निष्पादित किया जा रहा है।

नये सहायक अभियन्ताओं की भर्ती हेतु प्रक्रिया चल रहीं है। सहायक अभियन्ता आवंटित होते ही तैनाती कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्येक जनपद में वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में वृक्ष लगाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

42-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-सी0एम0/ वि0को0 आर-8899/2005 दिनांक 3 अगस्त, 2005 द्वारा 15 अगस्त, 2005 से प्रत्येक जनपद में कम से कम 10 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण करने हेतु निर्देश दिये गये थे एवं इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के सभी सरकारी कार्यालयों/चिकित्सालयों में सभी सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम से कम एक पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया था ? यदि हां, तो जनपद शाहजहांपुर में किन-किन स्थानों पर और किन-किन अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण कराया गया है ? क्या लगाये गये वृक्ष मौके पर उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो इस योजना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह-

जी हां।

राजकीय पालीटेक्निक विद्यालय, शाहजहांपुर में 10 एकड़ क्षेत्र में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 15-08-2005 को जिले के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 4400 पौधों का रोपण

किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कार्यालय परिसर तथा अन्य उपलब्ध स्थानों पर कुल 279 पौधों का रोपण किया गया।

राजकीय पालीटेक्निक, शाहजहांपुर में 10 एकड़ भूमि पर लगाये गये 4400 पौधों में से 3779 पौधे पर उपलब्ध है जिसकी सफलता 85.89 प्रतिशत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी भत्ता योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-2006 तथा 2006-07 में लाभार्थियों की संख्या

43-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में अब तक कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 वकार अहमद शाह-

वर्ष 2005-06 में बेरोजगारी भत्ता योजना लागू नहीं थी। वर्ष 2006-07 में दिनांक 5-9-2006 तक 1,73,582 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लि0 के छटनीशुदा कर्मचारियों का राजकीय मुद्रणालय में समायोजन

44-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लि0 के छटनीशुदा कर्मचारियों को राजकीय मुद्रणालय में न्यूनतम पद व वेतनमान में समायोजित किया गया है ? क्या खनिज निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों को संगत शासनादेश के अनुसार पैतृक विभाग के समान पद एवं वेतनमान दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ख्वाजा हलीम-

सूचना एकत्र की जा रही है।

सरकार द्वारा बन्द की जा चुकी कताई मिलों के कर्मचारियों को बकाया देय धनराशि का भुगतान

45-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1984 से 1986 के मध्य स्थापित कताई मिलें, सरकार द्वारा बन्द की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो उक्त कताई मिलों के कर्मचारियों का बकाया अर्जित वेतन, भविष्य निधि एवं स्वैच्छिक सेवानिवृति हितलाभ का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ख्वाजा हलीम-

प्रदेश में सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र में वर्ष-1984 से 1986 के मध्य स्थापित कुल 12 कताई मिलों में 5 कताई मिलें विधिक रूप से बंद हो चुकी हैं और 1 कताई मिल उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत आ जाने के फलस्वरूप उत्तरांचल सरकार को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

बन्द कताई मिलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लागू कर इसके अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान अधिकांश कर्मियों को कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कताई मिलों से सम्बन्धित कम्पनियाँ औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) में पंजीकृत हैं, और रूग्ण घोषित हैं। इसके दृष्टिगत सार्वजनिक क्षेत्र की बंद कताई मिलों के कर्मचारियों के अर्जित वेतन एवं भविष्य निधि के भुगतान की कार्यवाही बीआईएफआर द्वारा निर्देश पारित होने पर हो सकेगी। इसी प्रकार सहकारी क्षेत्र की बन्द कताई मिलों, जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा-73 के अन्तर्गत परिसमापनाधीन हैं, के कर्मियों के अर्जित वेतन एवं भविष्य निधि का भुगतान नियुक्त परिसमापकों द्वारा ही नियमानुसार किया जा सकेगा।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में बरेली से खपरिया शाहजहांपुर तक बस का संचालन

46-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद-शाहजहांपुर में बरेली से खपरिया शाहजहांपुर तक बस चलाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र पर माननीय मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-/149705/2006 दिनांक 19-07-2006 प्रबन्ध निदेशक, सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

बरेली से खमरिया (शाहजहांपुर) तक पर्याप्त संख्या में यात्री उपलब्ध न होने के कारण बस संचालित करने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर से जैतीपुर होते हुये बुधवाना तक बस संचालन पर प्रश्नकर्ता के अनुरोध पत्र पर कृत कार्यवाही

47-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या परिवाहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद-शाहजहांपुर के अन्तर्गत शाहजहांपुर से जैतीपुर होते हुये बुधवाना तक बस चलाने हेतु प्रश्नकर्ता के अनुरोध पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/ एम-149706/2006 दिनांक 19-07-2006 प्रबन्ध निदेशक, सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल-

जी हां।

उल्लिखित मार्गों का सर्वेक्षण कराया गया। गढ़िया रंगीन से तिलहर तक मार्ग संकरा होने एवं गढ़िया रंगीन-बुधवाना मार्ग का बरुआ बुधवाना मार्ग की सड़क ठीक न होने के कारण उक्त मार्गांश बस संचालन योग्य नहीं है।

खमरिया-गढ़िया रंगीन-फतेहगंज पूर्वी होते हुये शाहजहाँपुर एक बस संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर से जैतीपुर तक बस संचालन हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

48-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद-शाहजहांपुर में शाहजहांपुर से जैतीपुर तक बस चलाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री का0 पत्र0 संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-/149704/2006 दिनांक 19-07-2006 प्रबन्ध निदेशक, सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल-

जी हां।

मार्ग का सर्वेक्षण कराया गया। मार्ग का तिलहर-जैतीपुर तक का 16 कि0मी0 अंश अत्यन्त सकरा है। अतः मार्ग बस संचालन योग्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी में विधायक निधि से प्राप्त धन से विद्युत प्रणाली में सुधार कार्य सम्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

49-श्री प्रागी लाल अहिरवार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, मऊरानीपुर, जनपद-झांसी में प्रश्नकर्ता को विधायक निधि से विद्युत प्रणाली में सुधार हेतु ग्राम सभा धबा कर, बगरौनी, कोटरा, पंचमपुरा, बुखारा के लिये वर्ष 2004-05 में आगमन के अनुसार दिया गया धन विभाग को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो एक वर्ष बीतने के बाद भी उक्त कार्य पूर्ण नहीं किये गये ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कार्यवाही की जा रही है।

विभाग को धनराशि मार्च 2006 में प्राप्त हुई।

31-12-2006 तक

प्रश्न नहीं उठता।

उच्च नस्लों की गायों की बढ़ोत्तरी के लिये शासन द्वारा नीति निर्धारण

50-श्री राम करन आर्य-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च नस्लों के गायों की बढ़ोत्तरी के लिये शासन द्वारा क्या कोई नीति बनायी गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल के बस्ती मण्डल में हरियाणा या साहीवाल नस्ल की गायों की बढ़ोत्तरी के लिये पशु गर्भाधान केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह-

जी हां।

बस्ती मण्डल में हरियाना या साहीवाल नस्ल की गायों की बढ़ोत्तरी हेतु पूर्व से ही पशु गर्भाधान केन्द्र कार्यरत हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

कृत्रिम गर्भाधान	केन्द्रों की सं0
विभागीय	97
बायफ	23
अन्य	22

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि बस्ती मण्डल की मांग पर प्राकृतिक गर्भाधान हेतु छः हरियाना एवं चार साहीवाल सांड़ क्षेत्र में वितरित किये गये हैं एवं भविष्य में मांग के अनुसार और भी सांड़ क्षेत्र में वितरित किये जायेगें।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी में प्रस्तावित 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना व निर्माण कार्य सम्बन्धी जानकारी

51-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या झांसी में लगभग तीन वर्ष पूर्व 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त उपकेन्द्र की स्थापना कर दी गई है ? यदि नहीं, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ, झांसी नगर में 220 के0वी0 उपकेन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव बुन्देलखण्ड विकास पैकेज के अन्तर्गत दिनांक 27-10-2005 को स्वीकृत हुआ है। यह प्रस्ताव 3 वर्ष पूर्व स्वीकृत नहीं हुआ था।

जी नहीं।

उपकेन्द्र हेतु भूमि चयनित कर ली गयी है एवं अधिग्रहण हेतु गजट नोटीफिकेशन निर्गत हो चुका है। भूमि उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि0 को प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उपकेन्द्र के पोषण हेतु प्रस्तावित 220 के0वी0 लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

सरकार की वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत झांसी विधान सभा क्षेत्र में लगाये गये वृक्षों की संख्या व व्यय की गयी धनराशि

52-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत झांसी, विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में कितने वृक्ष लगाये गये और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ? उनमें से कितने वृक्ष जीवित हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह-

जी हां। झांसी वन प्रभाग के अन्तर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्र झांसी में वर्ष 2004-05 में झांसी सेना भूमि पर 08 हे0क्षेत्र में कुल 8,800 पौधों तथा झांसी शहर में विभिन्न मार्गों पर 1,069 पौधों (कुल 9,869 पौधों) का ब्रिक गार्ड बनाकर पौधों का रोपण किया गया है। इस पौध रोपण पर कुल रु0 13,67,900.00 का व्यय किया गया है।

कुल 9,869 रोपित पौधों में से 8,733 पौधे माह जून, 2006 की स्थिति के अनुसार जीवित हैं।

झांसी के ग्राम पिछोर में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् का दुग्ध अवशोधन केन्द्र का सुचारु रूप से कार्य करने के सम्बन्ध में जानकारी

53-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पिछोर झांसी में स्थित उ0 प्र0 राज्य दुग्ध परिषद् का दुग्ध अवशोधन केन्द्र मशीनों की खराबी एवं आवश्यक उपकरणों के अभाव में सुचारु रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार आवश्यक उपकरण कब तक उपलब्ध करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्रप्रभार) (श्री कामेश्वर उपाध्याय)-

जी नहीं।

ग्राम पिछोर, जनपद झांसी में दुग्ध अवशीतन केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् भारत सरकार की आई0डी0डी0पी0 योजना से प्राप्त बल्क कूलर स्थापित होकर दिनांक 16-05-05 से कार्य करना प्रारम्भ कर चुका है तथा माह अगस्त, 2006 में 5000 ली0 क्षमता का एक अतिरिक्त आई0एम0सी0यू0 की स्थापना कर माह सितम्बर, 2006 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। वर्तमान में अवशीतन केन्द्र की कोई आवश्यक मशीनरी खराब नहीं है तथा आवश्यक उपकरणों का अभाव भी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी के ग्राम पिछोर में दुग्ध अवशीतन केन्द्र में फ्रीजर का ढंग से कार्य न करने से सम्बन्धित प्रकरण

54-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् द्वारा ग्राम पिछोर झांसी में दुग्ध अवशीतन केन्द्र में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना के दुग्ध अवस्थापना मद में

55 लाख रु0 आवंटित कर दो हजार लीटर क्षमता के इस पलांट ने 16-05-05 से काम करना प्रारम्भ किया था इसमें दो डीप फ्रीजर लगाये गये थे परन्तु एक फ्रीजर शुरू से ही खराब पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर फ्रीजर की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कामेश्वर उपाध्याय-

उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् द्वारा ग्राम पिछोर, झांसी में दुग्ध अवशीतन केन्द्र में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के दुग्ध अवस्थापना मद में वर्ष 2001-02 में रु0 55.00 लाख आवंटित कर 2000 लीटर क्षमता के इस प्लान्ट ने दिनांक 16-05-05 से काम करना प्रारम्भ किया था।

दो डीप फ्रीजर जिला योजना वर्ष 1995-96 के अन्तर्गत प्राप्त हुये थे। डीप फ्रीजर का चिलिंग प्लान्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि यह मिल्क मार्केटिंग हेतु प्रयोग होता है। इसमें से एक डीप फ्रीजर खराब पड़ा हुआ है।

प्रकरण की जांच क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, झांसी मण्डल से करायी गयी। क्षेत्रीय दुग्धशाल, विकास अधिकारी, झांसी द्वारा प्रबन्धक, दुग्ध संघ, झांसी को उक्त डीप फ्रीजर की मरम्मत हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में उक्त डीप फ्रीजर की मरम्मत करायी जा चुकी है तथा डीप फ्रीजर सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत गाँवों का विद्युतीकरण

55-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सण्डीला जनपद-हरदोई के कितने गांव वर्ष 2005 तथा 2006 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत चयनित किये गये ? उनमें से कितने गांवों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गांवों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत वर्ष 2005-2006 एवं वर्ष 2006-2007 में क्रमशः 47 ग्राम एवं 110 (कुल 157) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित किये गये हैं।

इनमें से कुल 11 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

शेष ग्रामों का विद्युतीकरण मार्च, 2007 तक कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

जनपद हरदोई के कासिमपुर (बेहदर) में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 33 के0वी0 सब स्टेशन की स्थापना

56-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कासिमपुर (बेहदर) जनपद-हरदोई में 33 के0वी0 सब स्टेशन राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अथवा अन्य योजना में स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त सब स्टेशन कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत ग्राम कासिमपुर में 33 के0वी0 उपकेन्द्र राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली के जिला पंचायत के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा विधान सभा क्षेत्र सरेनी के सम्पर्क मार्गों के निर्माण करवाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

57-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन अध्यक्ष, जिला पंचायत, रायबरेली का पत्र दिनांक 05-03-2005 जो विधान सभा क्षेत्र सरेनी के सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

उक्त पत्र में संलग्न सूची में उल्लिखित निर्माण कार्यों को निर्मित कराने हेतु शासनादेश सं0-700/33-सेल /2005-24/2003, दिनांक 15-06-05 द्वारा स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन विभाग में अनु0 जाति के आरक्षित कोटे के अनुरूप अधिकारी पदों की तैनाती

58-श्री रामहेत भारती-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में संभागीय निरीक्षक तथा यात्री कर अधिकारी के पदों पर अनु0 जाति के आरक्षित कोटे के अनुरूप अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल-

सम्भागीय निरीक्षक के पदों पर अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटे के अनुरूप अधिकारी तैनात हैं यात्रीकर अधिकारी के पदों पर अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटे के अनुरूप अधिकारी तैनात नहीं हैं।

सम्भागीय निरीक्षक के कुल स्वीकृत 39 पदों में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 08 पदों के सापेक्ष 08 अनुसूचित जाति के कार्मिक तैनात हैं। यात्रीकर अधिकारी के कुल 62 पदों में अनुसूचति जाति हेतु आरक्षित 14 पदों के सापेक्ष 07 अनुसूचित जाति के कार्मिक तैनात हैं।

यात्रीकर अधिकारी के कुल 62 पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती के 31 पदों में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 07 पदों के सापेक्ष 05 अधिकारी कार्यरत हैं। 02 रिक्त पदों पर चयन कराने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है तथा पदोन्नति कोटे के 31 पदों में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 07 पदों के सापेक्ष 02 अधिकारी तैनात हैं। 04 पदों पर पदोन्नति की संस्तुति लोक सेवा आयोग से प्राप्त हो चुकी है परन्तु याचिका सं0-12966/95 बालकृष्ण पाण्डे व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 04-07-2001 के कारण पदोन्नति आदेश निर्गत किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। 01 पद सहायक अभियोक्ता (परिवहन) हेतु आरक्षित है जिसके लिये पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं।

जनपद बलिया स्थित ग्राम सभा सोनपरता के ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विकास कार्यों के लिये आहरित धनराशि में अनियमिततायें

59-श्री भरत सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बलिया, तह0-बैरिया, विकास खण्ड-मुरलीछपरा के ग्राम सभा सोनपरता के ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ने दिनांक 28-11-05 से 20-06-06 तक जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विकास कार्यों हेतु लगभग रु0 3,76,235.00 की धनराशि आहरित की गयी है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि के कराये गये कार्यों की सूची सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विकास कार्य न कराकर आहरित धनराशि हड़प ली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां, किन्तु बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रु0 3,76,135.00 की ही धनराशि आहरित की गयी है।

जी हां। सूची संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट 109-110 पर)

जनपद बलिया स्थित ग्राम सभा सोनपरता में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विकास कार्यों के धन की अनियमिततायें

60-श्री भरत सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बलिया, तह0-बैरिया, विकास खण्ड-मुरलीछपरा के ग्राम सभा सोनपरता के ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ने दिनांक 26-10-2006 से 13-06-2006 तक विकास कार्यों हेतु लगभग रु0 13,99,500.00 की धनराशि

आहरित किया है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की सूची सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विकास न कराकर आहरित धनराशि हड़प ली गई है ? यदी हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी हां। (सूची संलग्न)

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 111-113 पर)

जनपद बलिया अन्तर्गत ग्राम सभा सोनपरता में छात्रवृत्ति पेंशन द्वारा लाभान्वित छात्र/व्यक्ति का प्रकरण

61-श्री भरत सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बलिया, तह0-बैरिया, विकास खण्ड-मुरलीछपरा के ग्राम सभा सोनपरता के ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ने दिनांक 26-08-05 से 21-05-06 तक छात्रवृत्ति पेंशन हेतु लगभग रु0 3,12,120.00 आहरित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि से कितने छात्र/व्यक्ति लाभान्वित हुये हैं ? क्या सरकार उनकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री बलराम यादव-

जी हाँ।

990 छात्र/व्यक्ति लाभान्वित हुये हैं।

जी हाँ। सूची संलग्न है।

(सूची के लिये देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 114-116 पर)

जनपद इलाहाबाद में विकास खण्ड प्रतापपुर अन्तर्गत वित्त योजना निधि एवं विविध विकास शिक्षा निधि का धन हड़पने का मामला व दोषियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

62-श्री धर्म सिंह सैनी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम हरीपुर-पट्टी विकास खण्ड-प्रतापपुर, जिला इलाहाबाद के ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दशम, ग्यारहवां, बारहवां वित्त योजना निधि एवं विविध विकास शिक्षा निधि का सम्पूर्ण धन हड़प लिये जाने की शिकायत फूलचन्द यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य, हरीपुर पट्टी ने खण्ड विकास अधिकारी, प्रतापपुर को दि0 22-04-2006 को लिखित रूप से दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच करके दोषी कर्मचारियों एवं प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदी नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

63-श्री राम हेत भारती-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा हैदरगढ़ में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य को पूर्ण किया जाना

64-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सदर विधान सभा हैदरगढ़ में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुये तथा क्या स्वीकृत कार्य पूर्ण करा दिये गये ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त कार्य पूरे करा दिये जायेंगे ?

श्री बलराम यादव-

वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सदर विधान सभा क्षेत्र, प्रतापगढ़ में 58 ग्राम पंचायतों में 3864 शौचालय एवं 14 ग्राम पंचायतों में 18 प्राइमरी/अपर प्राइमरी विद्यालयों में स्कूल शौचालय निर्माण कार्य की स्वीकृति देते हुये धनराशि ग्राम पंचायतों को दी गयी है, जिसके सापेक्ष 480 व्यक्गित शौचालयों तथा 5 स्कूल शौचालयों का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम, लि0 में हुये करोड़ों रुपये के घोटाले की सी0 बी0 आई0 जांच

65-श्री नरेन्द्र शिशौदिया -

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विशेष सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या-2242/पीएसएचई0, दिनांक 11-07-2006 जो प्रमुख सचिव (गृह) को सम्बोधित है, जिसमें उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 में हुये 9.00 करोड़ के घोटाले की सी0 बी0 आई0 जांच कराने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर स्थित टाण्डा में नेशलन थर्मल पावर कारपोरेशन के क्षमता विस्तार के लिये भूमि अधिग्रहण का मामला

66-श्री लालजी वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर के क्षमता विस्तार के लिये ग्राम-सलाहपुर रज्जौर, हासिमपुर, फतेहपुर आदि ग्रामों की कृषि योग्य भूमि अथवा उक्त ग्रामों की आबादी की भूमि का अधिग्रहण किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का विवरण क्या है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के कतिपय सड़कों का ग्यारहवें वित्त आयोग से डामरीकरण कराने की स्वीकृति

67-श्री अनीस अहमद खाँ-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-5 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि प्रश्नगत सड़क के डामरीकरण हेतु धनराशि की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का डामरीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

धनराशि की उपलब्धता न होने के कारण।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 की जितनी सूचनाएं आई थीं सब स्वीकार कल ली गयी हैं। केवल 4 की पुनरावृत्ति हुई थी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री पूर्णमासी देहाती और श्री आर0एस0 कुशवाहा की जो अस्वीकृत हुई हैं और बाकी 16 सूचनाएं सारी स्वीकृत हो गई हैं।

(सभी स्वीकृत सचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

आवास विकास परिषद् मेरठ कार्यालय द्वारा नियमानुसार रजिस्ट्रियां न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा अपनी योजनाओं में आवासीय भवनों पर काबिजदारों के पक्ष में रजिस्ट्री कराने हेतु कुछ नियमों के साथ विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे जिसमें यह नियम लगाया गया था कि कब्जाधारी के पास प्रथम पक्ष का अलाटमेंट लेटर, मकान पर कब्जे का कोई एक निम्न सबूत जैसे- 1-बिजली का बिल, 2-टेलीफोन बिल, 3-पंजीकृत अनुबन्ध-पत्र, 4-अपंजीकृत अनुबन्ध-पत्र, 5-पावर आफ अटार्नी इत्यादि होना चाहिये। लेकिन खेद का विषय है कि चन्द रजिस्ट्रियां करने के उपरान्त मेरठ कार्यालय उपरोक्त नियम पर रजिस्ट्री नहीं कर रहा है जिसके कारण आमजन गम्भीर समस्या से जूझ रहे हैं। उपरोक्त नियम से रजिस्ट्री होती रहनी चाहिये।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतापगढ़ के तहसील मुख्यालय पट्टी पर 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के अधूरे निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[जनपद प्रतापगढ़ के तहसील मुख्यालय पट्टी पर 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण ऊर्जा विभाग द्वारा कई वर्षों से कराया जा रहा है जो अभी तक अपूर्ण है अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति में उप महाप्रबन्धक, डिजाइन सर्किल, मुख्यालय लखनऊ की उदासीनता के कारण कार्य की प्रगति बाधित है। विभाग द्वारा निर्धारित कार्य योजना अवधि के भीतर कार्य को पूर्ण नहीं कराया जा रहा है। जिसके कारण उससे पोषित होने वाले 14 विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के0वी0 के प्रभावित हैं। कई हजार लोगों का हित इससे जुड़ा है।

अतः लोक महत्व के जनहित से जुड़े इस अविलम्बनीय विषय पर अविलम्ब निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आगरा जेल प्रशासन द्वारा कैदियों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री गेहूँ में किये गये कथित घोटाले की जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[जनपद आगरा में राशन की कमी को लेकर हल्ला मचाने वाले जेल प्रशासन के अधिकारी खुद कैदियों के राशन में काफी समय से हेराफेरी के कार्य करते चले आ रहे हैं। कैदियों की रोटी का सौदा करने वाले जेल के अधिकारियों की कारगुजारी का भण्डाफोड़ हिन्दुस्तान समाचार-पत्र में दिनांक 26 नवम्बर को प्रकाशित भी किया गया है। इस गोरखधन्धे के खुलासे का गवाह खुद सिटी मजिस्ट्रेट श्री धर्मेन्द्र सिंह और उनकी टीम है जिसने क्षेत्रीय खाद्य गोदाम से जेल का गेहूं लेकर चले ट्रक में 53 बोरे गेहूं कम पाये और जेल खाद्यान्न विभाग रजिस्टर सील कर दिये। इतनी बड़ी खाद्यान्न सामग्री का घोटाला होने के बाद भी जेल प्रशासन इसे बड़ी गलती मानने को तैयार नहीं है। इस प्रकरण की तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे भविष्य में इस तरह घोटाले न हों।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

लखनऊ के मुहल्ला ओम नगर आलमबाग में गन्दे पानी की निकासी हेतु अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवेन्द्र सिंह-

[अवगत कराना है कि श्री भाल चन्द्र तिवारी मकान नं0 557/14 (ख) ओम नगर आलमबाग लखनऊ के ठीक सामने से मुहल्ले में लगभग 100 मीटर तक पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण प्रतिदिन मकानों से बाहर निकलने वाला गन्दा पानी तथा बरसात का पानी बाहर गली में इकट्ठा हो जाता है जिससे संक्रामक रोग फैलने की पूरी सम्भावना बनी रहती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उक्त मोहल्ले में तत्काल अण्डर ग्राउण्ड पाइप विछाकर गन्दे पानी के निकलने की अविलम्ब व्यवस्था करने का कष्ट करें ताकि वहां के नागरिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े।]

राज्य सम्पत्ति विभाग की लखनऊ स्थित महानगर एवं बादशाहनगर सचिवालय कालोनी की जर्जर दशा एवं अनुरक्षण में व्याप्त अनियमिततायें समाप्त कर अध्यासियों को बेहतर सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

*श्री छोटे लाल वर्मा-

[आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान राज्य सम्पत्ति विभाग की लखनऊ स्थित सचिवालय कालोनी, महानगर एवं राजकीय बादशाहनगर कालोनी की जर्जर दशा एवं अनुरक्षण में व्याप्त अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह दोनों कालोनियां 40 वर्ष से अधिक पूरानी हैं जिनमें अनुरक्षण कार्य स्थानीय अनुरक्षण इकाई के माध्यम से किया जाता है। जहां अध्यासियों को या तो यह कहा जाता है कि कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं अथवा कर्मचारी हैं परन्तु सामान नहीं है। फलतः छोटी-छोटी मरम्मत के लिये अध्यासियों को बार-बार दौड़-धूप करनी पड़ती है जबकि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पर्याप्त धनराशि/सामग्री उपलब्ध करायी जाती रही है।

2-अनुरक्षण की दूसरी प्रकृति वह है जिसमें अध्यासियों के अनुरोध पर विशेष अनुरक्षण कार्य के लिये राज्य सम्पत्ति विभाग को विभाग द्वारा ऐसे आवेदनों पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान तो की जाती है किन्तु इसकी सूचना सप्रयास अध्यासी को कभी भी नहीं दी जाती है। परिणामस्वरूप कागजों पर कार्य पूर्ण होना दिखा दिया जाता है जबकि वस्तुतः अधिकांश मामलों में स्वीकृति के अनुसार कार्य होता ही नहीं है और धनराशि व्यय मान ली जाती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा जिन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाय, उनका भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करवाया जाय तथा अध्यासियों से लिखित पुष्टि भी करवायी जाय। वरना इस कालोनियों के अनुरक्षण हेतु सरकार द्वारा प्रति वर्ष आवंटित की जाने वाली धनराशि का दुरुपयोग होता रहेगा। मैं अतः शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये सरकार से इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही तथा अनुरक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का अनुरोध करता हूं।]

गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल में पुलिस सेना के मृतक आश्रितों की नियुक्ति उनकी योग्यता के अनुरूप नियमानुसार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, मृतक आश्रित सेवा नियमावली, 1974 के प्रथम पृष्ठ पर ही राजाज्ञा संख्या 6-12-1973 (नियुक्ति अनुभाग) का हवाला देते हुये कहा गया है कि यदि राजकीय कर्मचारी की मौत सरकारी ड्यूटी के दौरान या सेवाकाल में हुयी हो तो उसके आश्रित को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी उसी विभाग में अनुकम्पा के आधार पर दे दी जायेगी। नियमावली में यह भी स्पष्ट है कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मृतक का आश्रित, जिस दिन आवेदन करता है, उसके 30 दिनों के भीतर सारी जांच पड़ताल करते हुये, उसकी शैक्षणिक योग्यता का हनन न करते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी उसे सेवा नियोजित कर देंगे।

गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के करीब 18 शहीद पुलिस कर्मियों के प्रस्ताव, क्षेत्रीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा बनाकर नियुक्ति प्राधिकारी डी0आई0जी0 स्थापना को प्रेषित किये गये हैं, चिकित्सीय तथा शैक्षणिक योग्यता की जांच हो गयी है, लेकिन 15 महीनों से शासन स्तर पर निर्णय नहीं लिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन मृतक आश्रितों पर दबाव डाला जा रहा है कि अपनी शैक्षणिक योग्यता का हनन करते हुये उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) के स्थान पर कांस्टेबिल (सिपाही) पद पर कार्य ग्रहण करें।

महोदय, यह मृतक सेवा नियमावली, 1974 का उल्लंघन है। अतः विधान सभा की कार्य प्रक्रिया नियमावली के निमय-301 के तहत शासन वक्तव्य/जवाब देने हेतु निर्देशित करे।]

मुजफ्फरनगर जनपद के ग्राम बुटरारी में नदी में पुल निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हुकुम सिंह-

[मुजफ्फरनगर जनपद के कृष्णा नदी के आस-पास के ग्रामीण अंचलों में वर्षों से जल स्तर गिरने के कारण सरकार ने हाल ही में जलस्तर को रोकने हेतु कुछ स्थानों पर बंधों का निर्माण कराया है। तहसील शामली के ग्राम बुटरारी एवं झील के बीच ऐसा ही बांध का निर्माण हुआ है। ग्राम बुटरारी में बहुत बड़ी संख्या में दलित एवं अति पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं जिनकी अधिकांश भूमि नदी के पश्चिम में स्थित है और आबादी नदी से पूरब दिशा में स्थित है बांध बनने से नदी का जलस्तर 08-09 फुट ऊंचा हो गया है, जिससे गांव वालों को खेती की देखभाल के लिये नदी पार करना संभव नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा सर्वेक्षण करने के उपरान्त नदी में पुल बनाने की योजना बनाई गयी है तथा 132 लाख रु0 का आंकलन तैयार किया गया है। परन्तु कई अनुपूरक आने के बावजूद अभी तक उक्त पुल के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं हो पाई है जिससे गरीब कृषकों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पुल निर्माण हेतु अविलम्ब धनराशि अवमुक्त की जाय।]

जामिया इस्लामिया विद्यालय मुजफ्फरपुर, आजमगढ़ की आलमियत की शिक्षा को पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर व उसके अधीनस्थ कालेजों में प्रवेश हेतु इण्टर के समकक्ष मान लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम नरेश यादव-

[जामिया इस्लामिया विद्यालय मुजफ्फरपुर, आजमगढ़ में एक अच्छी शिक्षण संस्था के रूप में चल रहा है। इसमें प्राथमिक कक्षाओं से लेकर आलमियत की कक्षा तक छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस समय लगभग आठ सौ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसमें अरबी, उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र इत्यादि विषयों को पढ़ाया जाता है। आलमियत की डिग्री प्राप्त किये हुये छात्रों का प्रवेश इण्टर के समकक्ष मानकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में बी0ए0 में लिया जाता है। किन्तु पूर्वांचल विश्वविद्यालयय एवं अन्य महाविद्यालयों में आलमियत डिग्री प्राप्त लड़कों का प्रवेश बी0ए0 में नहीं हो पाता है क्योंकि इण्टर की मान्यता उसे नहीं प्राप्त है इसलिये हजारों छात्रों का भविष्य अन्धकार में पड़ा हुआ है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि लोकहित में आलमियत की डिग्री को इण्टर के समकक्ष मानकर पूर्वांचल विश्वविद्यालय तथा अधीनस्थ महाविद्यालयों तथा अन्य महाविद्यालयों में बी0ए0 में प्रवेश की अनुमति सरकार देने की कार्यवाही करें ताकि उन छात्रों को भी बी0ए0 करने के बाद रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके।]

अम्बेडकर नगर के ग्राम फूलपुर/अजमेरी बादशाहपुर को घाघरा नदी में कटान से बचाने के लिये ठोकर लगाये जाने तथा पक्का घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा-

[ग्राम-फूलपुर/अजमेरी बादशाहपुर तहसील-टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर घाघरा नदी के किनारे बसा है। उक्त ग्राम के घाघरा नदी के कटान से अनेक घरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। शासन द्वारा उक्त नदी के कटान को रोकने के लिये कोई उपाय नहीं किया जा रहा है जिसके कारण आम जनता में आक्रोश एवं रोष व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं तात्कालिक प्रश्न पर सदन के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये ठोकर लगाये जाने तथा पक्का धार बनाने की मांग करता हूं।]

शाहाबाद जनपद रामपुर के खण्ड विकास अधिकारी को जांच में दोषी पाये जाने के बावजूद अब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री काशीराम-

[अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तत्कालीन ब्लाक प्रमुख श्रीमती सवित्री यादव ने दिनांक 04-01-05 को थाना शाहाबाद जनपद रामपुर में खण्ड विकास अधिकारी राम सुमेर गौतम के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया जिसमें जांच के दौरान राम सुमेर गौतम को दोषी ठहराया तथा जिलाधिकारी, रामपुर अपने पत्र संख्या-73/न्याय दिनांक 1 जून, 2006 को शासन को अभियोग चलाने हेतु पत्र लिखा, परन्तु आज तक अभियोग चलाने वाली पत्रावली पर शासन स्तर से ग्राम्य विकास विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। पत्रावली को जानबूझकर, प्रकरण को दबाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से जल्द से जल्द कार्यवाही करने के आदेश सम्बन्धित अधिकारी को देने का कष्ट करें ताकि जनपद स्तर पर सम्बन्धित बी0डी0ओ0 के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद देवरिया के ग्राम सबवत और बसन्तपुर घूसी पर छोटी गण्डक नदी पर पक्का अथवा पीपे का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीनानाथ कुशवाहा-

[जनपद देवरिया के अन्तर्गत ग्राम सबवत अहिरौली मोहन मुडेरा, गमीपट्टी श्यामपुर चिकिहिया मुगलपुरा छोटी गण्डक के किनारे स्थित है आजादी के 58 साल बाद ये गांव जिला मुख्यालय से सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़ पाये हैं। विदित हो इन गांवों के बच्चे छोटी गण्डक को पार करके नदी उस पार पर शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज में पढ़ने जाते हैं। विगत बरसात में नाव पलट जाने से 40 बच्चे नदी में डूबने से बाल-बाल बच गये, सबवत और बसन्तपुर घूसी के बीच छोटी गण्डक पर पक्का पुल या पुल बनना जनहित में अतिआवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये सबवत और बसन्तपुर घूसी पर छोटी गण्डक पर पक्का पुल या पीपे का पुल बनाने की मांग करता हूं।]

सीतापुर के हरगांव क्षेत्रान्तर्गत हरगांव लहरपुर मार्ग से जैतापुर क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम हेत भारती-

[जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-हरगांव में हरगांव लहरपुर मार्ग से जैतपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण लेपन स्तर तक गांधी ग्राम योजना से किया गया था। वर्तमान में यह सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण तथा क्षतिग्रस्त है पूरा रोड उखड़ गया है बड़े-बड़े गड्ढे हो गये जिस कारण उक्त मार्ग पर क्षेत्रवासियों को आने-जाने में काफी कठिनाई का समाना करना पड़ रहा है। जिसके कारण क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश भी व्याप्त है।

अतएव इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये हरगांव लहरपुर मार्ग से जैतापुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

हरदोई जनपद के बड़ागांव तथा अर्जुनपुर के मध्य कुण्डा नदी पर पुल बनवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव-

[हरदोई जनपद में बड़ागांव तथा अर्जुनपुर के मध्य कुण्डा नदी बहती है इसके दोनों ओर फर्रुखाबाद तथा हरदोई जिलों के मुख्यालय जोड़ने हेतु पक्की डामर की सड़कें बनी हैं परन्तु बीच में कुण्डा नदी पर पुल न बने होने के कारण दोनों जिलों की जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे दोनों जिलों की जनता में घोर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त कुंडा नदी पर पक्का पुल बनवाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत कब्रिस्तान की भूमि की हदबन्दी कराकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखदेव राजभर-

[प्रदेश सरकार द्वारा इस बात का निर्णय लिया गया कि कब्रिस्तान एवं मस्जिद की जमीन पर आये दिन अवैध ढंग से लोग कब्जा कर लिया करते हैं जिससे विवाद पैदा हो जाता है ऐसी दशा में परिपदादेश संख्या 13724/4-50ई/87, दिनांक 11-11-87 तथा शासनादेश संख्या-82/एफ/8822(38)88-628 मा-9 दिनांक 07-04-89 का हवाला देते हुये कहा गया कि प्रदेश में वक्फ सम्पत्ति तथा कब्रिस्तान एवं मस्जिद की जमीनों को हदबन्दी कराकर राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट करा दिया जाय। मगर तहसील लालगंज जनपद आजमगढ़ के विधान सभा लालगंज में आज भी न तो ऐसी भूमि की हदबन्दी कराकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया। जैसाकि ग्राम कुजरांव तहसील लालगंज में आराजी नं0-24 कब्रिस्तान मौके पर ग्रामीण लोग आज तक प्रयास किये मगर अभिलेख में नहीं दर्ज कराया गया। इस प्रकार पूरे लालगंज विधान सभा में मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश है तथा आये दिन मांग हो रही है ताकि कोई विवाद न हो।

यदि यथाशीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो लोग आन्दोलित हो सकते हैं और स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अस्तु इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा इरनी में शारदा सहायक खण्ड-23 नहर पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा इरनी विकास खण्ड-टेकमा में शारदा सहायक खण्ड-23 नहर की पटरी पर पुल न होने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो गये हैं। जनता को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की मांग है कि आने-जाने के लिये एक चौड़ा पुल का निर्माण हो जाये तो जनहित में आवश्यक है पुल न बनने के कारण जनता में काफी आक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त ग्राम सभा में पुल निर्माण कराने की मांग करता हूँ।]

वाराणसी जनपद के सेवापुर विकास खण्ड में लवानडीह पर बने पार्क के नलकूप की मरम्मत एवं औषधियों के उत्पादन और उनकी देखभाल करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रंगनाथ मिश्र-

[सेवापुरी में वन विभाग ने 60 लाख की लागत से पार्क का निर्माण किया है जहां पर औषधियों के भी पेड़ लगाये गये हैं किन्तु विगत 3 वर्ष से नलकूप खराब होने से पार्क के सभी पेड़

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सूख गये हैं साथ ही विद्युत बकाये के कारण बिजली भी नहीं दी जा रही है साथ ही वहां पर बने अतिथि भवन की भी कोई देखभाल नहीं हो पा रही है। उपरोक्त समस्या का निदान हेतु शासन तत्काल जनहित में कार्यवाही करे। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 300 की कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुयी थीं जिसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है। पहली सूचना श्री हुकुम सिंह की विधान सभा सत्र चलने के दौरान माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन के बाहर घोषणायें किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की स्टिंग आपरेशन सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिश पर सदन में कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है यह चूंकि स्थगित है। तीसरी सूचना श्री कौशल किशोर की मृतक आश्रित लेखपाल प्रशिक्षुओं का वेतन सम्बन्धी शासनादेश जारी करने एवं वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार की प्रदेश में सर्दी के मौसम में चौराहों पर अलाव जलाने, गरीबों को कम्बल वितरित करने एवं ठंड से मरने वालों के परिवार के आश्रितों को अहेतुक सहायता प्रदान करने की व्यवस्थायें न किये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जनपद जौनपुर के बयालसी विधान सभा क्षेत्र के अनतर्गत वर्ष 2005-06 हेतु विकास निधि की धनराशि अवमुक्त न होने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की वर्ममान सत्र की अवधि लम्बी एवं प्रति माह बैठकें कम होने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री रणवीर राणा की प्रदेश के गरीब परिवार के लाभार्थ सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में दी जाने वाली धनराशि एवं वितरित की जाने वाली सामग्री बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरी तो विधान सभा की कार्यवाही से संबंधित सूचना है, आज सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

उसको स्थगित किया है। आप इसमें बात कर लीजियेगा।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत मैं सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 08 दिसम्बर, 2006 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का सैंतीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 08 दिसम्बर, 2006 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का अड़तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 दिसम्बर, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 08 दिसम्बर, 2006 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का उन्तालीसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11 में कुछ नहीं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का तेरहवां प्रतिवेदन (खण्ड-7) †

सभापति, लोक लेखा समिति (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का तेरहवां प्रतिवेदन (खण्ड-7), जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्ति पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का चौदहवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) †

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का चौदहवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन), जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) (खण्ड-1) पर आधारित लोक लेखा समिति (1999-2000) के द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड 1) में की गई संस्तुतियों पर शासन के विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-14 में कुछ नहीं है।

मद संख्या-15 में कार्य-मंत्रणा तो अभी हुई नहीं है।

श्री सलिल विश्नोई द्वारा श्री सी0डी0 गौड़, इन्सपेक्टर, थाना फीलखाना, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

सलिल विश्नोई जी ने पहले के बजाय एक दूसरा विशेषाधिकार के बिन्दु की सूचना आई थी। उसको मैं बता रहा हूं।

माननीय श्री सलिल विश्नोई, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री सी0डी0 गौड, इन्सपेक्टर, थाना-फीलखाना, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 21 सितम्बर, 2006 के मामले में निर्णय ले लिया गया है।

उपर्युक्त मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना अग्राह्य कर दी गयी है। उक्त सूचना पर मेरे द्वारा दिया गया निर्णय सदन के आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

माननीय श्री सलिल विश्नोई, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत श्री सी0डी0 गौड़, इन्सपेक्टर, थाना-फीलखाना, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 21 सितम्बर, 2006 को अभिसूचित की थी।

श्री विश्नोई ने अपनी सचूना में यह उल्लेख किया था कि उन पर दो वर्ष पूर्व दिनांक 15 सितम्बर, 2004 को कोतवाली थाना कानपुर नगर के अन्तर्गत पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज करके विधायिका एवं विधान सभा में उक्त मामले को विधान सभा की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सदन में दे दी है। उक्त समिति द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ दण्ड देने हेतु सदन से अनुशंसा की थी लेकिन अभी तक दोषी पुलिस कर्मियों को कोई दण्ड नहीं

---

† छापा नहीं गया।

मिला है। इस सम्बन्ध में दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को माननीय श्री विश्नोई ने समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुये पुलिस कर्मियों को दण्डित किये जाने का अनुरोध भी किया था। उनकी इस मांग से कानपुर के पुलिस कर्मियों में बेचैनी पैदा हुई और उन्होंने माननीय सदस्य को जान से मारने की धमकी दी। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में आगे उल्लेख किया कि दिनांक 20 सितम्बर, 2006 को एक घटना की एफ0आई0आर0 लिखवाने के लिये माननीय सदस्य थाना-फीलखाना, कानपुर में दोपहर 2.40 बजे उपस्थित थे और क्षेत्राधिकारी से उन्होंने पूछा कि एफ0आई0आर0 की नकल कब तक मिलेगी तब क्षेत्राधिकारी ने यह कहा कि अभी अधिक समय लगेगा। उस मौके पर थाने में मौजूद तत्कालीन कोतवाली इन्सपेक्टर, श्री सी0डी0 गौड़, जिनकी 15 सितम्बर, 2004 को कोतवाली में तैनाती थी, ने उन्हें दिनांक 15 सितम्बर, 2004 की उक्त घटना का सन्दर्भ देते धमकाया और उन्हें न केवल अपशब्द कहे बल्कि विधान सभा और विधायिका के लिये भी अशोभनीय बातें कहीं।

माननीय सदस्य ने आगे कहा कि घटनास्थल पर अनेक वर्तमान विधायक और अनेक पूर्व विधायक उपस्थित थे। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में आगे कहा है कि कानपुर कलक्टरगंज के इन्सपेक्टर, श्री गौड़ सहित अन्य पुलिस कर्मी जो वर्तमान में कानपुर में ही तैनात हैं, से माननीय सदस्य को जानमाल का गम्भीर खतरा है। माननीय सदस्य ने अपनी जानमाल की सुरक्षा करने एवं इन्सपेक्टर, श्री सी0डी0 गौड़ के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की कार्यवाही किये जाने की मांग की थी।

उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 21 सितम्बर, 2006 को सदन में माननीय सदस्य श्री सलिल विश्नोई व अन्य को सुना गया और 25 सितम्बर, 2006 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर को लिखित अभिलेखों सहित इन्सपेक्टर, कलक्टरगंज, श्री सी0डी0 गौड़ के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर एवं पुलिस इंस्पेक्टर, श्री सी0डी0 गौड़ दिनांक 25 सितम्बर, 2006 को मेरे कार्यालय-कक्ष में उपस्थित हुये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर की ओर से एक पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रश्नगत प्रकरण में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी क्षेत्र, श्री सभा राज से करायी गयी जांच रिपोर्ट के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री सी0डी0 गौड़, निरीक्षक, कानपुर नगर का अभिकथन भी प्रस्तुत किया गया जिसमें श्री गौड़ ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये अपने ऊपर लगाये गये आरोपों को नितान्त असत्य बताया है, किन्तु अन्त में यह भी कहा है कि "फिर भी माननीय विधायक एवं विधान सभा का मैं हृदय से सम्मान करता हूं मेरी कोई मंशा इन्हें अपमानित करने की न रही है न है और न होगी"। इसके अतिरिक्त घटना से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज एवं एक सी0डी0 भी प्रस्तुत की गयी।

मैंने घटना से सम्बन्धित उक्त सी0डी0 का अवलोकन किया । उसमें विधान सभा अथवा उसके किसी सदस्य के सन्दर्भ में किसी प्रकार की अपमानजनक बातें नहीं कही गई हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी निरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक से पूछ-तांछ की। माननीय विधायक की तथा अन्य नेताओं की मांग निरीक्षक को हटाने की थी, उसे हटा दिया गया है। अब इसमें किसी अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः प्रश्नगत सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री योगेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (।।।) के नुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये, उत्तर प्रदेश प्राविधिक अधिनियम, 1962 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (।।।) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विधेयक प्रस्तुत करने से एक दिन पूर्व उसकी प्रतियां नियमानुसार सदस्यों को न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियमावली के नियम-123 को देख लें कोई विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया जाता है तो इसमें कार्य-मंत्रणा समिति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक दिन पूर्व सदस्यों को मिल जाना चाहिये। हम आज आये हैं ऐसे में एक दिन पूर्व नहीं मिला इसमें हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

एक दिन पूर्व उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

नहीं उपलब्ध कराया तो शिथिल तो कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने निर्देश दे दिये है एक दिन पूर्व वितरित हो जाना चाहिये।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन), विधेयक, 2006 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये। (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आज जो कार्य-स्थगन है उसके बारे में अभी हम बताते हैं।

(इस समय 12 बजे अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुये।)

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, एक बड़ी दुःखद घटना हुई है।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को नियम-311 की दो सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अनतर्गत कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव और श्री जगदम्बिका पाल की एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में कार्यरत श्री आर0 के0 विश्वकर्मा के पुत्र अंकित का अपहरण करने एवं उसकी हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की-गोरखपुर महानगर के भेड़ियागढ़ तथा इंदिरानगर में स्थायी जल जमाव के समाधान हेतु धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अंकित नाम के एक लड़के का लखनऊ से अपहरण हुआ, उसके घर वालों से फिरौती मांगी गई लेकिन घर वालों के फिरौती न दे पाने के कारण उसकी हत्या कर दी गयी, बहुत घृणित अपराध हो गया। इसके पहले नोयडा से अनन्त नाम के लड़के का अपहरण होता है, उसके लिये सदन भी चर्चा करता है लेकिन जो फिरौती नहीं दे सकता, उसकी हत्या कर दी जाती है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय और क्या हो सकता है। मैं तो कहना चाहता हूं, चाहे मेरठ हो या एटा हो या लखनऊ हो, आज उत्तर प्रदेश अगर कहीं सबसे ज्यादा टाप कर रहा है तो वह अपहरण के मामले में कर रहा है और मैं यह ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़े के साथ कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश एक अपहरण उद्योग बन गया है, आप देख लें, मेरठ जोन में 12, गोरखपुर जोन में 4, वाराणसी जोन में 2, लखनऊ जोन में 11, इलाहाबाद और बरेली जोन में 27, अंकित का अपहरण हो गया, अनन्त का

दिनांक 17-12-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

हो गया, आशुतोष पाण्डेय का हो गया, आर0एस0 वर्मा का हो गया, घनश्याम मिश्रा का हो गया। इसमें उत्तर प्रदेश पहले नम्बर पर है। मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिये आप इसकी ग्राह्यता पर सुन लें।

(श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री सुखदेव राजभर, श्री ओ0पी0 सिंह और कई अन्य मा0 विधायकों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, 8-8 औरतों को मार-पीट कर जेल भेजा गया है। आज वहां इतनी बड़ी घटना हुई है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सूचना है तो सुना जायेगा।

[श्री ओम प्रकाश (श्री ओ0पी0 सिंह) और श्री रंगनाथ मिश्र के बोलने का प्रयास करने पर।]

श्री अधिष्ठाता-

श्री रंगनाथ मिश्र और ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह) जी जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

आप आगे की सूचनायें पढ़ दें।

श्री अधिष्ठाता-

तीसरी सूचना श्री हुकुम सिंह की-अंसल भवन निर्माता कम्पनी को गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद एवं लखनऊ में हजारों एकड़ भूमि उपलब्ध कराने से कृषि योग्य भूमि कम होने की दशा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री सुखदेव राजभर, श्री लालजी वर्मा एवं श्री जगदीश नारायण राय की जनपद कौशाम्बी के थाना पश्चिम सरीरा स्थित निषाद विरादरी के घरों में घुसकर तोड़-फोड़ एवं लूटपाट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की-मेरठ कालेज, मेरठ को छात्र एवं शिक्षा हित में सरकार द्वारा अनुदान देना घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है।

छठवीं सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) की जनपद सुल्तानपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक से लाखों रुपये बदमाशों द्वारा लूट लिये जाने एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना डॉ0 विनोद तिवारी की जनपद लखीमपुर स्थित खीरी ब्रान्च व निगोहा रजबहा नहर की सिल्ट सफाई की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आठवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में निर्वाचक नामावलियों का उर्दू भाषा में अनुवाद कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की भदोही जनपद के कोईरौना थाना अन्तर्गत एक ब्राह्मण परिवार की सामूहिक हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव एलिया तथा महोली में लघु सीमान्त कृषकों को निःशुल्क अनुदानित गेहूं का बीज कम मात्रा में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा धरनीपुर में स्थित तालाब पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की-जनपद गाजीपुर स्थित कोतवाली मोहम्मदाबाद के अजीत अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद प्रतापगढ़ के थाना कन्धई स्थित श्रीमती विद्या देवी एवं उसकी पुत्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने तथा पुलिस द्वारा कोई सुरक्षा प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की सुल्तानपुर स्थित थाना धम्मौर में ट्रैक्टर के टकराने से हुई पांच लोगों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ में बलरामपुर राजकीय चिकित्सालय में मरीजों के साथ हो रही उपेक्षा के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जनपद जालौन के ग्राम बिचौली स्थित दलित किसान द्वारा आत्महत्या किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों में वर्ष 2006-07 के विधायक कोटे के नल न लगने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा की जनपद बाराबंकी स्थित प्राथमिक विद्यालय नहमऊ के श्री उदय प्रताप सिंह के परिवारजनों को आर्थिक सहायता एवं नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर स्थित मोहल्ला लाल तालाब सराय में जुबैर की हत्या कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच स्थित पारले चीनी मिल, परसैण्डी के स्थानीय गन्ना किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री कौशल किशोर की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलिहाबाद में डा0 राजेश श्रीवास्तव द्वारा श्रीमती शीला गुप्ता का गलत ढंग से आपरेशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अत्यंत महत्वपूर्ण, संवेदनशील और गम्भीर घटना की ग्राहयता पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में पिछले दिनों अपहरण की जो घटनाएँ हुयी हैं आज भी उसकी खबरें धूमिल नही हुयी हैं। पिछले दिनों नोएडा में एडोब कम्पनी के सी0ई0ओ0 के बेटे अनंत का अपहरण हुआ उससे प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी कि जैसे प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है और प्रदेश की राजधानी में भी किसी परिवार का बच्चा स्कूल जाते हुये

सुरक्षित नहीं है। आज दूसरी घटना में एस0जी0पी0 जी0आई0, लखनऊ में कार्यरत एक कर्मचारी के पुत्र अंकित का अपहरण कर उसकी 5 लाख फिरौती न दिये जाने के बाद उसकी हत्या कर दी गयी। उससे राजधानी की कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। जिस तरह से खुलेआम आशियाना जैसी पास कालोनी में अपहरण करके उसकी हत्या की गयी यह अत्यंत गम्भीर घटना है। पिछले दिनों नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का हवाला देकर कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति मुल्क के अन्य राज्यों से बहुत अच्छी है या एक-दो नम्बर के बाद है। उसी नेशलन क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के वर्ष 2005 के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में 21 हजार 361 अपहरण हुये और उसमें सबसे ज्यादा 2 हजार 955 उत्तर प्रदेश में हुये हैं। आज बिहार से भी ज्यादा अपहरण उत्तर प्रदेश में हो रहें हैं। बिहार में 2693 अपहरण हुये और राजस्थान में 1993 अपहरण हुये। आज क्या हो रहा है ? उत्तर प्रदेश के लोगों के जनजीवन को सुरक्षित रखने की गारन्टी राज्य सरकार नहीं लेगी तो और कौन लेगा ? अगर ऐसी कानून व्यवस्था रहेगी तो न कोई उद्योग आयेगा और न उत्तर प्रदेश में ऐसा वातावरण बनेगा कि यहां की विकास दर बढ़े। कोई व्यवसायी तभी आता है जब उसके परिवार की सुरक्षा की गारन्टी हो। आज उत्तर प्रदेश में अपहरण सर्वाधिक संख्या में हो रहें हैं।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पाश कालोनी में बच्चे का दिनदहाड़े अपहरण हो जाये। फिरौती न देने से उसकी हत्या हो गयी। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपहरण की घटनायें हो रही हैं और यह दुहाई देना कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा अच्छी है, तो यह कहां तक उचित है ? मान्यवर, आज कानपुर में 74 मेरठ में 12 गोरखपुर और वाराणसी में भी तथा लखनऊ में 11 अपहरण हुये हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को उद्वेलित कर दिया है। पिछले दिनों में अनन्त, जिसके पिता गाजियाबाद में सी0ई0ओ0 थे, का अपहरण हुआ वह पूरी दुनियां में सुर्खियों में छा गया। आज लखनऊ में अंकित की घटना हुई जिससे पूरी राजधानी उद्वलित है। इसके बाद शैफ सिद्दीकी जो कि बी0टेक0 का छात्र है उसका अपहरण हुआ, उसका भी पता नहीं लग पा रहा है। सुभाष पाण्डेय का, घनश्याम मिश्र का अपहरण हुआ। तो मेरा यह कहना है कि इस तरह से अपहरण के बाद जो हत्याएं हो रहीं हैं वह चिन्ता की बात है। जिस तरह से अपहरण में अच्छे घरों के लोग हैं, इस परिस्थितियों को रोकने के लिये कौन सी कार्यवाही हो रही है ? आज देश में सबसे ज्यादा अपहरण उत्तर प्रदेश में हो रहें हैं, तो यह कलंक की बात है, चिन्ता की बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेंगे तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश के लागों की जिन्दगी की गारन्टी भी राज्य सरकार को देनी पड़ेगी। मान्यवर, अपहरण प्रतिशोध के लिये नहीं होता है। यह फिरौती के लिये होता है और यह कोल्ड ब्लडेड योजना बनायी जाती है। मान्यवर, आज कोई अपहरण होता है तो लोग पुलिस को नहीं बताते हैं क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर पुलिस को बता देंगे तो उसकी लाश मिलेगी। पुलिस का लोगों का भरोसा उठ गया है। वह गरीब अपना घर बेचकर, गिरवी रखकर किसी तरह से फिरौती देता है। इससे ज्यादा और कोई गम्भीर घटना नहीं हो सकती है, यह तात्कालिक घटना है, अविलम्बनीय है और लोक महत्व का है। इसमें केवल अपहरण ही नहीं हुआ है बल्कि हत्या भी हुई है। आज उस गरीब व्यक्ति और पूरे मुहल्ले के लोगों पर क्या गुजर रही है ? एस0जी0पी0 जी0आई0 में प्रोटेस्ट हुआ है। अब वहां पर टोकन सिस्टम कर रहे हैं, डाक्टर्स

से मिलने के लिये अगर कल कोई वास्तविक मरीज का कोई केयर टेकर जाना चाहें तो उस कालोनी में नहीं जा सकता है इसके गम्भीर परिणाम बीमार लोगों को भुगतने पड़ेंगे।

*श्री राम नरेश यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रश्न आया है यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का है। मैं इस लिये निवेदन कर रहा हूं कि मैं चार महीने तक वहां पर भर्ती था। जिस लड़के अंकित का अपहरण हुआ वह साधारण परिवार का है और वह उस परिवार से अपहरण करके पांच लाख रुपये की फिरौती मांगा जाना, उसकी व्यवस्था न होने से उसकी हत्या कर दिया जाना यह बहुत ही घृणित कार्य हुआ है, निन्दनीय है और बड़े ही शर्म की बात है। मैं विशेष रूप से इसलिये भी कह रहा हूं कि सरकार का दावा है कि अपराधों में कमी आ रही है लेकिन अपराध बढ़ रहे हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट से यह बात सामने आयी है, माननीय पाल जी ने आपके सामने रखा है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह अपहरण एक उद्योग बनता जा रहा है और इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये और इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है नहीं तो अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी बढ़ रहे हैं और यह चिन्तनीय बात हो जायेगी।

आपके माध्यम से सरकार से हमारा आग्रह है कि इस पर जल्दी से कार्यवाही करें और कड़ा से कड़ा जितना अंकुश लग सकता है वह लगाने का काम करें। अपहरण का इतना बड़ा उद्योग आज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गया है, चाहे मान्यवर, वह आपका क्षेत्र मेरठ हो, गाजियाबाद हो या प्रदेश का अन्य कोई जिला हो, आज पूरे प्रदेश भर में इस तरह की घटनायें हो रही हैं, इस पर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है और इसलिये इस लोक महत्व के प्रश्न पर बल देते हुये चाहता हूं कि अब तो चर्चा कराने का समय रह नहीं गया है, लेकिन सरकार इस पर अंकुश लगाने का प्रयास जरूर करे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं, एक अत्यन्त सम्वेदनशील, दुःखद, दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दे पर ग्राह्यता के सन्दर्भ में आपने मुझे अपने विचार रखने के अवसर दिये। मान्यवर, सफर शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश से, बनाने का सपना था उत्तम प्रदेश, बन गया इस सरकार में अपहरण प्रदेश। उत्तर प्रदेश से चले थे उत्तम प्रदेश बनाने और अपहरण प्रदेश बना दिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह कह रहे हैं मान्यवर, नेशलन क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, इसने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपहरण में नम्बर एक पर पहुंच गया है, यही नहीं मान्यवर, उन्होंने कहा है कि जो बिहार कल तक अभिशाप ग्रस्त था अपहरण के लिये आज उत्तर प्रदेश ने बहादुरी के साथ पिछले तीन साल में अपने कदम मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुये बिहार को काफी पीछे छोड़ दिया है और मान्यवर, नम्बर एक पर उत्तर प्रदेश, नम्बर दो पर बिहार, नम्बर तीन पर राजस्थान। मान्यवर, इन सब से ज्यादा चिन्ता का विषय एक और है, चिन्ता का विषय यह है मान्यवर, यह जो अपहरण हो रहें हैं यह कौन कर रहा है ? एक प्रोफेशनल ग्रुप ? एक ऐसा ग्रुप जो बहुत सिद्धहस्त हो ? अब वह नहीं कर रहा है, चाहे अंकित का प्रकरण हो मान्यवर और चाहे मान्यवर, यहां अनन्त का प्रकरण हो। इसमें कर कौन

रहें हैं ? मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं यह कर कहें हैं नौसिखियें और मान्यवर, मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि जो सिद्धहस्त क्रिमिनल होता है, जो प्रोफेसलन क्रिमिनल होता है वह तो जानता है कि कैसे किया जाय, क्या किया जाय वह सरकार की आंख में धूल झोंक सकता है लेकिन अब लोगों को लगता है कि इसके लिये अब बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है दो-तीन-चार लोग इकट्ठे होइये सरकार तो ऐसी है जिसके राज्य में अपहरण तो बहुत आसानी से हो सकता है यानी इस सरकार की क्रेडिबिल्टी, इस सरकार की विश्वसनीयता अपराध के मामले में शून्य पर पंहुच गयी है, जहां छोटे-छोटे बच्चे भी अब अपराध करने लगे हैं। मान्यवर, यही नहीं इन अपराधियों के तार कहीं न कहीं सत्ता में बैठे हुये लोगों से जुड़ रहे हैं मान्यवर, यह तीसरी चिन्ता का विषय है, मान्यवर, आश्चर्य होगा आपको जानकर कि वर्ष 2005 में 2966 अपहरण हुयें मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं और आपके माध्यम से अपनी चिन्ता से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में इस तरह के अपहरण होंगे वहां उद्योग कैसे लगेगा, वहां व्यापार कैसे फले-फूलेगा, आखिर ऐसी कौन सी बात है मान्यवर, कि आज यह गम्भीर चिन्तन का विषय है कि जिसमें फिरौती की रकम देने की क्षमता है उसका अनन्त बेटा 50 लाख रूपये देकर छूट जाता है पर जिस गरीब के पास पाँच लाख देने की क्षमता नहीं है उसका बेटा छूटता तो है पर दुनिया से छूट जाता है, मां की गोद में वापस नहीं लौटता यानी इस राज्य में सिर्फ पैसे वाले सुरक्षित हैं। मान्यवर चाहे जीवन जीते हुये सुरक्षित हो चाहे अपहरण के बाद सुरक्षित हों जिनमें सरकार उनके प्रति रहमदिल है जिनके पास अपहरण की धनराशि दे सकते हैं उनके प्रति जो गरीब हैं जिनके पास कुछ नहीं है और कहां दावा करने वाली सरकार जो बहुत कानून-व्यवस्था को सुधारने की, उसकी छाती पर ही बैठ कर यह अपहरण किया गया और यहां पर जो लाश मिलती है मान्यवर, वह भी लखनऊ राजधानी में है जिस जगह राजधानी में यह हाल हो, मान्यवर क्या होगा एटा में मान्यवर, तोड़-फोड़, बाजार बन्द सब जारी है पुलिस फायरिंग की नौबत है, कानपुर में मान्यवर यह स्थिति है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसको गम्भीरता से आप लें कि जो सफर आपने शुरू किया था उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने पर वह एक मुकाम पर ठहर गया और उस मुकाम पर एक साइनबोर्ड लगा हुआ है अपहरण प्रदेश। अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है मान्यवर, जनहित के इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करवायें, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि बहुत दुखद है अपहरण की यह घटना और अपहरण के बाद हत्या उस मासूम बच्चे की। इस पर मैं कोई बहुत सफाई देना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह सही है कि आपराधिक गैंग जो इस तरह का काम करते हैं वह नहीं कर रहें हैं। या तो वह गैप्स आज है नहीं या कानून का उन पर कड़ा शिंकजा है, या जेलों में है या वह भी इस दुनिया में नहीं है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यह काम करते हैं, यह पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है और माननीय नेतागण सब जानते हैं कि यह आपराधिक तत्व जो डकैती, फिरौती और अपहरण का कार्य किया करते थे वह खुद भी इस दुनिया में अब नहीं हैं।

मान्यवर, इसमें अंकित के मामले में यह सही है कि नौजवान लड़कों ने, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, या अच्छे परिवार के लिये अपने भविष्य के लिये इतना गन्दा, घिनौना और निन्दनीय काम किया है। बहुत सी चीजों में सरकार की और पुलिस की विवशतायें हैं कि ऐसे लोगों पर नजर नहीं जा रही है और वे लोग अपराध कर रहें हैं।

इसमें मान्यवर उन सभी अपहरणकर्ताओं को जिन्होंने हत्या की है उन सबके नाम मेरे पास हैं। विकास गुप्ता, विकास मिश्रा, भारत गुप्ता उर्फ उपेन्द्र, हिमांशु, प्रिन्स उर्फ छोटू, सतेन्द्र सिंह, गौरव सिंह-इन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। मान्यवर, बगैर कोई तर्क दिये हुये मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले साल और उससे पिछले सालों के अपराधों के यह आंकड़े मेरे पास हैं। अभी आपने कहा की आप उत्तम प्रदेश बनाने वाले थे लेकिन है अपहरण प्रदेश। मान्यवर, 2004 में 204 फिरौती की घटनायें हैं, 2005 में 118 और 2006 में यह 98 हैं। तो मान्यवर यह ग्राफ नीचे की तरफ हैं लेकिन यह 98 भी हमारे लिये दुख का विषय है। चूंकि मान्यवर मुल्जिम गिरफ्तार हो चुके हैं इसलिये कानून ने अपना पूरा काम किया है। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिये सरकार की ओर से कोशिश जारी है। यह प्रकरण चर्चा का विषय नहीं बनता है। लेकिन मान्यवर एक चीज जो पूर्व मुख्य मंत्री जी ने कही, माननीय राम नरेश यादव जी ने कही कि इस पर बहुत गंभीर चिन्तन होना चाहिये और कुछ ऐसी कार्यवाहियां हो जिससे भविष्य में ऐसी बाते न होने पायें, सरकार इसमें बिल्कुल आपके मत से सहमत है कि भविष्य में ऐसी कार्यवाही न हों। कुछ भी हो जिस तरह से 13 साल के बच्चे की हत्या हुई है उसके लिये कुछ जायज नहीं है कहना। बहुत ही दुखद है इसकी जितनी निन्दा की जाय वह बहुत की कम है। मान्यवर, इसमें कानून अपना काम कर रहा है और उसने किया भी है। वे अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जो पुलिस ने इसमें शिथिलता बरती है क्या इस बिन्दु की जांच भी माननीय मंत्री जी करा लेंगे ?

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, यूं तो अगर किसी अधिकारी ने इस मामले में भी शिथिलता बरती है तो यह बड़ा ही गन्दा काम हुआ है। बहुत ही निन्दा करने योग्य है। 13 साल के बच्चे का अपहरण हो और उसमें हत्या हो जाय, जानबूझकर शिथिलता बरती गयी है तो इस पर नजर जानी चाहिये और उसकी कुछ बात होनी चाहिये। हमारी गलतफहमी हो तो वह दरगुजर करनी चाहिये। 13 साल के बच्चे की हत्या को इस तरह से नहीं लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

आज कुल 21 सूचनायें नियम 56 में मिली है सबको मैंने ले लिया है। अब इतनी सूचना पर 21 लोग बोलेंगे तो बहुत समय लग जायेगा। इसलिये हमने सबको ले लिया है और सरकार का उस पर ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री इन्द्रजीत सिंह सरोज-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की बहुत गंभीर घटना है।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी सुना दिये हैं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की बहुत ही गम्भीर घटना है जनपद कौशाम्बी की।

श्री अध्यक्ष-

मैं पढ़ देता हूं कि क्या घटना है ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, पढ़ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाजपेयी जी ने पढ़ लिया है और इस पर सब पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, सारी सूचनाओं पर 21 सूचनायें हैं इक्कीसों पर।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह)-

मान्यवर, यह सब के बाद आपका कोई निर्णय था तो सब पर लागू होना चाहिये था। एक घटना पर बुलवा लिया गया और दूसरी घटना पर नहीं बुलवाया जा रहा है। तीन लोगों की सूचना थीं तीनों लोगों को बुलवाया गया, 2 मिनट सरोज जी को सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आपका जब नम्बर आयेगा तो बोलियेगा, अभी आपका नम्बर नहीं है।

डॉ0 साहब, जनपद जालौन के ग्राम बिचौली, स्थित दलित किसान द्वारा आत्महत्या किये जाने के सम्बन्ध में तो स्वीकार ही कर लिया है।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, सभी सदस्य आपकी जो व्यवस्था है, उससे सहमत हैं। दो मिनट का समय अगर माननीय सदस्य को दे दें, हम लोग आखिरी दिन के लिये उठ रहे हैं, उनकी एक समस्या है। सभी नेताओं ने कह दिया कि सुन लें तो 2 मिनट सुन लें, बड़ी कृपया होगी।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, अपने जनपद कौशाम्बी की एक बहुत ही दुखद घटना पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका आभारी हूं।

डॉ0 अरूण मेहरोत्रा-

मेरी बात बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष-

बोलने से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होने वाली है, पढ़ दिया गया तो आपका प्रोसिडिंग में आ गया, लिख लिया गया सारी बातें हो गयीं तो अब क्या कहेंगें ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, दिनांक 10 दिसम्बर, 2006 की घटना हैं। ग्राम गोपुरवा थाना पश्चिम शरीरा कौशाम्बी की। यह रात्रि के 11.00 बजे की घटना है। इसमें निषाद बिरादरी के लोग रहते हैं। जो नाव चलाकर और बालू ढोकर अपना पेट पालन करते हैं। ये 11.00 बजे रात को खा पीकर सोये हुये थे वहां पर। रात को पश्चिम शरीरा की पुलिस पहुंचती है और बिना किसी एफ0आई0आर0 के बिना किसी घटना के पुलिस वहां पहुंचती है और निषाद बिरादरी के व्यक्तियों के दरवाजे खुलवाने का काम किया और जब लोग डकैत समझकर दरवाजा नहीं खोलते हैं। तो थाना पश्चिम शरीरा की पुलिस कुण्डी और दरवाजे को तोड़ने का काम करती है और जबरन घुसकर निषाद बिरादरी के बच्चों, महिलाओं और पुरूषों को बड़े पैमाने पर मारने पीटने का काम किया जाता है थाना पश्चिम शरीरा की पुलिस द्वारा। इतना ही नहीं मान्यवर, इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया कि महिलाओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया जिसमें श्रीमती नीता पत्नी बुलटन निषाद एवं श्रीमती जगिया पत्नी राम बालक निषाद, इनकी तो धोती भी खुल जाती है इस तरह से पुलिस ने दौड़ाकर पीटने का काम किया और इतना ही नहीं एक महिला परिवार नियोजन कराये थी श्रीमती महदैया, पत्नी कल्लू उसके आपरेशन के टांके भी टूट जाते हैं इस तरह से दौड़ा-दौड़ा कर मारा गया। जिन महिलाओं को मारा गया उसमें कोइली पत्नी कोलाई, श्रीमती जगिया पत्नी राम बालक, श्रीमती राजरानी पत्नी भगवत, श्रीमती गोलहरी पत्नी रामपाल, श्रीमती रूपा देवी पत्नी बदलू, श्रीमती राजकली पत्नी गया, श्रीमती महदैहिया पत्नी कल्लू और जो छोटे बच्चों को मारा गया, संजय पुत्र राम सेवक जो 13 साल का था, भइयन पुत्र राम बालक जो 12 वर्ष का था, संजय पुत्र कल्लू जो 12 वर्ष का था। मान्यवर, इस तरह तो इनको मारा गया, औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया और जो पुरूषों को मारा गया उसमें बालकरन निषाद, शंकर लाल निषाद, लवलेश निषाद, महादेव निषाद, गया प्रसाद निषाद, अवसरदीन निषाद, रामकवारे निषाद, बबलू निषाद, राजनरायन निषाद, भइयन निषाद, रामफल निषाद, रामखेलावन निषाद, रामगोपाल निषाद, छोटई निषाद, नत्थू निषाद, इतने लोगों को मारा गया और मैं यह कहना चाहता हूं जब दो औरतों की धोती खुल गयी, पुलिस वालों ने इतनी बेरहमी से मारा-पीटा तो उसी में देखा नहीं गया जब पुलिस वाले इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने लगे तो वहां की महिलाओं ने गांव में साइकिल में जिस पंप से हवा भरी जाती है, उसको उठाकर कुछ महिलाओं ने दरोगा को मारने का काम किया। इतने में मान्यवर, भारी पुलिस-फोर्स बुला लिया गया और घर से घसीट-घसीट कर महिलाओं और पुरूषों को मारा गया और 17 लोगों को मारपीटकर, जो चल नहीं पा रहें हैं, उनको जेल भेज दिया गया। मान्यवर, उसमें मुकदमा की जो धारा लगाई गयी है, 145, 146, 147, 307, 323, 332, 337,352, 395, 397, 504 क्रिमिनल एक्ट, यह इतना बड़े पैमाने पर एकतरफा कार्यवाही की गयी। इसमें मेरा यह कहना है कि यह पुलिस गयी क्यों वहां पर, वहां के जो वर्तमान

प्रधान है जो गबन कर रहें थे, विकास के काम नहीं करा रहें थे और कोटेदार मिट्टी का तेल और राशन नहीं उपलब्ध करा रहे थे। डी0एम0 के यहां बड़े पैमाने पर 11 तारीख को लोग जाने वाले थे, शिकायत करने के लिये, लेकिन उन्होंने पुलिस को खिला-पिलाकर के इन लोगों को प्रताड़ित कराने का काम किया महिलाओं और बच्चों को मरवाने का काम किया। मेरा यह कहना है इतनी बड़ी घटना हुयी उनको मारा पीटा भी गया, निर्वस्त्र भी किया गया और जब वह लोग प्रतिशोध किये तो एकतरफा मुकदमा भी लगा दिया गया आज अज्ञात लोगों के एफ0आई0आर0 में नाम हैं, सारे लोगों को जेल भेजने की कार्यवाही चल रहीं है। लोग पलायन कर गये। जानवर बंधे हैं, कोई चारा देने वाला नहीं, पानी देने वाला कोई नहीं। यह गरीब लोग हैं यह उत्तर प्रदेश की पुलिस अपहरणकर्ताओं को नहीं पकड़ रहीं, गुन्डों को तो नहीं पकड़ रही, बड़े अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही। लेकिन गरीबों के साथ अन्याय कर रही है इसलिये मेरी एक मांग है कि पुलिस वहां गयी क्यों, इस पर एक उच्चस्तरीय जांच सरकार के द्वारा करा लिया जाय तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाये। क्यों वहां पर पुलिस गयी, इतने बड़े पैमान पर क्यों गरीबों को मारा गया तो इसलिये यह घटना अविलम्बनीय है, लोक महत्व की है, सदन की कार्यवाही रोककर इसमें चर्चा कराई जाय और सरकार को यह निर्देश दे दें कि इसके उच्चस्तरीय जांच कराई जाय, जिससे गरीबों के साथ न्याय हो सकें, धन्यवाद।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, 12 धारायें लगी हैं, उन महिलाओं और पुरूषों के ऊपर। पुलिस अकारण गयी है, कोई वारन्टी नहीं था, कोई मुल्जिम नहीं था, कोई डकैत नहीं था। अचानक पुलिस गयी है, प्रधान जी के प्रभाव में, कि हमारे खिलाफ जांच क्यों करा रहें हैं ? मिला लिये होगें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, महिलाओं को भी चोट लगी है और 12 धाराओं के मुल्जिम बने हैं इतना मुकदमा तो वह लोग भी दर्ज नहीं करते हैं, जो हिन्दुस्तान में आजादी के बाद हो रहा है। अभी उधर से वर्जन आयेगा कि पुलिस पर भी लोग हमला कर दिये, मेरा सिर्फ एक चीज का निवेदन है कि जहां 12-12 महिलायें और पुरूष मुल्जिम हों, 12-12 धारायें लगी हों 395, 397 तो इसकी एक उच्चस्तरीय जांच माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अगर चाहें तो करा दें कि वास्तव में दोषी कौन लोग हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मानीय सदस्य ने तो खुद ही माना है कि नल निकाल कर पुलिस की पिटाई महिलाओं ने लगाई है, आप कह रहें ऐसा है नहीं।

मान्यवर, इसे अवश्य दिखला लेंगे लेकिन कानून तो अपना काम करेगा क्योंकि माननीय सदस्य ने खुद कहा है कि नल निकालकर पुलिस को मारा है। तो अब इस पर जब खुद ही माननीय सदस्य उस जुल्म का इकरार यहां सदन में कर रहें हैं जो वहां पर हुआ है। तो जब यहां इतना इकरार कर रहीं है तो वहां कितना हुआ होगा, इसका आप अंदाजा ला सकते हैं। फिर भी मान्यवर, कानून कड़ाई से काम करेगा और अगर कोई ऐसी बात हुई है जो नाजायज हो तो उसे वापस लिया जायेगा और अगर कुछ कमी रह गयी है तो और सख्ती की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

उस घटना की जांच करा लें कि बिना एफ0आई0आर0 के पुलिस गयी क्यों ?

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री बता रहें हैं कि यदि कोई ज्यादती हुई होगी तो उसे वापस लेंगे आप सुनियें तो बात को क्यों बढ़ा रहें हैं ?

मैंने सरोज जी को और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना अब इसे मैं अग्राह्य कर रहा हूं।

एक सदस्य कांग्रेस के बोल लिये, एक बहुजन समाज पार्टी के बोल लिये अब एक भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य कोई भी बोल लें।

(श्री ओ0पी0 सिंह के खड़े होने पर)

आप बैठिये, कहां बोलने से बड़ा भारी क्रेडिट मिलने वाला है, बैठिये ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपका और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, यह पूरा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से मुख्य स्थान इसमें है। इसमें हो क्या रहा है जो कृषि की भूमि है और उपजाऊ भूमि है, वह सड़क में चली जाए, विकास कार्यों में चली जाए तो समझ में आता है। लेकिन टाउनशिप बसाने के लिये उद्योगपतियों को दी जायें, मल्टीनेशलन कम्पनी को दी जाये और वह टाउनशिप बसायें वहां पर, यह हमारे देश-प्रदेश की खेती के साथ और किसानों के साथ नाइंसाफी की बात है। क्यों नाइंसाफी है, केवल किसान को हम कुछ पैसा दे करके, मूल्य दे करके अपने आपको संतुष्ट कर लें कि किसान को पैसा दे दिया जमीन ले ली, यह प्रदेश के हित में नहीं होगा। उपजाऊ भूमि को लेकर अभी हुआ क्या है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसे गम्भीरता से देखेंगे दिल्ली के पास में नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद के पास में ढाई हजार एकड़ भूमि अंसल जो बिल्डर्स हैं उनको दी गयी और दी गयी इसलिये कि एक नई माडर्न टाउनशिप वह वहां पर विकसित करेंगे। एक हजार करोड़ रूपये लगभग उसकी कीमत लगायी गयी जबकी मान्यवर, 22 हजार करोड़ रूपये उसी कीमत आंकी गयी है। एक हजार करोड़ में हम उनको देंगे और वह 22 हजार करोड़ रूपये मुनाफा कमायेंगे। अपनी उनकी टाउनशिप होगी, अपने मानक के अनुरूप उनके मकान होंगे और मान्यवर, यही नहीं करार यह भी किया गया कि बनने के बाद में जब वहां लोग रहेंगे उन पर टैक्स लगाने का अधिकार भी उन्हीं का होगा। इसी प्रकार लगभग ढाई हजार एकड़ भूमि लखनऊ में देने के लिये करार किया जा रहा है और यहां पर भी वह टाउनशिप एक सम्पन्न वर्ग के लिये हैं, उनके लिये जमीन दे करके मकान बनाये जा रहे हैं।

मान्यवर, विकास का मानक यह नहीं है कि कितने अच्छे मकान आप बनायेंगे। विकास का मानक यह होगा मान्यवर, कि जो किसानों की जमीन ले ली जायेगी, वह किसान तो बेघर हो जायेगें, उनके पास उनका अपना जरिया तो कुछ रहेगा नहीं और अन्ततोगत्वा जो पैसे आपसे पायेंगे यदि उससे उन्होंने छोटी-मोटी दुकान कर भी ली जाती वह कब तक चलेगी, उसके बाद वह बेरोजगार हो

करके जो आज अपराध बढ़ रहें हैं, उन अपराधों में शरीक हो जायेंगे। इस पर नीति बननी चाहिये कि जो कृषि भूमि है, उपजाऊ भूमि है, वह केवल कृषि प्रयोजन के लिये ली जा सकती है। विकास के लिये आप ले लें, रेलगाड़ी निकलती है आप ले लें, ट्यूबवेल लग रहा है आप ले लें, सड़क बन रहीं है ले लें लेकिन एक उद्योगपति के लिये, मल्टीनेशनल कम्पनी के लिये, टाउनशिप बसाने के लिये किसानों की जमीन उन्हें दे दी जाये यह अच्छी बात नहीं है और खास तौर से मैंने उल्लेख किया है कि दोनों करार जो लखनऊ और दिल्ली-गाजियाबाद के पास में किये जा रहे हैं, वह दोनों करार समाप्त होने चाहिये, कोई भूमि अगर ली जाये तो सारे के सारे बिन्दुओं पर विचार करने के बाद ली जाये कि इससे किसानों को कितना फायदा होगा। आप ढाई हजार एकड़ भूमि किसको देंगे, एक बिल्डर को देंगे और वह बिल्डर उससे सौ गुना, हजार गुना फायदा कमायेगा। जनता को क्या मिलेगा इससे ? क्या इससे उत्तर प्रदेश का माथा ऊँचा होगा ? मान्यवर, इस बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, वह इस बात को गम्भीरता से लें, जिन लोगों ने यह किया है, उनसे सबक हमको लेना चाहियें। जिन लोगों ने केवल नगर को चमका करके विकास का पैमाना तय किया हो, आज सबसे ज्यादा आत्महत्या वहां पर हो रहीं हैं। हमारे यहां ऐसी स्थिति न आने पाये इसलिये हमको एक नीति बनानी चाहिये कि हम कृषि भूमि को केवल सरकारी विकास कार्यों के लिये लेंगे किसी बिल्डर्स के लिये कभी नहीं लेने वाले हैं और यह दोनों करार निरस्त होने चाहिये, ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, यह सुनने में भी अच्छा लगता है और कभी-कभी करने में भी अच्छा लगता है। ऐसा ही होता जैसा हुकुम सिंह जी चाहते हैं किसान खुशहाल हो, किसान की जमीन बिके नहीं और उसी थोड़ी सी जमीन से कम आमदनी से बहुत सी तरक्की करें और छोटी सी जिंदगी गुजारता रहें, न बच्चे स्कूल जायें, न पक्का मकान बने न व कारोबार कर सकें, बीघा दो बीघा जमीन पर ही इत्तिफा करे और परिवार बढ़ता चला जायें, जमीन इतनी ही रहे या घटती चली जायें एक विचार यह भी है। लेकिन मान्यवर, आज के माहौल में आपको मालूम है कि न्यायालयों का बड़ा रोल हो गया है हमारी अपनी राजनीतिक जिन्दगी में और सरकारों के कामकाज में। मुझे तो अपने यहां का मालूम है, आपने तो इजाजत दे दी कि अगर सड़क बनना है तो एक्वायर कर ली जाये जमीन। अगर कोई विकास का काम होना है तो एक्वायर कर ली जाये जमीन, लेकिन खुद मेरी ही कांस्टिटुयेंसी में सड़क के लिये स्कूल, कालेज बनाने के लिये जमीन एक्वायर की गयी तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसे लेने से मना कर दिया और रोक लग गयी और कुछ नहीं कर सके। माननीय उच्च न्यायालय ऐसी सभी जगहों पर जहां पक्ष राजी न हो वह सक्षम है उसे रोक देने में और सबको यह बात अच्छी तरह मालूम है और सभी इसका पूरी तरह से फायदा भी उठाते हैं। मात्र उन जगहों पर ऐसा विवाद खड़ा नहीं हो पाता है और इस तरह की बातें सेटिल हो जाती हैं, उनके बीच एक सेटिलमेण्ट हो जाता है जब किसान के साथ और लेने वालों के बीच करार हो जाता है। जमीन एक्वायर की जाये और किसान उस कीमत पर, जिस कीमत पर वह जमीन देना चाहता है उस कीमत पर लेने वाला लेता है और किसान न्यायालय नहीं जाता है तब ही ऐसी चीजें मेच्योर हो पाती है। यह जमीन ली गयी है

लेकिन उसी प्रोसीजर से ली गयी है कि किसानों को उनकी मांगे और उनकी मर्जी और उनकी खुशी का दाम इसमें दिया गया है। तो ऐसी हालात में मैं समझता हूं कि हुकुम सिंह जी खुश होंगे और आपने जैसे फरमाया कि वह दुकान कर लेगा, दुकान तो वह मोहल्ले में भी कर सकता है और अच्छी जमीन बिक जाये तो वहीं बड़े-बड़े माल बन रहे हैं, उसमें भी कर सकता है। यह हम मानकर चलें कि वह दुकान करेगा तो आप इतने निराशावादी क्यों हैं कि उसकी दुकान बिल्कुल बेकार, बन्द ही हो जायेगी। आशावादी हैं हम कि वह दुकान करेगा, तरक्की करेगा, एक से दो और चार दुकाने होगीं मकान बनेगा फिर वह आपको वोट देगा, फिर आप यहां आयेंगे। मैं समझता हूं कि केवल यह कहने भर का मामला है इसमें किसी भी तरह की कोई बात नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह कहने भर का मामला नहीं है, देश के भविष्य से जुड़ा मामला है। यहां पर खाद्यान्न आयात करना शुरू कर दिया है। दालें बाहर से आ रही हैं, गेहूं बाहर से आ रहा है। जमीन दे रहें हैं बिल्डर्स को, खेती की जमीन बिल्डर को दे देंगे, तो खाद्यान्न आप बाहर से मंगायेंगे, आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहें हैं। आपको सोचना चाहिये, यह किसान के हित की बात नहीं है, पैसा लेने की बात नहीं है। यह जमीन उससे आगे वाले न जाने कितने नस्लों के लिये है, एक बहुत बड़ा उसका एसेट्स है, उसको आप समाप्त करने जा रहें हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर माननीय हुकुम सिंह व संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, एक मिनट में सुन लें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, 5-5 लोग आत्महत्यायें कर रहें हैं।

श्री अध्यक्ष-

ओ0पी0 सिंह व रंगनाथ मिश्र जी, आसन ग्रहण करिये। सभी दलों से एक-एक माननीय सदस्य की सूचना को सुनने का अवसर दिया है। आप दोनों की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, एक मिनट में सुन लीजिये।

(श्री रंगनाथ मिश्र सदन की वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष-

श्री रंगनाथ मिश्र जी अपने आसन पर चलिये। अब नहीं सुना जायेगा। आप अच्छे माहौल में नहीं उठना चाहते हैं, आज सदन का अंतिम दिन है, चलते-चलाते कोई कठोर कदम न उठाना पड़े।

(रंगनाथ मिश्र जी सदन की वेल से अपने को सुने जाने का आग्रह करते रहे)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन भी तो सुन लीजिये। मान्यवर, सदस्य सदन की वेल में आ गये हैं, तो वह वेल में रहें, आप कार्यवाही आगे बढ़ायें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, आपने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना का विषय भी पढ़ दिया गया और उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

(सदन के वेल से) मान्यवर, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

मैं पढ़कर सुनाये दे रहा हूं जो आपका विषय है और इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं और उसका जवाब आपको मिलेगा। वह प्रोसीडिंग का अंग बन जायेगा आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं। अब मैंने श्री राधा मोहन दास अग्रवाल को पुकारा है।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर सदन के फ्लोर से श्री रंगनाथ मिश्र अपने आसन पर वापस चले गये।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

आप अब आगे बढ़ाइये, आप अगर संवाद से समझते हैं कि वह ठीक हो जायेंगे तो आपके प्रयास की सराहना करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल जी, आपको जो कहना है एक मिनट में बोल दीजिये।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों का कुछ नहीं लिखा जायेगा। मैं प्रस्ताव ले रहा हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 की बैठक में यह सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग तृतीय संशोधन विधेयक, 2006 पर सदन में विचार एवं पारण की मदें दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को ही ले ली जायं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफाशि से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने सदन में रखा है उससे सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मेरा विषय पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपका विषय पढ़ देता हूं कि क्या विषय है वह पूरे सदन की प्रोसीडिंग का अंग बन जायेगा। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, उसका उत्तर मिलेगा। आप चलते चलाते आखिरी दिन क्यों ऐसी बात करते हैं ?

बाजपेयी जी चूंकि पढ़ चुके हैं इसलिये इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक-2006

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

एक सदस्य-

मान्यवर विषय पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष-

अभी बैठिये मैं एक-एक पढ़ देता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, विचार के लिये प्रस्तुत हुआ है मैं एक स्पष्टीकरण ले लूं।

मान्यवर, आपके माध्यम से यह जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक है इस पर 2-3 स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पूर्व शिक्षकों के विनियमितीकरण का मामला आया था, इसमें मानदेय शिक्षकों के सम्बन्ध में प्राविधान किये गये हैं, आज की तारीख में जो मानदेय शिक्षक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में निदेशक के अनुमोदन के साथ यदि पढ़ा रहें हैं तो क्या वह नियमित माने जायेंगें, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि इसमें मुझे संदेह लग रहा है मैं चहता हूं कि मंत्री जी उस संदेह को अगर वह है, तो दूर कर दें। मान्यवर, इन्होंने लिखा है कि लगातार 3 वर्ष सेवा की हो। मान्यवर, बहुत से स्कूलों में ऐसे मानदेय शिक्षक हैं जो पढ़ा रहें थे लेकिन बीच में अलग कर दिये गये, फिर सरकार की सदाशयता से लगे हैं, इसमें से बहुत से ओवर एज हो गये हैं तो इस तीन साल की बाध्यता को खत्म किया जाय। सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र को लागू करने जा रहीं है तो फिर इसको "इफ एण्ड बट" के साथ न लागू करें, मानदेय शिक्षक के रूप में जो लोग महाविद्यालयों में पढ़ा रहे हों या ऐसे शिक्षक जिनका 2 साल या 1 साल यदि बीच में गैप हो गया हो उनके बारे में भी विचार कर लें। मेरे इस अनुरोध को स्वीकार कर लें मैं इतना चाहता हूं।

*डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस सदन में हम लोगों ने पिछले दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय अंशकालीन अल्पकालिक शिक्षकों के बारे में चर्चा की थी। सरकार से स्वयं बताया 118 शिक्षक हैं चाहे वह अंशकालिक, अल्पकालिक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हों यह सारे रिक्त पदों के विपरीत हैं। यह सारे विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं से चयनित हैं यह सारे कुल सचिव द्वारा नियुक्त हैं। यह सारे न्यूनतम योग्यता को पूरा करते हैं। इसी सरकार ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2004 के द्वारा 31 दिसम्बर, 1997 तक के ऐसे शिक्षकों को जो इन्हीं क्राइटेरिया में आते हैं उन्हें विनियमित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि आज संशोधन अधिनियम लेकर आये हैं हम लोगों ने इसी विषय पर सदन में चर्चा की थी सदन में एक प्रश्न था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संशोधन अधिनियम में गोरखपुर विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों की कोई व्यवस्था है कि नहीं जिसके सहयोगी लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों को विनियमित किया जा चुका है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में उन्ही स्तरों के शिक्षकों को रिक्त पदों पर योग्यता रखते हुये बाकायदा विश्वविद्यालय द्वारा चयनित होने का कार्य किया गया लेकिन उन्हें विनियमित नहीं किया गया। वर्ष 1997 के पहले के शिक्षकों को सरकार ने विनियमित किया तो 1997 के बाद के शिक्षकों को सरकार विनियमित करेगी ? जबकि सरकार ने वर्ष 2002 में अपना घोषणा पत्र दिया है और यह कहा है कि जो काम कर रहें हैं सिर्फ उन्हें ही विनियमित नहीं करेगी बल्कि जो विस्थापित थे उन्हें भी विनियमित करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के उन अल्पकालिक और अंशकालिक शिक्षकों के बारे में जिनके बारे में 1997 की कट आफ डेट है क्या आगे की डेट बढ़ायेंगे ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

अध्यक्ष जी, आज बहुत महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक सदन के माध्यम से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग लाया गया है जिसकी धारा 31 घ जिसके तहत पिछले दिनों 23 महाविद्यालय अनुदान सूची में लिये गये थे। उनके शिक्षकों को विनियमित करने का सवाल था। उसमें कुछ त्रुटियां रह गयी थीं उनका संशोधन करते हुये उस समय के जो महाविद्यालय थे 23 महाविद्यालय जो स्ववित्त पोषित योजना के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्तर्गत चल रहे थे उनमें शिक्षक नियुक्त थे। तदर्थ की व्यवस्था उसमें नहीं है। स्ववित्त योजना ऐसे व्यक्तियों को भी विनियमित के लिये यह 31 घ में संशोधन किया गया है, यह विधेयक लाया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है वह प्रदेश के सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों में मानदेय शिक्षकों के विनियमितीकरण के लिये विधेयक लाया गया है। पिछले दिनों इसी विधान सभा में सवाल उठा था उस समय मैंने यह जवाब दिया था कि मानदेय शिक्षकों की चूंकि विनियमितीकरण की कोई नीति नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय में तमाम केसेस भी थे। बाजपेयी जी, राधामोहन दास और गौर साहब ने भी अनुरोध किया था कि सर्वोच्च न्यायालय में जो केसेस हैं उसको वापस लेकर शिक्षकों को विनियमित करके सरकार एक संवेदनशीलता का परिचय दे। सरकार हमारी समाजवादी पार्टी की है यह संवेदनशील सरकार है। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मानदेय शिक्षकों को विनियमित करेंगे।

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि घोषणा पत्र के अनुरूप और संवेदनशीलता को दिखाते हुये प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में कार्यरत मानदेय शिक्षकों को विनियमित करने के लिये निर्णय लिया और यह संशोधन उच्च शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से लाया गया है। बाजपेयी जी को सरकार को बधाई देना चाहिये कि जो काफी दिनों से काम कर रहें थे ऐसे लोग जिनके भविष्य में एक प्रश्न चिन्ह लग गया था ऐसे लोगों को विनियमित करने का काम सरकार ने किया। अब इसमें जो व्यवस्था है। अधिनियम के लागू होने की तारीख से वह सभी शिक्षक जो अनुदानित महाविद्यालय में कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हरता रखते हैं, जिसने 3 शैक्षणिक सत्र की न्यूनतम अवधि में कार्य करते हुये मानदेय प्राप्त किया हो उन्हीं के बारे में हम विचार करेंगे। इसके लिये चयन समिति है जिसमें उच्च शिक्षा सेवा आयोग का एक सदस्य है जो उसकी अध्यक्षता करेगा। उच्च शिक्षा विभाग का एक विशेष सचिव और निदेशक उच्च शिक्षा इसमें है जो इन सारी चीजों पर विचार करके ऐसे शिक्षकों को जो निर्धारित अर्हता को रखते हों और न्यूनतम अवधि में कम से कम 3 शैक्षिक सत्र में काम किया हो ऐसे सभी लोगों को विनियमित करने के लिये सरकार ने निर्णय लिया है। उनमें अगर कहीं ऐसे कुछ होंगे तो चयन समिति उसको देख लेगी। जहां तक माननीय सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल जी की बात है यह उच्च शिक्षा सेवा आयोग से संशोधन के लिये यह विधेयक लाया गया है। आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय का सवाल उठाया जो राज्य विश्व विद्यालय अधिनियम से गवर्न होता है। आपको मालूम होगा पिछले दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंशकालिक शिक्षकों को जब राज्य सरकार ने नियमित करने का निर्णय लिया था और उसके लिये राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करके विधेयक के माध्यम से उनको नियमित किया गया था। यह अलग प्रकरण है वह विश्वविद्यालय का प्रकरण है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम उस पर भी विचार कर रहें हैं। जब इतनों को विनियमित कर दिया गया है तो उनको भी विनियमित करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आश्वासन तो हो गया।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

कर दीजिये। आज सदन का अंतिम दिन है। यह आश्वासन दे दें कि हम कर देगें।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मेरा कहना है कि सरकार सदाशयता दिखा रहीं है जो अर्हता प्राप्त शिक्षक हैं जिनकी उम्र पार हो रही हैं जैसा कि अग्रवाल साहब ने भी आग्रह किया और अगर सरकार ने कहा है कि हम विचार करेंगे। सरकार केवल इतना कह दे कि हम उनको नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे, चाहे अध्यादेश लाकर करें, कर दें। दूसरा निवेदन यह है मानदेय शिक्षकों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था बताई गयी है उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि मैं पिछले 7 साल से विधान सभा में यह लड़ाई लड़ रहा था आज सरकार ने इसकी पूर्ति कर दी है इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं सुन तो लीजिये आप और अच्छा करेंगे इसलिये कह रहा हूं। आज इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है वह यह है कि जिस दिन अधिनियम प्रवर्तत होगा उस दिन कार्यरत् तीन शिक्षण सत्र से कार्यरत् को करेंगे।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मैं डॉ0 साहब, अर्ज करना चाहूंगा कि पहले से यह विचार में है।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

हम इस सदन के सदस्य हैं। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इन 5 साल के कार्यकाल में गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित मानदेय शिक्षकों और महाविद्यालयों से सम्बन्धित मानदेय शिक्षकों के बारे में कितनी बैठकें हुईं, कितनी बहसें हुई और कितनी चर्चा हुई। मैं इसीलिये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि इस पर विचार हो रहा है जबकि यह तथ्य गलत है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

यह प्रश्न तो इतना व्यापक हो गया और फिर आपके प्रश्न से सम्बन्धित भी नहीं है। उक्त प्रश्न आपकी तरफ से जो प्रश्न आया था वह विचार में है। आज चूंकि सदन का आखिरी दिन है।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जो न्याय आप उनको दे रहे हैं वह आप गोरखपुर विश्वविद्यालय को क्यों नहीं दे रहें हैं ? हम यही तो जानना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

हम इसीलिये तो कह रहें हैं कि क्योंकि आज सदन का आखिरी दिन है लिहाजा विचार का कहने की मंशा विचार का ही नहीं है बल्कि करने का है। माननीय मंत्री जी भी इसकी घोषणा करेंगे लेकिन सही समय पर करेंगे।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिये। मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि जो मानदेय शिक्षक किसी वजह से हट गये हैं। ऐसे शिक्षकों की संख्या 10-20 से ज्यादा नहीं होगी। 500 लोगों को आप अपने चुनावी घोषण पत्र के अनुरूप विनियमित करने जा रहे हैं। मैं आपको बधाई दे रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

किसी वजह से नहीं। अब वह वजह क्या है ? यह तो पता होना चाहिये। नहीं-नहीं।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आप सुन तो लीजिये।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

देखिये हम अपनी हदों से बाहर हो रहें हैं। किसी वजह से ? वजह मालूम होनी चाहिये।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैं वजह स्पष्ट कर रहा हूं। उनकी जगह पर आयोग द्वारा चयन होकर आ गये और उन्होंने 5-7 साल से पढ़ाया हुआ हो।

श्री रामआसरे वर्मा विश्वकर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, करीब साढ़े चार सौ मानदेय शिक्षक हैं जिनको विनियमित करने का निर्णय लिया गया है। मैंने कहा कि एक चयन समिति बनेगी। शिक्षा आयोग के सदस्य इसकी अध्यक्षता करेंगे। विशेष सचिव उच्च शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा इसमें रहेंगे। ऐसे सभी लोग जो विनियमितीकरण की निर्धारित अर्हता रखते हैं वह प्रत्यावेदन देंगे तो उस पर विचार करेंगे विनियमितीकरण किया जायेगा जो और लोग है वह चयन समिति में अपना प्रत्यावेदन दें, चयन समिति उसको उपयुक्त पायेगी तो उसको विनियमित करेंगे। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि उपयुक्त समय पर निर्णय लिया जायेगा।

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 31-घ का प्रतिस्थापन

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 31-घ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-

31-घ (1) किसी व्यक्ति को, जो,-

(क) किसी सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अधीन अध्ययन के बी0एड0 पाठ्यक्रम में अध्यापनरत् था और उक्त पाठ्यक्रम को सहायता अनुदान पर ले लिया गया है, और

(ख) 31 अगस्त, 2003 को या उसके पूर्व से सेवारत रहा हो तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ के दिनांक तक महाविद्यालय में अनवरत सेवा करता रहा हो एवं उपधारा-2 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा विचार किये जाने के दिनांक को राज्य सरकार द्वारा अवधारित अर्हता रखता हो, और

(ग) उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाया गया हो,

राज्य सरकार द्वारा सृजित पद पर महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जा सकती है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित होंगे-

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट आयोग का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा,

(ख) विशेष सचिव की पंक्ति से अनिम्न एक अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा,

(ग) निदेशक।

(3) उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति प्रत्येक अभ्यर्थी के मामले पर विचार करेगी और उपधारा (1) के उपबन्धों की दृष्टि से उसकी पात्रता के विषय में समाधान होने पर, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र को उसका नाम नियुक्ति के लिये संस्तुत करेगी।

मानदेय अध्यापकों का आमेलन

31-ङ (1) धारा 12 और 13 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन यदि कोई रिक्ति विद्यमान है, जिसे उक्त धाराओं के उपबन्धों के अधीन भरा नहीं जा सकता है तो मानदेय अध्यापक, जो सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्य कर रहा है, राज्य सरकार द्वारा अवधारित शैक्षिक अर्हता रखता है, जिसने तीन शैक्षिक सत्र की न्यूनतम अवधि में कार्य करते हुये मानदेय प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ के दिनांक तक कार्यरत है, को उपधारा (2) के अधीन विहित रीति से आमेलित किया जायेगा।

(2) जहां सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में किसी अध्यापक के पद की मौलिक रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, तो ऐसे पद को, निदेशक के आग्रह पर प्रबन्धतन्त्र द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट मानदेय अध्यापक को दिया जायेगा।

(3) जहां कोई मानदेय अध्यापक, जिसे उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गयी है, अनुमत समय के भीतर, जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा, पदभार ग्रहण करने में विफल रहें, तो उसका अग्रतर दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

स्पष्टीकरणः- इस धारा के प्रयोजन के लियेः-

"मानदेय अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में कार्य कर रहा हो और किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन में लगा हो और नियत मानदेय पर राज्य सहायता निधि से भुगतान प्राप्त कर रहा हो और निदेशक के पूर्वानुमोदन से संविदा के आधार पर नियुक्त हो।

(4) जहां निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्धतन्त्र मानदेय अध्यापक को कोई पद देने में विफल रहता है तो निदेशक ऐसे मानदेय अध्यापक को नियुक्ति-पत्र स्वयं जारी कर सकता है और सम्बन्धित मानदेय अध्यापक उस दिनांक से अध्यापक के रूप में अपना वेतन पाने का हकदार होगा जब वह ऐसे नियुक्ति-पत्र के अनुसरण में पदभार ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह तो अध्यक्ष जी, सर्वसम्मति से हुआ।

श्री अध्यक्ष-

सर्वसम्मति से कर दें।

श्री हुकुम सिहं-

नहीं, हम आपकी भावना का विरोध कर रहें हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

दो बातें कहीं, विचार भी है और करना भी है। तो विचार ही करना है या करना भी है।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण की इच्छा थी कि उनका पढ़ दिया जाये। डॉ0 विनोद तिवारी का मैं पढ़े दे रहा हूं जनपद लखीमपुर स्थित खीरी ब्रांच निगोहा की राहबाड़ा नगर की, सिल्ट सफाई की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है कार्य स्थगन प्रस्ताव की बाकी सब सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये देता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार सम्बन्धी डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रस्ताव का स्थगन

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने सम्बन्धी डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के प्रस्ताव का स्थगन

प्रदेश में बिक रहें शीतल पेय में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशकों के पाये जाने से जनस्वास्थ्य को होने वाले गम्भीर खतरे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन

प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-21, मद संख्या-22 मद संख्या-23, मद संख्या-24 को स्थगित किया जाता है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 51 के अन्तर्गत 37 सूचनायें प्राप्त हुयी थी सब स्वीकार कर ली गयी है। इन सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है सभी सूचनायें निम्नांकित हैं:-

पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार की अपट्रान इण्डिया लि0 के कर्मचारियों को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की लखनऊ स्थित 3 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर किये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद रायबरेली के ग्राम धीरनपुर में नलकूप खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री धर्मसिंह सैनी की जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील सदर स्थित अख्तर पुत्र अल्ला रक्खा की हत्या किये जाने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

नोट :- †पूर्व पृष्ठ संख्या 27 से 29 पर अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यानाकृष्ट किया गया।

पांचवी सूचना श्री अवधेश कुमार वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के ग्राम करनापुर की श्रीमती रंजीत कौर द्वारा फर्जी निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर शिक्षामित्र के पद पर चयन कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री भगेलू राम की जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पलटुकापुरवा निवासी राम खेलावन की जमीन का फर्जी वसीयतनामा कराये जाने के सम्बन्ध में हैं।

सातवीं सूचना श्री एम0एस0 सिद्दीकी की जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव में महिला चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई में कुण्डा नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना डॉ0 पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर के ग्राम पंचायत खोटही में विशेष बीमारी से हुई दर्जनों मौतों के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद सीतापुर में वर्ष 1998 में सरकारी गाड़ी से हुई मृत व्यक्ति की विधवा को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी में रामनगर स्थित पीपा पुल की जर्जर हालत के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा की जनपद खीरी स्थित ग्राम मजगई में राशन की दुकानों से राशन का वितरण न किये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री ओ0 पी0 सिंह की जनपद सुल्तानपुर में पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री घूरा राम की जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित विद्यालयों को ग्रान्ट दिये जाने के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्रामों में फुंके ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सोलहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की सुल्तानपुर-कुड़वार रोड पुलिस लाइन से पहले रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सत्रहवीं सूचना श्री कालीचरण राजभर की जनपद गाजीपुर के ढोतारी चट्टी से सिउरी अमहट बन्धा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

अट्ठारहवीं सूचना श्री दयाराम की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड नेवादा अन्तर्गत खदेरी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उन्नीसवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जनपद भदोही स्थित ज्ञानपुर पम्प कैनाल को चलाये जाने के सम्बन्ध में है।

बीसवीं सूचना श्री राजेश कुमार की जनपद खीरी स्थित नगर पंचायत मैलानी में शासन द्वारा रिवाल्विंग फण्ड एवं अन्य योजनाओं के विकास कार्यों का फर्जी भुगतान कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

इक्कीसवीं सूचना डॉ0 विनोद तिवारी की प्रदेश में पंचायत सदस्यों एवं प्रमुखों की संस्तुति से हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में है।

बाइसवीं सूचना श्री सुशील चौधरी की जनपद बागपत निवासी श्री अजीत सिंह को शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है।

तेइसवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा स्थित मुख्य सड़क को गड्ढा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौबीसवीं सूचना श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा की द किसान सहकारी चीनी मिल लि0, महमूदाबाद, सीतापुर में गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है।

पच्चीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी में बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 कार्डधारकों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में है।

छब्बीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ स्थित मोतीझील कालोनी निवासी श्री बाबूलाल निर्वाण की हत्या की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सत्ताइसवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर के नगर जहांगीराबाद स्थित उच्च प्राथमिक टाउन स्कूल की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है।

अट्ठाइसवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर के थाना रामकोट में हुये अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को दैवी आपदा राहत राशि दिये जाने के सम्बन्ध में है।

उन्तीसवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया की ग्राम पंचायत खारी में पंचायत भवन के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मेहनगर में स्वीकृत आश्रम पद्धति बालिका इण्टर कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

इकतीसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा दुर्बल आय वर्गों को आवंटित भवन पर ब्याज एवं प्रतिकर माफ किये जाने के सम्बन्ध में है।

बत्तीसवीं सूचना डॉ0 यशवन्त सिंह की जनपद फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत नगला के श्री नवाब सिंह की भूमि का पैमाइश कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तैंतीसवीं सूचना डॉ0 गंगा बख्श सिंह की जनपद आजमगढ़ की नागरिक पुलिस का आतंक उत्पीड़न एवं विधि विपरीत कृत्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौबीसवीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास की समन्वित बाल विकास परियोजना अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0-III के मुख्य सेविकाओं को जबरन सेवानिवृत्त किये जाने के सम्बन्ध में है।

पैंतीसवीं सूचना डॉ0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर स्थित मुख्य गण्डक कैनाल के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

छत्तीसवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0-III के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत मुख्य सेविकाओं के पारिश्रमिक का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सैंतीसवीं सूचना श्री रणवीर राणा की जनपद मेरठ स्थित चीनी निगम मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल द्वारा न्यूनतम मजदूरी कानून की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में है।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के चार सदस्यों के नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, एक प्रस्ताव है प्राविधिक शिक्षा का जिसको टण्डन जी ने और सबने स्वीकृति दी है उसे पढ़ा दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

पढ़ देते हैं।

महोदय, हम उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं:-

"यह सदन उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य कारने के लिये चार सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये, चार सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये चार सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को इस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये, चार सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

जनपद फैजाबाद स्थित मड़हा नदी की खुदाई में अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाये जाने एवं विभाग द्वारा करोड़ों रुपये का घोटाला किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा सूचना दी गयी है कि ...

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद अजम खां-

[वर्ष 2006-2007 अप्रैल माह में किसानों की लहलहाती गेहूं एवं रबी की फसल की खुदाई बगैर मुआवजा दिये सिंचाई विभाग द्वारा जबरदस्ती करायी गई, जिसके कारण तहसील मिल्कीपुर सोहावल व बीकापुर के कई हजार किसानों को करोड़ो में विभाग द्वारा नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी तरफ उक्त मड़हा नदी के तट पर दोनों तरफ मिट्टी का ढेर रख दिया गया, जिसके कारण किसान दोनों तरफ की अपनी फसल की देख-भाल भी नहीं कर सकता। पूरी लम्बाई में जहां तक खुदाई की गयी, कहीं पर तटबन्ध नहीं बनाया गया। तकनीकी रूप से पूरे काम की जांच हेतु उनके द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी को अनुरोध-पत्र मई/जून में दिया गया, जिसकी जांच अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ एवं फैजाबाद के पास लम्बित है तथा किसानों की फसल का मुआवजा एवं भूमि का मुआवजा अभी तक विभाग द्वारा नहीं दिया गया है। उपरोक्त कार्य में सिंचाई विभाग द्वारा कई करोड़ का घोटाला किया गया तथा किसानों को भूमिहीन कर दिया गया। प्रश्नगत प्रकरण पर पूरे जनपद के किसानों में भयंकर असंतोष है, कभी भी कोई बड़ा जनान्दोलन/किसान आन्दोलन हो सकता है।

2-उक्त सूचना के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 13-12-06 के द्वारा प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता से आख्या मांगी गई। इसी अनुक्रम में मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :-

(1) मड़हा ड्रेन जनपद बाराबंकी के रुदौली तहसील से निकलती है। 26 कि0मी0 लम्बाई बाराबंकी जनपद में एवं 170 कि0मी0 फैजाबाद में पड़ती है। इसी तरह से इसकी कुल

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लम्बाई 196.00 कि0मी0 है। जिसमें प्रथम फेज में ड्रेन के कि0मी0 100.00 से कि0मी0 196.00 तक एक परियोजना रु0 740 लाख की वर्ष 2005-06 में स्वीकृत हुई जिसमें तीन अदद पुल एवं कि0मी0 100.00 से कि0मी0 196.00 तक ड्रेन की क्षमता वृद्धि एवं मुआवजे का कार्य प्रस्तावित था। परियोजना के कार्य वर्ष 2005-06 में ही पूर्ण किया जाना भी प्रस्तावित था।

(2) वर्षा के समय जलप्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी जिससे 5763 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि, 154 गांव की 66000 आबादी बाढ़ में प्रभावित होती थी, ड्रेन की क्षमता वृद्धि होने से क्षेत्र की जलप्लावन की समस्या से लाभ हुआ है। इस समय ड्रेन की क्षमता वृद्धि करने से क्षेत्र में कोई जलप्लावन की समस्या नहीं है। कि0मी0 100.00 पर मड़हा ड्रेन की कैचमेंट एरिया 151.30 वर्गमील एवं डिस्चार्ज 1013 क्यूसेक है।

(3) मड़हा ड्रेन की खुदाई वर्ष 2005-06 में पूर्ण कर ली गई। इसके पूर्व कई वर्षों से मड़हा ड्रेन की कृषि योग्य भूमि एवं आबादी बहुत ही प्रभावित हुआ करती थी। खुदाई के समय प्रभावित गांव के काश्तकारों द्वारा खुदाई कार्य में बहुत ही सहयोग दिया गया, साथ ही तीनों प्रस्तावित पुलों का निर्माण भी वर्ष 2005-06 में ही पूर्ण करा लिया गया।

(4) मड़हा ड्रेन की खुदाई वर्ष 2005-06 में कराते समय जिन कृषकों की फसल का नुकसान हुआ था, उसका फसल मुआवजा 40 कृषक निवासी ग्रामसभा-गुठवारा, तहसील मिल्कीपुर को रु0 31,190.00 फसल मुआवजा के रूप में दिया गया था। ड्रेन की खुदाई की मिट्टी ड्रेन के दोनों तरफ डाली गई है। ड्रेन के किनारे तटबन्ध नहीं बनाया जाता है क्योंकि खुले जगहों से ही आस-पास का पानी नाले में जाता है, जिससे जलप्लावन की समस्या हल होती है। ड्रेन के किनारे तटबन्ध बनाने का परियोजना में कोई प्राविधान भी नहीं था। ड्रेन की खुदाई में विभाग द्वारा उपयोग में ली गई जमीन (54.40 हेक्टेयर) का मुआवजा प्रभावित कृषकों को इसी वित्तीय वर्ष 2006-07 में वितरित कर दिया जायेगा। इस परियोजना पर 158.00 लाख की धनराशि इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध है।

(5) मड़हा ड्रेन के कार्यों की जांच अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्दशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, आजमगढ़ एवं अधीक्षण अभियन्ता षोडशम मण्डल, सिंचाई कार्य, प्रतापगढ़ की एक समिति गठित करके कराई गई। जांच आख्या प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के पत्र दिनांक 30-10-06 के माध्यम से प्राप्त हो गई है। इस जांच आख्या के आधार पर मा0 विधायक, श्री राम चन्द्र यादव द्वारा की गई शिकायतें प्रमाणित नहीं पाई गई हैं।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के ग्रामों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ में विद्युत आपूर्ति...

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[में भेदभाव नहीं वरता जा रहा है एवं किसानों को निर्धारित समय के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है। तहसील कुण्डा के ग्रामीण क्षेत्रों में 14.00 घण्टा (समय रात्रि 21.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक एवं दोपहर 12.00 बजे से सायंकाल 16.00 बजे = कुल 14 घण्टे) विद्युत आपूर्ति दिये जाने का निर्देश है। जबकि तहसील लालगंज के ग्रामीण क्षेत्रों को 15.00 घण्टा (रात्रि 21.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक एवं प्रातः 10 बजे से सायंकाल 17.00 बजे तक= कुल 15 घण्टा) विद्युत आपूर्ति दिये जाने का निर्देश है। तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों लालगंज संग्रामगढ़, सांगीपुर, उदयपुर, पहाड़पुर एवं रामपुर से निर्गत पोषकों पर प्रणाली नियन्त्रण द्वारा निर्धारित प्रतिदिन 15.00 घण्टा विद्युत आपूर्ति के सापेक्ष औसत विद्युत आपूर्ति लगभग 14.20 से 14.30 घण्टा तक माह नवम्बर में तथा लगभग 14.30 घण्टा माह दिसम्बर, 2006 (दिनांक 12-12-2006 तक) विद्युत आपूर्ति की गयी है। इससे स्पष्ट है कि तहसील लालगंज में तहसील कुण्डा से कम विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है। माननीय सदस्य द्वारा तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज, सांगीपुर, उदयपुर एवं संग्रामगढ़ क्षेत्रों में 18.00 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विद्युत की आपूर्ति विद्युत की उपलब्धता के आधार पर ही की जाती है।]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम पंचायत भगतपुर संतपुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्री की नियुक्ति गलत ढंग से किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवकी नन्दन कोरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, दिनांक 11-12-2006 को नियम 51 के अन्तर्गत श्री देवकी नन्दन कोरी, माननीय सदस्य....

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[विधान सभा द्वारा यह सूचना दी गयी है कि "जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम पंचायत भगतूपुर सन्तपुर में सन 2005 में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के विज्ञापित पद पर चयन हेतु प्रक्रिया एक निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं की गयी है। चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत (1) यदि अभ्यर्थी विधवा हो (2) परित्यक्ता हो (3) आरक्षित श्रेणी का हो, किन्तु इन सभी तथ्यों की अनदेखी करते हुये वहां बिना चयन के आंगनवाड़ी कार्यकत्री की नियुक्ति की गयी। उदाहरण स्वरूप श्रीमती सरिता द्विवेदी ने विज्ञापित पद में न तो आवेदन किया और न ही साक्षात्कार/चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हुयीं। बिना चयन के इनकी नियुक्ति कर दी गयी है।"

2-इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि विकास खण्ड मल्लावां जनपद हरदोई में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के चयन में अनियमितता के प्रकरण की जांच निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा करायी गयी। जांच से यह प्रकाश में आया कि विकास खण्ड मल्लावां जनपद हरदोई की ग्राम पंचायत भगतूपुर, संतपुर, 11 केन्द्र के लिये आंगनवाड़ी कार्यकत्री पद पर चयन हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 10-11-04 को सम्पन्न हुयी थी। कार्यकत्री पद हेतु 03 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये, जिसमें श्रीमती सरिता द्विवेदी की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट द्वितीय श्रेणी, सुश्री उषा देवी की इण्टरमीडिएट प्रथम श्रेणी (जन्म तिथि 7-9-85) तथा सुश्री पूनम सिंह चौहान की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट तृतीय श्रेणी में थी।

3- उक्त में से सुश्री उषा देवी की उम्र कम होने तथा सुश्री पूनम सिंह चौहान का आय प्रमाण पत्र संलग्न न होने के कारण श्रीमती सरिता द्विवेदी का आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद पर चयन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरदोई से प्राप्त जांच आख्या में यह अवगत कराया गया है कि श्रीमती सरिता द्विवेदी का चयन बाल विकास परियोजना अधिकारी, मल्लावां, हरदोई के आदेश दिनांक 11-11-04 द्वारा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया है। श्रीमती सरिता द्विवेदी के चयन के समय ग्राम भगतूपुर, सन्तपुर में जानकारी करने पर यह पाया गया कि इस ग्राम में कोई विधवा महिला अभ्यर्थी नहीं है। अतः सरिता द्विवेदी के चयन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी के ग्राम लोखरिया के नाबालिग छात्र श्री अवधेश उर्फ दीपक को पुलिस द्वारा जनपद रायबरेली से गायब किये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 के0 सिंह पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खॉं)-

मान्यवर, जनपद-चित्रकूट के थाना-कर्वी के ग्राम-लोखरिया के नाबालिग छात्र श्री अवधेश की पुलिस .....

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[द्वारा जनपद-रायबरेली से गायब किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, रायबरेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 से प्राप्त आख्याओं के आधार पर निम्नवत् तथ्य दृष्टिगोचर हुये हैं:-

प्रकरण में अन्तर्राज्यीय गिरोह सं0-229 के तीन लाख के इनामियां गैंग लीडर अम्बिका पटेल उर्फ टोकिया पुत्र राम स्वरूप पटेल का सगा चाचा एवं हार्ड कोर सदस्य, राज करन दिनांक 16-08-2006 को इलाहाबाद में एस0टी0एफ0 द्वारा एक साहसिक मुठभेड़ में मार गिराया गया था, जिसका मु0अ0सं0-259/06 अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0वि0, 260/06 अन्तर्गत धारा-25 आर्म्स ऐक्ट, मु0अ0सं0-261/06 अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत थाना-कर्नलगंज, जनपद-इलाहाबाद पर पंजीकृत है। मारा गया अपराधी राज करन जो कि राम स्वरूप पटेल का सगा भाई था, के विरुद्ध उ0प्र0 व म0प्र0 के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, डकैती जैसे जघन्य अपराधों के लगभग 22 मुकदमें पंजीकृत हैं। इस दुर्दान्त अपराधी की गिरफ्तारी हेतु उत्तर प्रदेश से रु0-20,000/ एवं मध्य प्रदेश से रु0-10,000/ का पुरस्कार घोषित था। मारे गये अपराधी के पास से एक 9 एम0एम0 पिस्टल मैगजीन सहित 30 स्प्रिंग फील्ड राइफल के ढेर सारे कारतूस एच0ई0 36 जैसे खतरनाक हैण्ड ग्रेनेड्स एवं अन्य सामान बरामद हुआ था। इस पुलिस मुठभेड़ की मैजिस्ट्रियल जांच जिलाधिकारी, इलाहाबाद के आदेश से हो रही है।

राम स्वरूप पटेल जो कि आई0एस0 गैंग 229 के गैंग लीडर अम्बिका पटेल का पिता है, का यह आरोप है कि उसके पुत्र अवधेश को जनपद-रायबरेली से पुलिस द्वारा पकड़कर ले जाया गया है, इत्यादि के सम्बन्ध में ए0टी0एफ0 की आख्यानुसार सरासर गलत एवं पेशबन्दी में लगाया गया है तथा इन परिस्थितियो में पुलिस का मनोबल तोड़ने एवं उसका ध्यान एवं उसका ध्यान प्रत्यावर्तित करने के

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिये पेशबन्दी में तरह-तरह के आरोप गैंग लीडर के परिजनों द्वारा लगाये जा रहें हैं, ताकि पुलिस उक्त गैंग के विरुद्ध पूरे मनोयोग के साथ प्रभावी कार्यवाही न कर सके और यह गैंग निर्वाधरूप से अपने आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहें।

इसके अतिरिक्त प्रकरण में इसी तरह के आरोपों से युक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका सं0-46266/06 अवधेश पटेल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य भी दाखिल की गयी है, जिसमें स्थानीय पुलिस, इलाहाबाद एवं एस0टी0एफ0 द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जा चुके हैं और यह प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।]

जनपद रायबरेली के डलमऊ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु धन अवमुक्त होने के बाद भी कार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने उल्लेख किया है कि....

श्री वसीम अहम्द-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने किया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[विधान सभा क्षेत्र डलमऊ के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में यू0पी0आई0एल0, रायबरेली से विकास कार्य कराने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था तथा धन भी अवमुक्त कर दिया गया था किन्तु विकास कार्य अभी तक नहीं कराये गये हैं जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्याधिक रोष व्याप्त है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लिखित तथ्यों पर जिलाधिकारी, रायबरेली से पत्र दिनांक 08-12-2006 द्वारा आख्या मांगी गयी है, जो अभी प्राप्त नहीं हुयी है। जिलाधिकारी, रायबरेली से आख्या प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

लखनऊ-बलिया राजमार्ग पर रसड़ा से ग्राम सभा पहसा के बीच क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घूराराम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र....

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[रसड़ा के अन्तर्गत लखनऊ बलिया मार्ग विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के पूर्वी ग्राम सभा रेखहा से विधान सभा पश्चिमी के ग्राम सभा पहसा तक लगभग 35 कि0मी0 सड़क के क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख करते हुये उसके पुनर्निर्माण का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग सुल्तानपुर-आजमगढ़-मऊ-बलिया (राज्य मार्ग संख्या-34) का भाग है तथा पहसा से रेखहा के बीच मार्ग की लम्बाई लगभग 31 कि0मी0 है और इसी मध्य में रसड़ा बाजार की आबादी का भाग 2 कि0मी0 लम्बाई में पड़ता है। इस मार्ग के आजमगढ़-मऊ-रसड़ा-फेफना प्रभाग के वृहद रख-रखाव हेतु (आजमगढ़ शहर बाईपास तथा आजमगढ़ बंधा मार्ग को सम्मिलित करते हुये) कुल 115.5 कि0मी0 की लम्बाई के भाग का उच्चीकरण (अपग्रेडेशन) का कार्य विश्व बैंक पोषित एस0आर0पी0-2 योजना के अन्तर्गत रु0 111.49 करोड़ की लागत से स्वीकृत है जिसकी निविदायें मांगी गयी थी परन्तु निविदा दर अधिक होने के कारण विश्व बैंक द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया जिसे निरस्त करते हुये पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के राज्य मार्गों/प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के सामान्य अनुरक्षण तथा पाट होल्स एवं पैचेज के मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-708 रा0स0नि0/तेइस-1- 2006-44रा0 स0 नि0/06, दिनांक 09 अक्टूबर, 2006 द्वारा रु0 2415.13 लाख तथा शासनादेश संख्या-746 रा0स0नि0/तेइस-1-2006-44 रा0स0नि0/06, दिनांक 23 नवम्बर, 2006 द्वारा रु0 550.67 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है। उपरोक्त मार्ग पर पैचेज/पाट होल्स की मरम्मत निरन्तर कराई जा रही है। यातायात धनत्व अधिक होने तथा मार्ग की कस्ट थिकनेस कम होने के कारण सतह कुछ असमतल है। रसड़ा बाजार में सड़क की सतह नीची होने तथा वर्षा के पानी की समुचित निकासी का प्रबन्ध न होने से जलभराव होने के फलस्वरूप रसड़ा बाजार भाग में सतह क्षतिग्रस्त है जिसकी विशेष मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। एस0आर0पी0-2 में स्वीकृत उपरोक्त मार्ग के अपग्रेडेशन कार्य के पूर्ण हो जाने पर आजमगढ़ से फेफना के बीच के पूरे मार्ग की सतह ठीक हो जायेगी।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद में प्रस्तावित मार्गों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलमबदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, प्रश्नगत सूचना के माध्यम से प्रत्येक विधान सभा/परिषद् में क्षेत्रवार.....

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[07-07 किमी0 मार्ग दिये जाने की घोषणा के सन्दर्भ में मा0 सदस्य द्वारा जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-196, निजामाबाद के लिये प्रस्तावित मार्गों की वित्तीय स्वीकृति अभी तक निर्गत न किये जाने की सूचना देते हुये अविलम्ब वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की मांग की गई हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-196 निजामाबाद हेतु जो आगणन प्राप्त हुये थे उनमें त्रुटियां थी। त्रुटियों का निवारण करते हुये निम्नलिखित मार्गों के संशोधित आगणन प्राप्त हो गये हैं।

(1) ग्राम-सिद्धा सुल्तानपुर के उत्तर की ओर निजामाबाद-फूलपुर तक लिंक मार्ग।

(2) सजरपुर मोहनपुर मार्ग के कुजयारी ग्राम से बुढसेनपुर ग्राम तक।

(3) आजमगढ़-वाराणसी मार्ग पर रानी की सराय से ग्राम-अधौरी तक।

(4) सजरपुर मोहनपुर मार्ग का मोहनपुर लिंक मार्ग होते हुये निजामाबाद फूलपुर मार्ग तक विस्तारीकरण।

उपरोक्त मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।]

जनपद सीतापुर के सहायता प्राप्त कन्या माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग की शिक्षिकाओं को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि...

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद चयन वेतनमान एवं चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान प्रदान करने की व्यवस्था है जिसका अनुपालन लखनऊ जनपद में तो हो रहा है परन्तु जनपद सीतापुर के

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सहायता प्राप्त कन्या माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग की शिक्षिकाओं को चयन वेतनमान में 15 वर्ष से अधिक संतोषजनक सेवा के उपरान्त भी प्रोन्नत वेतनमान जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर द्वारा नहीं स्वीकृत किया जा रहा है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजाज्ञा संख्या : 4307/15-8-3038/99 दिनांक 20-12-2001 के द्वारा प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है। शासनादेश दिनांक 20-12-2001 की व्यवस्थानुसार माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है। यह शासनादेश जनपद सीतापुर सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों पर लागू है।

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षक भी माध्यमिक शिक्षा अधिनियम-1921 एवं वेतन वितरण अधिनियम 1971 से शासित होते है। शासनादेश दिनांक 20-12-2001 में माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षकों के लिये एक स्पष्टीकरण आदेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।]

जनपद सुल्तानपुर की सहकारी चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारियों की भविष्य निधि का पैसा उनके खाते में जमा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दी गयी अपनी सूचना में किसान सहकारी चीनी मिल...

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[सुल्तानपुर के कर्मचारियों का भविष्य निधि का पैसा उनके वेतन से काट लिया गया है, किन्तु कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ से प्राप्त सूचनानुसार चीनी मिल में नियुक्त कर्मचारियों का माह नवम्बर, 2006 तक रू0 137.66 लाख भविष्य निधि का बकाया है। मिल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस चीनी मिल को अब तक रु0 88.72 करोड़ की शुद्ध हानि हो चुकी है। चीनी मिल की पेराई क्षमता 1250 टी0सी0डी0 है, जो कि एक अलाभप्रद क्षमता है। चीनी मिल के ऊपर राज्य सरकार का रु0 53.83 करोड़ ऋण एवं ब्याज की राशि बकाया है, जिसका भी भुगतान करने में चीनी मिल अपनी अलाभप्रद क्षमता के कारण सक्षम नहीं हो पा रहीं है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मिल के लाभप्रद स्थिति में आने एवं अन्य वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर चीनी मिल के कर्मचारियों के भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान सम्भव हो पायेगा।]

लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को उच्चीकृत करने एवं चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र.....

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[के राजाजीपुरम् में पूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी द्वारा 30 शैय्याओं वाले रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय को उच्चीकृत करके 100 शैय्याओं वाले अस्पताल बनाने की घोषणा की गयी थी। अस्पताल को उच्चीकृत करने के लिये स्वीकृति प्रदान कर धन भी अवमुक्त किया गया था। अस्पताल में कार्य भी प्रारम्भ हो गया था, किन्तु धनाभाव के कारण यह कार्य महीनों से रुका पड़ा हुआ है और अभी चिकित्सकों की नियुक्ति भी नहीं हुई है जिससे जनमानस को समुचित सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मा0 सदस्य द्वारा उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य देने की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ शहर के राजाजीपुरम् तथा इससे निकट के क्षेत्र की चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिनांक 19-03-98 को 30 शैय्या चिकित्सालय की स्वीकृति प्रदान करते हुये इसके भवन निर्माण की लागत रु0 112.99 लाख स्वीकृति की गयी। चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। दिनांक 06-03-99 को उक्त कार्य हेतु रु0 137.08 लाख पुनरीक्षित लागत स्वीकृति की गयी, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को रु0 100.00 लाख अवमुक्त किया गया । वर्तमान में 30 शैय्या चिकित्सालय निर्मित एवं क्रियाशील है तथा फिजिशियन, सर्जन, आकस्मिक इकाई, रेडियोलॉजी, ई0एन0टी0 तथा महिला रोगों के उपचार (गायनिक) की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

3-तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी द्वारा चिकित्सालय में 70 अतिरिक्त शैय्या विस्तार करके 100 शैय्या चिकित्सालय स्थापित किये जाने की घोषणा की गयी है। 70 अतिरिक्त शैय्या विस्तार हेतु दिनांक 16-07-99 को रु0-196.30 लाख लागत स्वीकृत की गयी, यह धनराशि हास्पिटल फण्ड से मार्च, 2005 में अवमुक्त हो सकी। इस बीच लोक निर्माण विभाग द्वारा कुर्सी क्षेत्रफल दरों

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में संशोधन कर दिये जाने के कारण योजना को पुनरीक्षित करना पड़ा तथा भवन निर्माण हेतु रु0 327.94 लाख पुनरीक्षित लागत स्वीकृत की गयी। इस प्रकार उक्त 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय के लिये कार्यदाही संस्था को कुल परियोजना लागत रुपये 465.02 लाख के सापेक्ष रु0 296.30 लाख का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष रुपये 168.72 लाख देने की कार्यवाही की जा रहीं है। वर्तमान में उक्त चिकित्सालय में 30 शैय्या संचालित है इसके अतिरिक्त चिकित्सालय का 76 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसमें श्रेणी-4 के 4 आवास, श्रेणी-2 के 6 आवास एवं श्रेणी-1 के 6 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका 70 शैय्या वार्ड एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। चूंकि चिकित्सालय का निर्माण कार्य 76 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है अतः पदों एवं उपकरणों से सुसज्जित करने की कार्यवाही हेतु धनराशि की व्यवस्था की जा रहीं है चिकित्सालय का निर्माण कार्य चिकित्सालय विस्तार के अन्तर्गत आकस्मिक, मेडिसिन, अस्थिरोग, पैथालांजी, बाल रोग, हृदय रोग, नेत्र, दन्त, गायनकोलॉजी आदि चिकित्सा सुविधायें जनसामान्य को उपलब्ध हो जायेगी।

मेरठ नगर निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति ठीक किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मेरठ नगर निगम क्षेत्र में....

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[पेयजलापूर्ति ठीक किये जाने के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि नगर निगम मेरठ द्वारा वर्तमान में 28 ओवर हेड टैंक, 4 भूमिगत जलाशय, 80 नलकूपों, 860 कि0मी0 पाइप लाइन, 3856 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों तथा लगभग 2.5 एम0एल0डी0 पानी गंगा नहर (सरफेश वाटर) से प्राप्त करके लगभग 167 एम0एल0डी0 पेयजल की आपूर्ति जनता को दी जा रहीं है।

वर्तमान में 71% मेरठ महानगर का एरिया पाइप जलापूर्ति से आच्छादित है। महानगर के बहुत से वार्ड ऐसे हैं, जिसमें हैण्डपम्प ही पानी का स्रोत हैं। उन वार्डों में नई पाइप लाइन, ओवर हेड टैंक, भूमिगत जलाशय, नलकूपों का अधिष्टापन तथा ऐसे वार्ड जहां 100 वर्ष पुरानी पाइप लाइनें हैं, उन्हें बदलने का कार्य जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के माध्यम से बनायी जा रहीं योजना में सम्मिलित किया गया है। इस कार्य का एक सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार कर दिनांक 18-08-06 को भेजा गया है, जो भारत सरकार के विचाराधीन है। इस प्लान में भविष्य में भूजल का दोहन रोकने के लिये (सरफेश वाटर गंगा नहर से प्राप्त पानी) का पूरे महानगर में पेयजलापूर्ति के लिये उपयोग करने की भी योजना सम्मिलित है। इस प्लान में विभिन्न घटकों में से शहर की प्राथमिकता वाले घटकों यथा-जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज एवं सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के कार्यो को प्रथम चरण में

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राथमिकता पर लेते हुये इनकी डी0पी0आर0 बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। मेरठ शहर के लगभग 80% भाग का लेबल सर्वे भी पूरा हो चुका है, शेष सर्वे शीघ्र ही पूरा कराकर डी0पी0आर0 भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित कर दी जायेगी। डी0पी0आर0 में मा0 विधायक द्वारा उठाये गये विन्दुओं को सम्मिलित किया जा रहा है।

जनपद फतेहपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय इजूरा बुजुर्ग क्षेत्र एरांया के अध्यापक श्री राधेश्याम को अन्यत्र हटाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में जनपद फतेहपुर में स्थित...

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[प्राथमिक पाठशाला इजुरा बुजुर्ग शिक्षा क्षेत्र एरांया के प्रधानाध्यापक श्री राधेश्याम को वहां से हटाकर किसी अन्य विद्यालय या पी0आर0सी0 ऐरांया से सम्बद्ध कर दिये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि अध्यक्ष/मंत्री, प्राथमिक शिक्षक संघ/पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ से अपने पत्र दिनांक 13-10-2006 द्वारा प्राथमिक पाठशाला इजुरा बुजुर्ग के प्रधानाध्यापक श्री राधेश्याम के साथ ग्राम प्रधान द्वारा मार-पीट करने तथा जबरन चेक पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में उनको अवगत कराया गया था। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फतेहपुर से यह अनुरोध किया गया था कि प्रकरण पंचायत राज विभाग तथा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित होने के कारण किसी अन्य विभाग से जांच करायी जाये जिस पर जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या अद्यतन अप्राप्त है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर ने सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ऐरांया से प्राप्त आख्या के आधार पर ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापक श्री राधेश्याम के मध्य विवाद होने के कारण प्रधानाध्यापक श्री राधेश्याम का स्थानान्तरण दि0 12-12-2006 द्वारा प्राइमरी पाठशाला अल्लीपुर भादर द्वितीय शिक्षा क्षेत्र ऐरांया, फतेहपुर कर दिया है।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि श्री राधेश्याम, प्रधानाध्यापक द्वारा थाना सुल्तानपुर घोष खागा, फतेहपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है।]

जनपद लखीमपुर-खीरी स्थित नगर पंचायत मैलानी में तैनात अधिशासी अधिकारी को हटाने एवं उसके विरुद्ध धन के दुरुपयोग के मामले में जांच कराने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना में...

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री वसीम अहम्मद-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये है कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत बेला खीरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत मैलानी में शासन द्वारा रिवाल्विंग फण्ड व अन्य योजनाओं के द्वारा काफी मात्रा में धन का आवंटन निर्माण कार्य कराने हेतु दिया गया था लेकिन श्री हनीफ अहमद अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मैलानी में लगभग 10 वर्षों से तैनात है, इनके द्वारा नगर पंचायत मैलानी में विकास कार्यों का फर्जी भुगतान करके काफी मात्रा में धन का दुरुपयोग किया गया है। मा0 सदस्य द्वारा इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये श्री हनीफ अहमद, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मैलानी, जनपद लखीमपुर खीरी का स्थानान्तरण अन्यत्र किये जाने तथा उनके द्वारा फर्जी भुगतान की जांच कराये जाने की मांग की गयी है।

2- मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी एवं निदेशक, स्थानीय निकाय से आख्या प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी, खीरी ने अवगत कराया है कि 10 वर्षों में विभिन्न मदों के अन्तर्गत शासन से प्राप्त आवंटन से कराये गये निर्माण कार्यों के विरुद्ध किये गये भुगतान की जांच हेतु उप जिलाधिकारी, गोला को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उक्त जांच में निश्चित रूप से समय लगना सम्भावित है। जांच अधिकारी की जांच आख्या प्राप्त होते ही आख्या/संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जायेगी। निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री हनीफ अहमद अधिशासी अधिकारी पूर्व में दिनांक 29-05-92 से दिनांक 13-06-97 तक तथा दिनांक 05-06-1999 से अब तक नगर पंचायत, मैलानी जनपद लखीमपुर खीरी में तैनात है।

3-प्रकरण में जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी की जांच आख्या/संस्तुति शासन में प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज स्थित शारदा सहायक खण्ड-23 के अन्तर्गत अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खाँ)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा सूचना दी गयी है कि जनपद आजमगढ़ में ....

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[तहसील-लालगंज में आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले शारदा सहायक खण्ड-23 के राजबाहा से बसही माइनर तमाम किसानों की जमीन को अधिग्रहीत करके बनी। उस समय अधिग्रहीत करते समय ग्राम-बसहीं, बरहती, नरायनपुर, नेवादा, शेरपुर अहिरौली के किसान मुआवजा की मांग की थीं इन ग्रामों के किसानों को विशेष भूमि अध्याप्ति द्वारा नोटिस दी गयी, मगर आज तक लम्बा समय गुजर जाने के बाद भी शारदा सहायक (सिंचाई विभाग) द्वारा किसानों को मुआवजा नहीं मिला। कहीं-कहीं किसान दुःखी होकर माइनर को पाट दिये थे। जनपद के अधिकारी किसानों की बात सुन नहीं रहे हैं। मुआवजा न मिलने से बसही माइनर में अधिग्रहीत की गयी भूमि के किसानों में काफी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है। स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। किसान आन्दोलित हो सकते है।

2-उक्त सूचना के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 11-12-06 के द्वारा प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई विभाग, लखनऊ से आख्या मांगी गयी। इसी अनुक्रम में मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई विभाग, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार स्थिति निम्नवत् है।

जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक प्रणाली लालगंज राजबाहें से निकलने वाली वैरमपुर माइनर से बसही माइनर निकलती है, जो लालगंज तहसील, परगना देवगांव में स्थित है। इस नहर का निर्माण वर्ष 1976-77 में हुआ था। इस नहर के लिये ली गयी समस्त भूमि के प्रतिकर का भुगतान निर्माण के पूर्व नहीं किया जा सका था, परन्तु कालान्तर में धन की उपलब्धता के अनुसार प्रतिकर की राशि का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा निम्न प्रकार किया गया:-

क्र0सं0	ग्राम का नाम	रकबा एकड़ में	प्रतिकर भुगतान की राशि	भुगतान का वर्ष
1	चक करदही	1.056		
2	जमीन खरचतन	1.182	रु0 1.36 लाख	1982-83
3	अहिरौली खिजीरपुर	2.291	रु0 1.12 लाख	1986-87
4	मदद्पुर	0.415	रु0 0.06 लाख	1997-98
5	बसही	2.725		
	योग-	7.669 एकड़	रु0 2.54 लाख	

इस प्रकार उक्त पांचों ग्रामों का प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बसही माइनर पर तीन अन्य ग्रामों का प्रतिकर भुगतान करना शेष है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

1-नरायनपुर नेवादा एवं बरहती :- इन ग्रामों की 4.499 एकड़ भूमि का प्रकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़ के स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

2-शेखुपुर:- इस ग्राम के 31 काश्तकारों की कुल 3.60 एकड़ भूमि का प्रतिकर रु0 30.38 लाख ब्याज सहित बनता है, जिसके भुगतान कार्यवाही की जा रही है।]

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्र-गान

श्री अध्यक्ष-

अब राष्ट्र-गान होगा।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 1 बजकर 10 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 15 दिसम्बर, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

देखिये अता0प्र0सं0-59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर

कराये गये विकास कार्यों की सूची

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का विवरण	व्यय की गयी धनराशि
1.	14-12-05	मुख्य मार्ग दलनछपरा सोनबरसा से ठाकुर साहब के घर के पास पुलिया के अगल-बगल मिट्टी भराई का कार्य एवं मजदूरी व्यय।	18850.00
2.	28-12-05	गोपालपुर, मुरार पट्टी इ0का0 मार्ग से बा0वि0 तक मिट्टी भराई का कार्य एवं मजदूरी का भुगतान।	7424.00
3.	13-01-06	राजेन्द्र शर्मा के घर से मथुरा यादव के घर तक खड़ंजा कार्य हेतु 153 एम0मिट्टी क्रय रु0 65.00 मय ढुलाई सहित।	9945.00
4.	16-01-06	उक्त मिट्टी की ढुलाई एवं लेबर द्वारा ड्रेसिंग मजदूरी व्यय सहित।	2784.00
5.	16-01-06	उक्त कार्य हेतु प्रथम श्रेणी ईंट क्रय रु0 1700.00 प्रति हजार। 16800 अदद ईंट।	28660.00
6.	21-01-06	उक्त ईंट की आन्तरिक ढुलाई एवं खड़ंजा जुड़ी मजदूरी मस्टररोल का 17-01-06 से 21 -01-06 तक।	5880.00
7.	08-02-06	34 अदद स्यूम पाईप क्रय कर भुगतान मय ढुलाई ए0एस0आर0सी0सी0 स्पन्न पाईप मऊ फर्म को भुगतान चेक द्वारा।	57100.00
8.	09-03-06	महेश मिस्त्री की दुकान से मुरारपट्टी इ0का0 के पास पिच रोड तक मिट्टी क्रय 368 एमX65	23920.00
9.	09-03-06	उक्त मिट्टी की आन्तरिक ढुलाई एवं लेवलिंग/मजदूरी व्यय सहित।	6612.00
10.	10-03-06	ईंट क्रय प्रथम श्रेणी 55050 X रु0 1700.00	93585.00
11.	13-03-06	महेश मिस्त्री की दुकान से मुरारपट्टी इ0का0 के पास पिच रोड तक मिट्टी कार्य हेतु मिट्टी क्रय।	8580.00
12.	13-03-06	मथुरा यादव के घर से मुख्य मार्ग तक नया खड़ंजा निर्माण हेतु मिट्टी क्रय।	5135.00

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का विवरण	व्यय की गयी धनराशि
13.	17-03-06	उक्त मिट्टी की आन्तरिक ढुलाई एवं लेबलिंग/मजदूरी व्यय सहित।	1392.00
14.	21-03-06	उक्त खड़ंजा जुड़ाई मजदूरों की मजदूरी पर व्यय।	3528.00
15.	31-03-06	दो प्रकार के समाचार-पत्र का व्यय माह सितम्बर, 2005 से माह मार्च, 2006 तक का भुगतान।	1470.00
16.	31-03-06	स्टेशनरी पर व्यय।	1127.00
17.	28-06-06	महेश मिस्त्री की दुकान से मुरारपट्टी इ0का0 के पास पिच रोड तक मिट्टी कार्य हेतु मिट्टी क्रय।	37170.00
18.	28-06-06	उक्त मिट्टी की आन्तरिक ढुलाई एवं लेबलिंग/ड्रेसिंग/मजदूरी व्यय सहित	6902.00
19.	28-06-06	उक्त पर खड़ंजा एवं ईंट ढुलाई एवं मिट्टी पर व्यय।	8580.00
20.	28-06-06	प्रा0पा0 भगवानपुर के पास पक्की सड़क से बरमेश्वर यादव के घर के पास तक सम्पर्क मार्ग हेतु मिट्टी पर व्यय।	37800.00
21.	28-06-06	उक्त मिट्टी की लेबलिंग, ड्रेसिंग एवं आन्तरिक ढुलाई पर व्यय।	9744.00
22.	30-06-06	प्रधान के पास अवशेष धनराशि।	47.00
		योग-	376135.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

देखिये अता0प्र0स0-60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर

दिनांक 26-10-05 से 13-6-06 तक कराये गये विकास कार्यों की सूची

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का विवरण	व्यय की गयी धनराशि
1	31-10-05	मध्याह्न भोजन बनाने वाले दाईयों की कुल 10 स्कूलों की संख्या-11 दाईयों की मजदूरी पर व्यय।	13398.00
2	31-10-05	मध्याह्न भोजन बनाने की सामग्री क्रय पर व्यय।	10162.00
3	30-11-05	मध्याह्न भोजन बनाने वाली दाईयों की कुल 10 स्कूलों की संख्या-11 दाईयों की मजदूरी भुगतान पर व्यय (माह-अक्टूबर)।	8294.00
4	30-11-05	मध्याह्न भोजन बनाने वाले दाईयों की कुल 10 स्कूलों की संख्या-11 दाईयों की मजदूरी भुगतान पर व्यय (माह-नवम्बर)।	9570.00
5	30-11-05	मध्याह्न भोजन बनाने की सामग्री क्रय पर व्यय (माह अक्टूबर+नवम्बर)	29256.00
6	22-12-05	7 अदद इण्डिया मार्क-2 हैडपम्प रु0 22000.00 की दर से क्रय पर व्यय।	154000.00
7	28-12-05	लालगंज गोपालपुर मुख्य मार्ग से राजेश उपाध्याय के घर तक खड़ंजा कार्य पर मिट्टी क्रय पर व्यय।	5070.00
8	30-12-05	उक्त मिट्टी लेबलिंग, ढुलाई मजदूरी पर व्यय।	1392.00
9	30-12-05	उक्त कार्य पर ईट क्रय प्रथम श्रेणी-9000X रू0 1700.00	15300.00
10	4-1-06	लालगंज मुख्य मार्ग से राजेश उपाध्याय के घर तक खड़ंजा कार्य पर मजदूरी पर व्यय।	3296.00
11	4-1-06	मध्याह्न भोजन बनाने वाले दाईयों के भुगतान पर व्यय।	14036.00
12	4-1-06	मध्याह्न भोजन बनाने हेतु सामग्री क्रय पर व्यय।	9524.00
13	31-1-06	मध्याह्न भोजन बनाने वाले दाईयों के भुगतान पर व्यय।	14036.00
14	31-1-06	मध्याह्न भोजन बनाने हेतु सामग्री क्रय पर व्यय।	9524.00
15	31-1-06	ग्राम सभा की खुली बैठक में खर्च पर व्यय।	600.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का विवरण	व्यय की गयी धनराशि
16	31-1-06	उक्त बैठक में मुनादी करने वाले व्यक्ति पर व्यय, दो दिन।	116.00
17	10-2-06	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की वर्ष 2000-01 से 03-04 तक का भुगतान पर व्यय।	16000.00
18	17-2-06	स्वच्छ शौचालय बनाने हेतु लाभार्थियों को प्रथम किश्त अग्रिम के रूप में भुगतान 1000/- प्रति लाभार्थी-150X1000	150000.00
19	21-2-06	स्वच्छ शौचालय बनाने हेतु लाभार्थियों का प्रथम किश्त अग्रिम के रूप में भुगतान 1000/- प्रति लाभार्थी-200X1000	200000.00
20	23-2-06	स्वच्छ शौचालय बनाने हेतु लाभार्थियों का प्रथम किश्त अग्रिम के रूप में भुगतान 1000/- प्रति लाभार्थी 50X1000	50000.00
21	27-2-06	स्वच्छ शौचालय बनाने हेतु लाभार्थियों का प्रथम किश्त अग्रिम के रूप में भुगतान 1000/- प्रति लाभार्थी-150X1000	150000.00
22	28-2-06	स्वच्छ शौचालय बनाने हेतु लाभार्थियों का प्रथम किश्त अग्रिम के रूप में भुगतान 1000/- प्रति लाभार्थी-76X1000	76000.00
23	28-2-06	पारस साहू के घर से भोला के घर के पास ग्राम सभा गड्ढे तक नाली निर्माण कार्य हेतु सीमेंट क्रय पर व्यय।	15280.00
24	28-2-06	उक्त नाली हेतु ईंट क्रय प्रथम श्रेणी 142X1700	24140.00
25	1-3-06	स्वच्छ शौचालय हेतु 250 रूरलपैन क्रय पर भुगतान।	56250.00
26	7-3-06	पारस साहू के घर से भोला के घर के पास ग्राम सभा गड्ढे तक नाली खुदाई एवं जुड़ाई कार्य हेतु मजदूरी पर व्यय।	8232
27	9-3-06	मध्याह्न भोजन बनाने वाली दाईयों के भुगतान पर व्यय। 20X58	12760.00
28	27-4-06	राजेन्द्र शर्मा के घर से मथुरा यादव के घर तक नाली निर्माण हेतु सीमेन्ट/बालू क्रय पर व्यय।	8840.00

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का विवरण	व्यय की गयी धनराशि
29	28-4-06	ईंट क्रय प्रथम श्रेणी 33700X1700.00	57290.00
30	4-5-06	राजेन्द्र शर्मा के घर से मथुरा यादव के घर तक नाली खुदाई, जुड़ाई, क्रय, मजदूरी पर व्यय।	4240.00
31	4-5-06	तारकेश्वर शर्मा कमकर के घर से धोबी, हरिजन बस्ती होते हुये ग्राम सभा के गड्ढे तक नाली हेतु सीमेन्ट, सफेद बालू, लाल बालू क्रय पर व्यय।	20394.00
32	10-5-06	काशी यादव के घर से मुन्नी यादव के घर के पास ग्राम सभा के गड्ढे तक नाली हेतु सीमेन्ट, सफेद बालू, लाल बालू क्रय पर व्यय।	11124.00
33	11-5-06	उक्त नाली पर खुदाई एवं जुड़ाई मय मजदूरी पर व्यय।	9884.00
34	18-5-06	उक्त नाली की मजदूरी पर व्यय।	5768.00
35	18-5-06	मथुरा यादव के घर से मेन रोड के मुख्य नाले तक नाली निर्माण के सीमेन्ट, बालू पर व्यय।	5245.00
36	23-5-06	उक्त नाली पर जुड़ाई मय मजदूरी पर व्यय।	2650.00
37	13-6-06	दाइयों की मजदूरी पर व्यय।	14036.00
38	13-6-06	मध्यान्ह भोजन बनाने की सामग्री क्रय पर व्यय (माह अप्रैल, मई)।	22876.00
39	13-6-06	मध्याह्न भोजन बनाने हेतु दाईयों की मजदूरी पर व्यय। 11×58	10208.00
40	22-6-06	ईंट प्रथम श्रेणी क्रय 88235 अदद X 1700.00	150000.00
41	18-7-06	प्रा0पा0 भगवानपुर के पास पक्की सड़क से बरमेश्वर यादव के घर के पास तक नया खड़ंजा, मिट्टी क्रय पर व्यय।	10850.00
42	18-7-06	उक्त कार्य का मजदूरी पर व्यय।	2784.00
43	24-7-06	उक्त कार्य पर खड़ंजा मय मजदूरी पर व्यय।	19712.00
		योग-	1412137.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ग)

देखिये अता0प्र0सं0-61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर

ग्राम पंचायत सोनबरसा में छात्रवृत्ति का विवरण

दिनांक 26-10-05 से 13-6-06

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	दिनांक	अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या	प्रति छात्र (रु0)	छात्रवृत्ति वितरण की धनराशि	दिनांक	पिछड़ी जाति के छात्रों की संख्या	दर प्रति छात्र (रु0)	छात्रवृत्ति वितरण की धनराशि	दिनांक	सामा0 जाति के छात्रों की संख्या	दर प्रति छात्र (रु0)	छात्रवृत्ति वितरण की धनराशि	दिनांक	अल्प संख्य0 छात्रों की संख्या	दर प्रति छात्र (रु0)	छात्रवृत्ति वितरण की धनराशि
1	2	3	4	5	10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	प्रा0पा0म0 योगेन्द्र गिरि	20.2.06	58	300	17400.00	28.12.05	37	300	11100.00	24.3.06	11	300	3300.00	-	-	-	-
2	प्रा0पा0 दलकी नं0-2	21.1.06	24	300	7200.00	3.1.06	8	300	2400.00	24.3.06	16	300	4800.00	-	-	-	-
3	प्रा0पा0 डोमन टोला	-	-	-	-	3.1.06	23	300	6900.00	24.3.06	6	300	1800.00	-	-	-	-
4	प्रा0पा0 टोला सेवक राय	2.3.06	16	300	4800.00	3.1.06	25	300	7500.00	24.3.06	7	300	2100.00	-	-	-	-
5	प्रा0पा0 भगवानपुर	20.2.06	49	300	14700.00	21.12.06	106	300	31800.00	-	-	-	-	-			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	प्रा0पा0 जमीनबढ़ी	-	-	-	-	2.1.06	28	300	8400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	प्रा0पा0 सोनबरसा नं0-1	29.12.05	58	300	17400.00	19.1.06	81	300	26100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	क0उ0प्रा0पा0 सोनबरसा नं0-1	19.1.06	8	480	3840.00	19.1.06	31	480	14880.00	19.1.06	8	480	3840.00	-	-	-	-
9	प्रा0पा0 सोनबरसा नं0-1	24.3.06	10	300	3000.00	24.3.06	19	300	5700.00	24.3.06	11	300	3300.00	-	-	-	-
10	प्रा0पा0 नईबस्ती लाल गंज	4.2.06	28	300	8400.00	23.12.05	106	300	31800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	प्रा0पा0 नईबस्ती लाल गंज	24.3.06	7	300	2100.00	-	-	-	-	24.3.06	7	300	2100.00	-	-	-	-
12	क0प्रा0पा0 सोनबरसा नं0-2	28.2.06	60	300	18000.00	28.2.06	21	300	6300.00	-	-	-	-	-	-	-	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	प्रा0पा0 प्रीतमछपरा	18.2.06	16	300	4800.00	24.12.05	16	300	4800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	प्रा0पा0 प्रीतमछपरा	24.3.06	8	300	2400.00	-	-	-	-	24.3.06	5	300	1500.00	-	-	-	-
15	शिवनन्दन गिरी पूर्व मा0वि0 भगवानपुर (अल्प सं0 छात्र)	8.3.06	8	480	3840.00	23.3.06	25	480	12000.00	-	-	-	-	23.3.06	04	480	1920.00
16	आदर्श हरिजन प्रा0पा0 भगवानपुर (अल्प सं0 छात्र)	-	-	-	-	23.3.06	26	300	7800.00	-	-	-	-	23.3.06	07	300	2100.00
		योग-	350		107880.00		558		177480.00		71		22740.00		11		4020.00

कुल वितरित छात्रवृत्ति की धनराशि रुपये 3,12,120.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 373 विधान सभा (636)-30-3-07-813 (कम्प्यूटर)।